खण्ड-239, अंक-6
गुरूवार, 9 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(28 फरवरी, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 239 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय--सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३८९–३९२
प्रश्नोत्तर	३९३–४२०
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का उत्तर	४२०
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	४२०
कतिपय विषय के संबंध में जानकारी	४२१
१९६३–६४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (समाप्त)	४२१–४७२
नत्थियां	४७३–४८४

LEGISLATURE LIBRARY
JUN

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २८ फरवरी, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वाराकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरासिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदाबेत्री, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री

रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २८ फरवरी, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पूर्वी जिलों के लिए "संयुक्त जांच समिति"

**१—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा), श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) श्री बज्बनसिंह (जिला गोंडा), श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा), श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया), तथा श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

क्या सरकर बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की गरीबी का मूल्यांकन करने और उनकी आर्थिक उन्नति के उपायों को ढूंढ़ने के लिये केन्द्रीय तथा प्रान्त की सरकारों की संयुक्त रूप से "विशेषज्ञ जांच आयोग" का दौरा किस-किस तारीख को किस-किस जिले में गया है और कितनी गवाहियां ली गयी हैं ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

संयुक्त जांच समिति ने जनवरी २८ से १ फरवरी, १९६३ तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों का दौरा किया। समिति गाजीपुर (जनवरी २८–२९), देवरिया (जनवरी २९–३०) आजमगढ़ (जनवरी ३०–३१) और जौनपुर (जनवरी ३१–फरवरी १) गई और जिलों के प्रमुख सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों से सम्मिलित बातचीत की।

**२—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री गंगाप्रसाद, श्री बज्बनसिंह, श्री विष्णुप्रतापसिंह, श्री गेंदासिंह तथा श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त जांच में पूर्वीय उत्तर प्रदेश के नाम पर कौन-कौन जिले सम्मिलित किये गये हैं और इन जिलों में कितने जिले अभी जांच के लिये बाकी हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्रदेश की तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गोरखपुर डिवीजनों के सभी जिले, फैजाबाद डिवीजन में बाराबंकी के अतिरिक्त सभी जिले और इलाहाबाद डिवीजन का इलाहाबाद जिला सम्मिलित है। जांच समिति में इनमें से गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ और जौनपुर जिलों की जांच के लिये चुना है। फिलहाल, समिति द्वारा और जिलों की जांच के बारे में राज्य सरकार को कोई सूचना नहीं है ?

श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी जिलों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिये जो यह कमेटी बनी है वह प्रान्तीय है या केन्द्रीय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह केन्द्रीय सरकार से बनी है।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या कारण है कि इस समिति ने गोंडा और बहराइच जिलों की जांच नहीं की ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

चूंकि सभी पूर्वी जिलों की समस्यायें करीब-करीब एक-सी ही हैं, इसलिये इन ४ जिलों को चुना गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि और जिलों में समिति नहीं जायेगी। जरूरी होगा तो और जगह भी जायेगी। सब जिलों में अगर वह जाय तो उसमें काफी वक्त लगेगा। इसलिये अभी ४ जिले ही चुने गये।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

इस समिति के सामने कौन-कौन समस्यायें हैं जिसके आधार पर वह जांच करती है और गवाही लेती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह देखती है वह समिति कि दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में वहां पर कितनी प्रगति हुई है और वहां की सामाजिक और आर्थिक अवस्था कैसी है तथा वहां और अधिक क्या करने की जरूरत है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

पूर्वी जिलों की जो सबसे मुख्य समस्या है वह यह है कि वहां पर यातायात और सिंचाई की समस्या है और बिना इस समस्या का हल किये वहां पर कोई औद्योगिक तथा आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। जब इस समिति के सामने इस तरह का प्रश्न रखा गया उसके विचार के लिये तो उसने कहा कि उसके अधिकार क्षेत्र में वह है ही नहीं। इस बात को देखते हुये क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करेगी कि वह इस समिति के अधिकार क्षेत्र को बढ़ायें और उसको इन चीजों के बारे में भी जांच करने का अधिकार दे ताकि इस संबंध में भी वह समिति अपनी जांच करके रिपोर्ट दे सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इन जिलों में जन-संख्या अधिक है और इनकी आर्थिक अवस्था भी ज्यादा शोचनीय है, ये सब प्रश्न उससे संबंधित हैं। मेरा खयाल है कि इस बात की आवश्यकता नहीं है कि उसके क्षेत्र को व्यापक किया जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या नियोजन मंत्री को मालूम है कि गोरखपुर अन्तरिम जिला परिषद् ने प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजा कि गोरखपुर को भी इस जांच में शामिल कर लिया जाय और क्या उस आधार पर या वैसे भी सरकार ने अन्य जिलों के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पूर्वी जिलों की सभी की जांच है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या इस आयोग ने सिंचाई के लिये कोई सिफारिश की है ? यदि हां, तो वह क्या है और क्या उसका काम खत्म हो गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सत्य नहीं है कि वह काम खत्म करके चला गया है। अभी तो उन्होंने पहला दौरा किया है जो थोड़े दिन का था। वह शायद और जांच करेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समिति ने अपनी पब्लिक जांच के बाद कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है और कोई फौरन रेमेडी का सुझाव पेश किया है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

उन्होंने अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी है । परन्तु नियोजन मंत्रीजी ने अवश्य प्रदेशीय सरकार का ध्यान लघु सिंचाई योजना की ओर खींचा और कुछ सुझाव दिये हैं । जो सुझाव इस मौजूदा बजट में, चूंकि वह तैयार हो चुका था, संकलित नहीं किये जा सके हैं सरकार उन्हें सप्लीमेंटरी में ले लेगी और उससे कुछ लघु सिंचाई की व्यवस्था अगले वर्ष अधिक मात्रा में पूर्वी जिलों में की जा सकेगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय नियोजन मंत्री को जानकारी है कि गाजीपुर में जहां के लोगों ने आयोग के चेयरमैन पाटिल साहेब से बताया था ये गाजीपुर में सिंचाई १३ प्रतिशत होती है जबकि मेरठ में ७२ प्रतिशत होती है राज्य द्वारा तो हमारे यहां के.....

श्री उपाध्यक्ष---

इनक्वायरी कमेटी बैठी हुई है, मैरिट्स पर न जावें ।

श्री ऊदल---

इतना बड़ा अन्तर केवल लघु सिंचाई योजना से समाधान नहीं हो सकता, तो क्या सरकार कोई वृहद् योजना सिंचाई की बनाने की कृपा करेगी ताकि उस स्तर पर सिंचाई हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

लघु सिंचाई तो पैदावार बढ़ाने के लिये बहुत लाभदायक चीज है । दुर्भाग्य से चूंकि ट्यूबवेल अनइकोनामिक सिद्ध हो रहे थे हम उन्हें अधिक मात्रा में नहीं लगा सके । कुछ लोगों का ऐसा भी विचार था कि मेसनरी वैल्स अधिक बनने चाहिये । अथवा यदि अधिक संख्या में ट्यूबवेल लग जाते तो अवश्य सिंचाई की व्यवस्था में परिवर्तन होता और अधिक पैदावार भी होती। लघु सिंचाई की योजना, जिसका सुझाव हमारा बजट बनाने के बाद, केन्द्रीय सरकार के नियोजन मंत्रीजी से आया है उस पर नियोजन मंत्री जी बाद को निर्णय लेंगे कि कहां और किस तरह से यह कार्य बांटा जाय, फैलाया जाय, और वह फिर सदन के सामने आवेगा ।

श्री उमाशंकर तिवारी ---

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि २-२-६३ को बलिया के नागरिकों ने इस संयुक्त आयोग के द्वारा बलिया की उपेक्षा करने का कोई तार दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

आयोग को तार दिया होगा । सरकार को सूचना नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

इस बात को देखते हुये कि पूर्वी जिलों की आबादी, और प्रदेशों की अपेक्षा, जमीन के हिसाब से अधिक है तो क्या कोई ऐसी योजना मंत्री जी के विचाराधीन है कि वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाय जिससे जनसंख्या दूसरी ओर डाइवर्ट हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जहां तक प्रदेश के और पूर्वी जिलों के औद्योगीकरण का संबंध है, सरकार इस प्रश्न पर जागरूक है । इंडस्ट्रीज के लिय जिस चीज की सबसे अधिक जरूरत है वह है बिजली का विस्तार । जैसा सदन को भलीभांति विदित है, सरकार बिजली के लिये काफी योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहती है ताकि हमारे इन पूर्वी जिलों में ही काफी बिजली पैदा हो सके और वह इन पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों को जो वहां उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं उपलब्ध हो सके।

बस्ती जिले में धान व चावल पर प्रतिबन्ध

**३---श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में सरकार द्वारा ट्रांस-राप्ती क्षेत्र से इस ओर धान तथा चावल आने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ?

रसद उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—
जी हां।

**४—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—
यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि क्षेत्र से धान बाहर न जा सकने के कारण किसान के माल की बिक्री नहीं हो रही, जिससे कि धनाभाव उत्पन्न हो गया है तथा दूसरी ओर सरकार द्वारा तकावी, वसूली लगान आदि में सख्ती बरती जा रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—
सरकार के पास किसानों के माल की बिक्री न होने की कोई सूचना नहीं है। परन्तु इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि धान का भाव अर्थिक स्तर (Economic Level) के नीचे न गिरने पावे तथा धान की बिक्री में वृद्धि हो, सरकार ने इस क्षेत्र से अन्य लेवी, जिले में धान ले जाने के लिये स्वतंत्रता पूर्वक (Liberally) परमिट देने के आदेश दे दिये हैं।

जहां तक सरकार द्वारा तकावी, वसूली लगान आदि में सख्ती का प्रश्न है वर्तमान संकटकालीन स्थिति में, पूरे प्रदेश में बकाया लगान आदि की वसूली की पूरी चेष्टा की जा रही है। बस्ती जिले के इस क्षेत्र में कोई अनुचित प्रकार के दबाव डालने के तरीके अपनाने के बारे में कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है।

**५—श्री माधोप्रासाद त्रिपाठी—
क्या सरकार उक्त सख्ती को रोकने तथा प्रतिबन्ध हटाने का प्रयत्न करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—
उपर्युक्त परिस्थितियों में इनका प्रश्न नहीं उठता।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—
क्या हमारी सरकार को ऐसी शिकायत मिली है कि राप्ती नदी पर घाटों पर संबंधित अधिकारी रुपया लेकर अनाज पार कर देते हैं जिससे प्रतिबन्ध का मतलब ही खत्म हो जाता है ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—
ऐसी कोई शिकायत नहीं है। यह सत्य नहीं है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—
यदि यह सत्य नहीं है तो क्या मेरी निजी जानकारी को आधार मानकर, मैंने अपनी आंखों देखा है, सरकार इसका उपाय सोचने की कोशिश करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —
मैंने इस वजह से तो नहीं कि जो आपने कारण बतलाया है, मगर इस वजह से कि वहां धान की बिक्री नहीं हो रही है और उसके दाम घट रहे हैं आर० एफ० सी० वगैरह को कई बार वहां भेजा। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। अगर आप स्पैसीफिक कोई बात लिखकर दें तो मैं उसकी जांच करवा दूंगा दोबारा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—
श्रीमन्, इधर सारा धान प्रोड्यूसिंग एरिया है और परमिट देने का अधिकार ८० मील दूर गोरखपुर में आर० एफ० सी० को दिया गया है। अब मंत्रीजी कहते हैं कि प्रतिबन्ध जारी रहेगा तो क्या सरकार को मालूम है कि वहां का धान जब बाहर नहीं जा पाता तो महाजन मोटे महीन चावल को एक ही भाव से खरीद रहा है ? क्या इन बातों को ध्यान में रख कर सरकार परमिट देने की व्यवस्था नौगढ़ और बस्ती तहसीलों में निकट में ही करेगी जिससे करप्शन के चान्सेज कम हो जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

निजी उपयोग के लिये जो लोग लाना चाहते हैं उनको परमिट दिया जाता है लेकिन जहां तक बिक्री का सवाल है उसके लिये प्रतिबन्ध उठाना उचित नहीं मालूम होता है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मंत्रीजी इस बात की कठिनाई को देखते हुये कि वहां के लोगों को ८०-९० मील गोरखपुर परमिट के लिये जाना पड़ता है नौगढ़ के निकट ही किसी बड़े आफीसर को परमिट इश्यू करने का अधिकार देंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आर० एफ० सी० तो गोरखपुर में ही रहता है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां से आफीसर लोग कुछ ले देकर गल्ले को निकाल देते हैं तो अगर छोटे अधिकारियों को इसका अधिकार दे दिया जायगा तो शिकायत का मौका पैदा हो सकता है। इस कारण से गोरखपुर में उसको रखना पड़ता है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब धान पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है तो फिर परमिट क्यों इश्यू किये जाते हैं ? क्या किसी विशेष दल के लोगों को ही परमिट इश्यू किये जाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

परमिट तो इस वक्त इसलिये दिये गये हैं कि धान की कीमत वहां पर गिर रही थी, ऐसी शिकायत हमारे पास आयी। हमने १० हजार क्विंटल बाहर ले जाने का परमिट दिया जिससे धान की कीमतें बढ़ जायं।

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि ट्रान्स राप्ती में प्रतिबन्ध होने के कारण गोंडा का धान नैपाल और काठमांडू को जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नैपाल में कोई धान नहीं जा रहा है क्योंकि वहां भावों में ऐसा अन्तर नहीं है कि वहां जाने से फायदा हो सके।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

अभी माननीय माधोप्रसाद जी ने एक सुझाव रखा। यह करप्शन जो होता है वह तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर के स्तर पर होता है तो क्या तहसील के एस० डी० ओ० को परमिट इश्यू करने का अधिकार सरकार देगी, जिससे किसानों को सहूलियत हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अब यह तो विचार करने की बात है। एस० डी० एम० के पास वैसे ही काम बहुत ज्यादा है इसलिये अब यह देखना होगा कि इस काम को भी वे कर सकते हैं या नहीं। अक्सर शिकायत यह रहती है कि डी० एम० के पास इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि वह उनका निर्वाह नहीं कर पाता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

अभी सरकार ने कहा कि इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो क्या सरकार उसे सोचने के लिये कोई समय निर्धारित करेगी कि इतने समय के अन्दर उस पर सोच कर फैसला ले लिया जायगा अथवा इसी प्रकार से सोचती रहेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—
महीने भर में ही सोच-विचार कर इधर-उधर हो जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
माननीय मंत्रीजी ने इस बात को बाताया कि ट्रान्स राप्ती में प्रतिबंध लगा है जिस के कारण वहां का गल्ला दूसरे बाजारों में नहीं जा पाता इससे खासकर गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ में चावल की कीमत गिरती जा रही हैं, वहां पर चावल नहीं मिल पाता है, क्या मंत्रीजी कोई यूनीफार्म प्राइस लाइन फिक्स करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—
चावल की कीमत जहां तक गिरने का सवाल है अभी गिर नहीं रही है बल्कि हाल में थोड़ी सी तेजी आयी है । जहां तक आपका यह कहना कि धान के न मिलने से चावल पर असर पड़ता है, तो उसका तो उल्टा ही असर पड़ना चाहिये । धान अगर न मिलेगा तो चावल की कीमत और ज्यादा ही होगी ।

श्री रामकुमार शास्त्री—
क्या सरकार को इस बात का पता है कि चूंकि ट्रांस राप्ती एरिया के बस्ती, गोंडा और गोरखपुर जिले में प्रति वर्ष लाखों मन एक फसल धान पैदा होता है और जो वहां से बाहर के बाजारों में जाया करता था, इस साल प्रतिबन्ध लग जाने की वजह से वहां के लोगों में काफी असन्तोष है क्योंकि उसकी वजह से बिक्री नहीं हो रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—
अगर असन्तोष रहा होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि अब वहां के किसानों को सन्तोष हो जायगा। इसकी वजह यह है कि सरकार ने करीब ४५ हजार मन गल्ला खरीद लिया है और बाकी के लिये परमिट भी दे दिया गया है । अब शास्त्री जी अगर उधर जायेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनको सन्तोष होगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
क्या खाद्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि ट्रांस राप्ती एरिया में बासमती व तुलसीराम, जो बहुत ही अच्छे किस्म का चावल होता है, किसानों के घरों में आज भी पड़ा हुआ है और यदि वही चावल लखनऊ के बाजार में आ जाय तो किसानों को ऊंचा रेट भी मिल जाय और यहां के लोगों को भी प्राप्त करने में सहूलियत हो ? यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रतिबन्ध को हटाने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—
यह प्रतिबन्ध हटाना इसलिये सम्भव नहीं है कि हमारी सरकार को अपने स्टाक में करीब डेढ़ लाख टन चावल इकट्ठा करना है, जिसमें से २५ हजार टन हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है । यदि हमने प्रतिबन्ध हटा दिया तो लेवी करने में बड़ी कठिनाई पैदा होगी ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—
क्या यह सत्य है कि ४० प्रतिशत प्रोड्यूस सरकार ले रही है और ६० प्रतिशत महाजनों के पास जो रहता है, उसे बाहर एक्सपोर्ट करने के लिये सरकार ने परमिट दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—
लेवी करने के बाद बाकी के लिये परमिट मिलता है । हम भी लाइसेंस्ड डीलर्स और राइस मिलों से लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गाजियाबाद मास्टर प्लान के लिए भूमि अर्जन

*१--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि गाजियाबाद की मास्टर प्लान से संतप्त किसान २७ अगस्त, १९६२ व २८ नवम्बर, १९६२ को प्रधान मंत्री से मिले और उन्होंने यह विश्वास दिलाया और संसद ने भी इस प्रकार का निर्णय किया कि उपजाऊ जमीन नहीं ली जानी चाहियें ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

गत अगस्त तथा उसके बाद के महीनों में गाजियाबाद में होने वाले भूमि अर्जन के सिलसिले में वहां के किसान कई बार प्रधान मंत्री से मिले हैं । परन्तु सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि प्रधान मंत्री ने उन्हें कोई ऐसा आश्वासन दिया कि किसी भी हालत में उपजाऊ भूमि का अर्जन नहीं होना चाहिए या नहीं किया जायगा । सरकार की सूचना के अनुसार संसद में भी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है । यह आश्वासन अवश्य दिया गया है कि उपजाऊ जमीन का अर्जन जहां तक हो सकेगा नहीं किया जायगा और यदि बंजर जमीन उपलब्ध होगी तो उसे पहले इस्तेमाल किया जायगा ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का भरसक और पूर्ण प्रयत्न किया है कि उपजाऊ जमीन जहां तक हो सके कम से कम मात्रा में ली जाय । गाजियाबाद के मास्टर प्लान के सिलसिले में लगभग ३४,००० एकड़ जमीन की आवश्यकता थी और आरम्भ में इस पूरी जमीन के अर्जन के लिये नोटिस निकाली गई थी । उस क्षेत्र में उचित बंजर भूमि नहीं मिल सकती और इसलिये अधिकतर उपजाऊ जमीन ही लेनी पड़ी । इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रख कर सरकार ने यह चेष्टा की कि जमीन की आवश्यकता को जहां तक हो सके कम किया जाय । अतएव सरकार ने केवल ६,१५९ एकड़ भूमि उपयोग करने का निर्णय किया और भूमि को छोड़ दिया । इसमें भी जहां तक हो सका बंजर भूमि का उपयोग किया गया ।

सरकार ने बराबर इस बात का ध्यान रखा कि कम से कम जमीन ली जाय । अतएव इस ६,१५९ एकड़ में से केवल २,००० एकड़ से कम भूमि के अर्जन की कार्यवाही की गयी इस से कम भूमि में काम चलाना संभव नहीं था क्योंकि उस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र बनाने तथा अन्य विकास कार्य करने की नितान्त आवश्यकता थी ।

*२--श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रधान मंत्री जी से यहां के मुख्य मंत्री को कितने बार कब-कब इस प्रकार के पत्र मिले जिनमें यह उल्लेख था कि जहां तक हो सके किसानों को तकलीफ नही देनी चाहिये और खासकर उपजाऊ जमीन का लेना ठीक नहीं है तथा सरकार ने इन पत्रों पर क्या विचार किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

विभागीय सूचना के अनुसार प्रधान मंत्री जी के पांच पत्र जिनकी तारीखें ७ अगस्त, १९६१ २८ अगस्त, १९६२, ३० अगस्त, १९६२, २७ नवम्बर, १९६२ और ३० दिसम्बर, १९६२ हैं प्राप्त हुये जो मुख्य मंत्री जी को लिखे गये थे । सरकार ने इन पत्रों पर विचार किया और मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी को इस संबंध में पूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया ।

मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्र में यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं प्रयत्नशील है कि किसानों के हितों की रक्षा की जाय और यथासम्भव अच्छी कृषि योग्य भूमि

अवाप्त न की जाय पर दिल्ली के विस्तार और बढ़ती हुई जन-संख्या के कारण गाजियाबाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह आवश्यक है कि उसका सुनियोजित ढंग से विकास किया जाय और आवास तथा उद्योग भूमि की आवश्यकता को पूरा किया जाय जिससे कि अनियन्त्रित विकास न हो। प्रधान मंत्री जी को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी भूमि अवाप्त न करने की मांग को पूरा करना कठिन है क्योंकि गाजियाबाद क्षेत्र का नियोजित और नियन्त्रित विकास एक अनिवार्य आवश्यकता है। और गत पांच वर्षों में लगभग १८,११५ एकड़ भूमि केवल गाजियाबाद तहसील में किसानों द्वारा स्वयं बेची जा चुकी है पर किसानों को तकलीफ से बचाने का पूर्ण प्रयास किया जायगा।

*३--श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या लहलहाती हरी फसल अभी मास्टर प्लान के लिये काटी जा रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसे उत्पादन में घाटा समझकर तुरन्त रोकने के आदेश जारी करेगी ताकि खड़ी फसलें पक सकें?

श्री हरगोविन्दसिंह--

किसी भी भूमि को लेते समय यह बराबर ध्यान में रखा गया है कि उस पर फसलों का किसी प्रकार भी नुकसान न होने पाये। गत जुलाई में लगभग ५५० एकड़ भूमि का अर्जन किया गया था। अर्जन करते समय इन जमीनों पर फसलें थीं और किसानों को इसका पूर्ण अवसर दिया गया कि वे इन पर खड़ी फसलों को काट सकें। जमीन पर कोई कार्यवाही इन फसलों के कट जाने के बाद नवम्बर, १९६२ से ही प्रारम्भ की गई। इसी प्रकार लगभग ३५० एकड़ भूमि दिसम्बर, १९६२ में अर्जित की गई है। इस पर भी किसानों को अपनी फसल की देख-भाल करने तथा उसके काटने का अवसर दिया जा रहा है।

जो ५५० एकड़ भूमि जुलाई में ली गई थी उसमें किसानों को खड़ी फसल काटने का अवसर दिया गया था परन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वे दुबारा उस जमीन पर कुछ न बोयेंगे। परन्तु इस शर्त के बावजूद तथा जमीन पर सरकार का कब्जा हो जाने के बावजूद भी कुछ किसानों ने अक्तूबर, नवम्बर, १९६२ में इस जमीन पर गैरकानूनी रूप से रबी की फसल फिर बो दी। इस जमीन को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास करने की परम आवश्यकता है अतएव इस पर सड़क बनाने आदि की कार्यवाही तुरन्त शुरू करनी आवश्यक थी। अतएव सरकार के लिये यह संभव नहीं था कि इस जमीन पर गैरकानूनी रूप से खेती करने की इजाजत दे सके। अतएव इस जमीन के कुछ हिस्सों पर गैरकानूनी रूप से फसल बोये जाने के बाद कब्जा करना तथा उनपर सड़क आदि बनाने का विकास कार्य करना आवश्यक हो गया।

फिर भी सरकारी अधिकारियों ने इस बात का ध्यान रखा है कि जहां तक हो सके इस गैरकानूनी रूप से बोई गई फसल का भी कम से कम नुकसान हो। सड़क आदि बनाने के लिये तुरन्त लगभग २८ एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। इसमें से १३ १/२ एकड़ भूमि ऐसी थी कि जिस पर कोई फसल नहीं बोई गई थी। केवल १४ १/२ एकड़ भूमि ऐसी थी जिसपर गैरकानूनी रूप से फसल बोई गयी थी और जिसे विकास कार्य के निमित्त मजबूरन लेना पड़ा है।

रबर फैक्टरी के लिए भूमि अधिग्रहण

*४--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि रबर फैक्टरी, बरेली के लिये जो जमीन परगना बरेली के अन्तर्गत अधिग्रहण की गयी है उसके विरोध में ग्राम चिटौली व सिरसा की महिलाओं ने एक सत्याग्रह छेड़ रक्खा है तथा इस सत्याग्रह के संबंध में पुरुषों के चालान सी० आर० पी० सी० की दफा १०७ व ११७ के अन्तर्गत किये जा चुके हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

उल्लिखित भूमि अधिग्रहण के विरोध में ग्राम चिटौली व सिरसा जागीर की महिलाओं ने कोई सत्याग्रह नहीं छेड़ रक्खा है। अतः धारा १०७-११७ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*५--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराने की कृपा करेगी तथा जिले के अधिकारियों को आदेश देगी कि संबंधित कृषकों पर अनुचित दबाव न डाला जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही नियमानुसार चली है और उसमें कोई त्रुटि नहीं हुई है तथा कृषकों के ऊपर कोई अनुचित दबाव इस सिलसिले में नहीं डाला जा रहा है। अतः उल्लिखित भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की किसी उच्चाधिकारी द्वारा जांच कराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों के ११ व्यक्तियों के विरुद्ध १०७ बटा ११७ की कार्यवाही हाकिम परगना बरेली की अदालत में चल रही है और उसकी २ तारीखें भी पड़ चुकी हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, यह सही है। जब फैक्टरी के अधिकारी वहां पर पाइप लाइन के काम के लिये गये तो गांव के लोगों ने उनको रोका और धमकाया इस की फतहपुर थाने में रिपोर्ट की गई, इस पर पुलिस ने मामले की जांच की और संबंधित व्यक्तियों पर १०७ बटा ११७ का मुकदमा चलाया।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन लोगों ने जो रुकावट डाली वह इसलिये डाली कि खेतों में उन की अरहर, आलू, गेहूं और गन्ने की फसलें खड़ी थीं और उन को फैक्टरी के अधिकारियों ने ट्रैक्टर्स से रौंदने की कोशिश की ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसकी सूचना सरकार को नहीं है लेकिन चूंकि फैक्टरी वालों ने थाने में रिपोर्ट की थी इसलिये तफतीश के बाद थाने वालों ने मुकदमा चलाया है, गवर्नमेंट से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कब हुई ? कब वह पूर्ण और उसमें कितने कृषकों के आब्जेक्शन्स सुने गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह १३ अगस्त, सन् १९६२ से आरम्भ हुई थी और वक्तन-फवक्तन उन को समय आबजेक्शन का दिया गया था, मुआवजे की कार्यवाही हो रही है और जो आब्जेक्शन्स हुये हैं उनकी जांच हो रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनकी जमीनें ली गई हैं उनको नोटिसेज क्यों नहीं दिये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जवाब में बता दिया गया है कि सब कार्यवाही जैसे विधिवत् होती है वह की गई।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

यह देखते हुये कि किसानों की जमीन और उनकी फसलों का नुकसान हुआ इसलिये उन्होंने कुछ दखलअन्दाजी की लेकिन अब वहां पर शांति है इस को देखकर क्या अब मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि दफा १०७ बटा ११७ वापस ले ली जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इससे सरकार से कोई मतलब नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

किसानों की जो हरी फसलें काटी गईं या ट्रेक्टर्स से रौंदी गईं क्या उसका मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो कितना ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यदि माननीय सदस्य ने मेरा जवाब सुना होता तो शायद इस प्रश्न की आवश्यकता न होती, मैंने कहा कि जो मुआवजों की निस्बत कार्यवाही हो रही है उसमें उनके कुछ एतराज हैं जो सुने जा रहे हैं और उनपर कार्यवाही हो रही है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

उत्तर नहीं आया, वह बतायें कि कोई मुआवजा लगाया गया या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

उसकी तो कार्यवाही चल रही है, वह यहां मेरे पास नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

लघु-उद्योग सम्बन्धी अनुदान व ऋण के व्यय की जांच

*१--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी), श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी), श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह बात सही कि सन् १९५६-५७ से १९६१-६२ तक उत्तर प्रदेश में लघु-उद्योगों संबंधी अनुदानों तथा ऋणों का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो कितने धन का ?

*२--क्या यह बात सही है कि उद्योगों को दिये गये अनुदानों ऋणों के उपयोग के संबंध में सरकार ने कोई छानबीन करायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

लघु-उद्योग मंत्री के सभा-सचिव (श्री वीरसेन)--

वाँछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न १४-२-१९६३ को स्थगित पहले हो चुका है तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक सूचना न आने का क्या कारण है और सूचना अब कब तक एकत्र हो जायगी ?

लघु-उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)--

माननीय सदस्य जानते हैं कि यह जांच काफी समय से हो रही है, तमाम प्रदेश का मामला है और इस जांच के लिये कोई नया व्यक्ति नहीं रखा गया है । पिछली बार जब आंकड़े पेश किये गये थे तो मैंने कहा था कि काफी जांच बाक़ी है । उसके बाद कुछ जिलों में मैं गया वहां दोबारा जांच कराने की जरूरत मालूम हुई । कुछ जिलों से शिकायत आयी तो उसकी

उस की जांच करानी पड़ी। इसके साथ-साथ यह जांच ऋण वगैरह की थी, फिर खादी बोर्ड के ऋणों की जांच के लिये कहा गया। यह लम्बा मामला है, कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जांच हो जाय।

श्री ऊदल—

मंत्री जी बतायेंगे जितनी जांच अब तक हुई है उसमें जो रुपया लघु उद्योगों के लिये दिया गया था उसमें से ५६ लाख रुपये का उपयोग नहीं हुआ, इसकी जानकारी उनको है?

श्री फूलसिंह—

यही आंकड़े तो एकत्रित हो कर नहीं आये। असल में आंकड़ों की दिक्कत एक और है। जहां-जहां के आंकड़े निकलते जाते हैं कि यहां का रुपया ठीक इस्तेमाल नहीं हुआ वहां वसूलयाबी शुरू हो जाती है, किसी को स्टे आर्डर नहीं मिलता है। फिगर्स ठीक तौर से अभी नहीं मालूम हो सके हैं कि कितना रुपया बाक़ी है।

श्री कल्पनार्थासिंह—

मंत्री जी को सूचना है कि गोरखपुर जिले में उद्योग धंधों के लिये दिये गये ऋणों की जांच के लिये कोई कमेटी बैठायी थी उस की रिपोर्ट क्या है?

श्री फूलसिंह—

उसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। सवाल इस सम्बन्ध में जब यहां हुआ था तो मैंने बतलाया था और माननीय सदस्य ने लिख कर भी देने को कहा था वह लिख कर नहीं आया।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

मंत्री जी बतायेंगे कितने रुपये की रिकवरी के लिये आर्डर दिया गया अगर उसमें से कुछ वसूल भी हुआ है? अधिकतर रुपया उन लोगों के पास है जो प्रभावी हैं तथा किसी दल विशेष के हैं जिसके कारण रुपया वसूल नहीं हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब सूचना तो वह एकत्र कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

जो पिछले साल उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उससे स्पष्ट है कि काफी बड़े पैमाने पर धन का दुरुपयोग हुआ है जिसकी जांच होने की उम्मीद है। इस साल बजट में रखे गये धन का दुरुपयोग न हो इसके लिये सरकार ने कोई कदम उठाया है?

श्री फूलसिंह—

सरकार की कोशिश है कि लघु उद्योगों की बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पर बैठे।

शाहजहांपुर के मालखाने से हथियारों की बिक्री

*३—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में जनवरी, १९५७ से दिसम्बर, १९६२ तक सरकारी मालखाने से किन-किन अधिकारियों ने राइफल, बन्दूक और रिवाल्वर तथा पिस्टल लिये और किस-किस कीमत पर लिये तथा उन हथियारों का कारखाना (Maker) कौन-सा था?

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—

मांगी हुई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४७३ पर।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

तालिका पढ़वा दी जाय अगर लम्बी न हो।

श्री नवलकिशोर—

श्रीमन्, आप की आज्ञा से पढ़ता हूं। सर्व श्री एस० एन० पांडे, डी० पी० ओ० दुनाली बन्दूक ५० रु०, श्री कृपाल सिंह, एस० पी०, दुनाली बन्दूक, ७० रु०, एस० एस० गुप्ता, सिटी मैजिस्ट्रेट, दुनाली बन्दूक, ५० रु०, सिद्दीकी, डी० एस० पी० दुनाली बन्दूक, ५५ रु०, एस० एन० सक्सेना, डी० एस० पी०, दुनाली बन्दूक, ३० रु०, कन्हैयालाल, सी० एस०, रिवाल्वर, २५ रु०, चन्द्रा, एस० डी० एम०, पिस्तौल २५ रु०, बी० आर०, बसु ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट, दुनाली बन्दूक, ५५ रु० ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ये रिवाल्वर और बन्दूकें सरकार की ओर से भेंट की गयीं ये किस मेक की थीं ?

श्री नवलकिशोर—

सर्वश्री एस० एन० पांडेय की यू० एस० ए० की, कृपालसिंह की ल्योन ऐंड ल्योन की, एस० एस० गुप्ता की जर्मन जैको की, सिद्दीकी की स्पेन की, एस० एन० सक्सेना की बी० एस० ए० इंगलिश, डी० एस० रावत की वेबली स्कीट की, कन्हैयालाल की स्पेन की, श्री चन्दा की चेकोस्लोवाकिया की और बी० आर० बसु की स्पेन की बनी हुई थीं।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

इतनी कम कीमत पर जो ये हथियार दिये गये इसका कोई नियम है ? यदि है तो यह हजारों रुपये का नुकसान सरकारी कोष का क्यों किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

हमारे नियम बने हुये हैं। उनमें जिलाधीशों को यह अधिकार दे रखा है कि वे बाजार के भाव को देखते हुए उस की क़ीमत निर्धारित करें। मैंने भी आज ही इन तमाम आंकड़ों को देखा है। मैं जानता नहीं कि कौन कितनी कीमत में आता है परन्तु मैं यह मुनासिब समझता हूं कि सरकार अब इस विषय में इस प्रकार के आदेश सब जिलाधीशों को देगी कि अगर इस तरह की चीजें मालखाने में बिक्री के लिये हों तो वह चीजें उन लोगों को जिन्हें लाइसेन्स इत्यादि दिया जा सकता है सब को कम्पीट कर के देने की व्यवस्था जिलाधीश किया करें, जिससे खामख्वाह अधिकारियों के बारे में यह दोषारोपण न लगाया जा सके कि उन्होंने सस्ती कीमत पर कोई हथियार ले लिया है। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार की तरफ से ऐसे आदेश चले जायंगे, आयन्दा जो मालखानों में चीजें होती हैं वह महज सरकारी अधिकारियों को नहीं बेची जायंगी।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि जिन अधिकारियों ने ये हथियार लिये हैं उनसे मारकेट रेट से पूरी कीमत वसूल की जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह प्रश्न तो उठता नहीं। जिस अधिकारी को यह अधिकार था कि वह क़ीमत फिक्स करे उस अधिकारी ने जहां तक उसकी जानकारी हो सकती थी कीमतें फिक्स कर दीं और उसके बाद इन अधिकारियों ने ये चीजें ली हैं। तो वह सवाल तो अब उठता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जिन अधिकारियों ने ये हथियार लिये हैं माननीय मुख्य मंत्री जी उनके आचरण के बारे में क्या विचार रखते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह तो मालखाने की चीजें हर जगह जिलाधीश बेचते हैं और वे अपना सर्टीफिकेट उसके लिये देते हैं। हमारे जो अधिकारी जिलाधीश हैं वे योग्य और उत्तम अफसर हैं तो सब के बारे में (व्यवधान) . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

शांति से सुनिये ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

आपके शोर करने से वे खराब अफसर नहीं हो जायेंगे ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

उपाध्यक्ष महोदय, जो बात सामने आई है वह बड़ी दुखद है। मारकेट रेट के हिसाब से यह १५-२० हजार का माल है । मुझे इन चीजों की जानकारी है इसलिये मैं इनके संबंध में जानता हूं । मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि गवर्नमेंट को राइट है कि वह किसी भी सेल को कैंसिल कर सकती है इसलिये इसको वह कैंसिल करे और फिर से आक्शन कराये । मैं मुख्य मंत्री जी को जानकारी कराना चाहता हूं कि एक डी० एम० ने इस तरह की गड़बड़ी की थी, उनके ऊपर यह चार्ज लगाया गया था और वे सर्विस से डिसमिस किये गये थे । इसलिये मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस तरह की बंगलिंग को रोकें और मारकेट रेट पर उनका सेल हो और भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

ये तमाम चीजें जो बेची गई हैं वे ५७-५८ तथा ५९ में बेची गई हैं । उस समय की कीमत में और अब की कीमत में अन्तर है । अब वह चीज बहस में नहीं आ सकती है । जिलाधीश ने उन चीजों को बेचा है और वे चीजें कितनी सर्विसेबिल और अनसर्विसेबिल हैं इसको ध्यान में रखकर उसकी कीमत फिक्स करके उनको बेचा है । जिलाधीश ने लिख दिया है कि ये चीजें अनसर्विसेबिल थीं इसलिये इस कीमत पर बेची है ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

जिस तरह की चीजें एक जिले में हुई हैं इस तरह की घटनायें प्रदेश के हर जिले में हो रही हैं, तो क्या मुख्य मंत्री जी प्रदेश के लिये एक जांच समिति बिठाने की कृपा करेंगे, जो जांच करके आवश्यक रिपोर्ट दे ताकि आयन्दा ऐसी बंगलिंग न हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

अब बंगलिंग हुई या नहीं, इसको मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं । लेकिन यह मुनासिब समझता हूं कि इस तरह की चीजें जो मालखाने में रही हैं उनको खरीदने का हर व्यक्ति को अधिकार हो, जिसे लाइसेंस दिया जा सकता हो और ये चीजें कम्पटीटिव ढंग से बेची जायं, न कि अधिकारीगण उन चीजों को खरीद लें । इसके लिये सरकार आदेश जारी करेगी और प्रत्येक जिलाधीश को आदेश देगी कि जब कभी वे मालखाने की चीजें बेचना चाहें तो उनको नीलाम करें ।

श्री बैजनार्थसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

क्या मुख्य मंत्री जी, जिन अधिकारियों ने संबंधित अस्लाह लिये हैं उनके अधिकारियों से कहेंगे कि वे उनको सिक्यूरिटी फंड में जमा कर दें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

न तो मैं ५ साल पुराने किस्से को उठाने को तैयार हूं न इस विषय में चर्चा करना चाहता हूं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसके संबंध में आदेश दिये जायेंगे, तो क्या इस तरह के आदेश दिये जायेंगे कि जिस जिले की बंदूकें हों उस जिले के अधिकारी न खरीद सकें और दूसरे जिले के अधिकारी खरीदें, क्योंकि वे नाजायज दबाव डालकर कीमत कम फिक्स करा लेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

इसको मैं स्वीकार करता हूं और मैं उन आदेशों में इसे भी सम्मिलित कर लूंगा ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

इस बात को ध्यान में रखते हुये इस आपत्तिकालीन परिस्थिति में हमें नौकरशाही को शुद्ध करना है और सरकारी धन का जो दुरुपयोग होता है उसे ठीक करना है । मालखाने में जमा किये हुये हथियारसरकारी प्रापर्टी है और १०० रुपये की चीज की कीमत दो रुपये आंकी गई है तो यह चीटिंग हुई है, इसके संबंध में एक विशेषज्ञ जांच समिति बिठायंगे, जो यह देखे कि उस समय क्या भाव थे और क्यों बेचे गये और कहां-कहां बंगलिंग हुई । यह डैमोक्रेसी के लिये नुकसान है और जम्हूरियत पर हमला हो रहा है, इसलिये सरकार जांच समिति बिठाकर चीटिंग केस चलाने की कृपा करेगी ताकि भविष्य में कोई ऐसी गड़बड़ी न हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

न मैं बंगलिंग मानता हूं न चीटिंग मानता हूं । मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि जिसे नौकरशाही कहते हैं उसमें प्रदेश के होनहार और अच्छे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी इन अधिकारपूर्ण स्थानों पर कार्य करते हैं, वे ईमानदारी से, तत्परता से काम करते हैं, अपने उत्तरदायित्व को समझ कर काम करते हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जी यहां लखनऊ ही में जो अस्त्र-शस्त्रों की दूकानें हैं उनसे स्वयं टेलीफोन पर यह पूछ सकते हैं कि इन हथियारों के दाम क्या हैं और उससे उनको मालूम हो जायगा कि इसमें गड़बड़ी हुई है या नहीं और यदि माननीय मुख्य मंत्री जी सटिस्फाई हो जायं कि गड़बड़ी हुई, तब जिन कलेक्टर महोदय ने यह तमाशा किया है उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे या तब भी कुछ नहीं करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

सारे प्रदेश में एक ही प्रथा प्रचलित रही है । अधिकारीगण मालखाने की चीजें खरीदते रहे हैं और जिलाधीश कीमतें निर्धारित करते रहे हैं। सारे प्रदेश में जहां-जहां इस तरह से चीजें बिकी हैं अधिकारियों ने ली हैं । अब, पांच-छः साल पहले की बातों को उठा कर हर एक जिलाधीश के बारे में और जिसने खरीदा है उसके बारे में, इनक्वायरी इंस्टीट्यूट करूं यह संभव नहीं है । मैं यह मान कर चलता हूं कि संबंधित जिलाधीश ने ईमानदारी से कीमत को समझ कर निर्धारित किया है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि भविष्य के लिये आदेश जारी करेंगे, उसमें यह भी व्यवस्था करेंगे कि भविष्य में हथियारों का पब्लिक आक्शन हो ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो कह दिया है ।

देवरिया जिले में गैरदस्तन्दाजी वारदातों की रपटें

*४--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के प्रत्येक थाने में १ जनवरी, १९६२ से १६ जनवरी, १९६३ तक कितनी-कितनी रपटें गैर बस्तन्दाजी वारदातों की हुई हैं ? उन रपटों में कितनों के खिलाफ कितनी-कितनी अनेक रपटें हैं, अनेक वारदात वाले व्यक्तियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो वह क्या ?

श्री नवलकिशोर--

इस संबंध में कि कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कितनी-कितनी अनेक रपटें है, वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है । शेष के संबंध में सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४७५-४७६ पर)

*५--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या यह सच है कि पुलिस आयोग की रपट में गैर-इस्तन्दाजी वाले वारदातों पर चेक न होने का दस्तन्दाजी वारदातों को कारण बताया है ? यदि हां, तो गैर-दस्तन्दाजी वारदातों को रोकने के लिये क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री नवलकिशोर--

कदाचित् माननीय सदस्य का मतलब पुलिस आयोग की रिपोर्ट के पैरा १३८ से है, जिसका तात्पर्य यह है कि जब किसी क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगे तो सरकार को कुछ प्रकार के अहस्तक्षेप्य अपराधों को हस्तक्षेप्य अपराधों के रूप में घोषित करने का अधिकार होना चाहिये । इस विषय पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष इसमें लिखा है कि वांछित सूचना एकत्र की जा रही है । मैं चाहता हूं कि जब पूरी सूचना आ जाय तभी जवाब दिलवाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

पूरा मुल्तवी कर दिया जाय ?

श्री नवलकिशोर--

यह तो आपके तय करने की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मुल्तवी कर दिया गया ।

रायबरेली जिले में तेल निकालने की मशीनें

*६--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में कितनी ऐसी मशीनें हैं जिनसे तेल की पिराई होती है ?

श्री वीरसेन--

१३२ ।

श्री रतीपाल--

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मशीनों पर जो हफ्तेवार लेवी लगी हुई है, उसके कारण वहां इंसपेक्टर और अधिकारी वगैरह उन कारखानों को बीच-बीच में बन्द करवा देते हैं और उनसे पैसा लेते हैं, तो इसको देखते हुए वह ऐसा कोई उपाय सोचेंगे कि यह लेवी हफ्तेवार की जगह सालाना कर दी जाय ?

श्री वीरसेन--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस लेवी का जिक्र कर रहे हैं वह हमारी सरकार का लेवी नहीं है, केन्द्रीय सरकार का है और इंसपेक्टर वगैरह भी केन्द्रीय सरकार के हैं । इसलिये जो माननीय सदस्य चाहते हैं वह नहीं हो सकता ।

कानपुर जिले से भष्टाचार सम्बन्धी दरख्वास्तें

*७--श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत डी० एस० पी० (कम्प्लेंट) को १ जनवरी, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक भ्रष्टाचार संबंधी कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुईं, उनमें कितने दरख्वास्तों की जांच हुई तथा कितनों के प्रार्थना-पत्र सही पाये गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नवलकिशोर--

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शिवनाथसिंह--

यह सूचना कब तक प्राप्त हो जायगी ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इस बात के लिये रिमाइन्डर भेज दिया गया है कि वह जल्दी से जल्दी सूचना भेज दें ।

बादशाहपुर ट्रक दुर्घटना में लड़के की मृत्यु

*८--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

दिनांक १३ सितम्बर, १९६२ के प्रश्न संख्या १२० के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २ ट्रक दुर्घटनायें कब-कब और कहां-कहां हुईं ? उक्त ट्रक दुर्घटनाओं में क्या किसी विद्यार्थी की मृत्यु हुई ? यदि हां, तो उस ट्रक का नम्बर और उसका मालिक कौन है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नवलकिशोर--

एक ट्रक दुर्घटना दिनांक २०-३-६२ को कस्बा बादशाहपुर में तथा दूसरी दिनांक २७-३-६२ को ग्राम पुरवापुर में हुई । इन दोनों दुर्घटनाओं में से किसी में भी विद्यार्थी की मृत्यु नहीं हुई । इसलिये प्रश्न का अंतिम भाग नहीं उठता ।

*९--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या उक्त घटना के समय विद्यार्थी को कुचलने वाली ट्रक का परमिट वैलिड (Valid) था अथवा नहीं ?

श्री नवलकिशोर--

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २०-३-६२ को जो दुर्घटना हुई उसमें एक विद्यार्थी दाहिनी पटरी पर पान की दूकान पर बैठा हुआ कुचला गया और मरणासन्न अवस्था में वह जौनपुर सदर अस्पताल में भेजा गया जहां पर जाकर ८ बजे उसकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच वह करायेंगे ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, मैंने अभी अर्ज किया कि एक लड़के की मृत्यु २०-३-६२ की दुर्घटना में हुई, लेकिन वह विद्यार्थी नहीं था, ऐसी मेरे पास सूचना है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, वह स्थानीय हिन्दू इंटर कालेज का विद्यार्थी था और वह पान की दूकान पर बैठा हुआ था जिस समय यह दुर्घटना घटी । श्रीमन्, इसी सिलसिले में मैं यह भी कहूंगा कि यह ट्रक जिसके नम्बर तक माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया, एक ऐसे आदमी की है जो वहां बहुत ही शातिर किस्म का आदमी है और थाने का दलाल है और उसकी दलाली और शातिरपने के कारण यह घटना छिपायी जा रही है और जानबूझ कर छिपायी जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सवाल कर लीजिये । व्याख्यान देना तो ठीक नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

वस्तुस्थिति यही है श्रीमन् । मैं सवाल कर रहा हूं । क्या माननीय मंत्री जी इस घटना की फिर से जांच करायेंगे जिसमें कि बच्चा कुचला गया, अस्पताल भेजा गया, और वहां उसकी मृत्यु हुई और उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिसने इसका मुकदमा नहीं चलाया और इसे दाखिल दफ्तर करा दिया ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, इस केस का चालान हो चुका है। केस कोर्ट के अन्दर मौजूद है और यह मैं फिर बता दूं कि मैंने खुद यह कहा कि एक बच्चे की मृत्यु हुई, उसका नाम दयाशंकर था और वह पकड़ी के शिवमूरत पांडेय के यहां रिश्तेदारी में आया था और स्वयं शिवमूरत पांडेय जी ने उसकी रिपोर्ट लिखायी है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, यह सूचना जो माननीय मंत्री जी ने दी है, वह सही है लेकिन यह भी सही है कि वह हिन्दू इंटर कालेज का विद्यार्थी था....

श्री उपाध्यक्ष—

तो इससें फर्क क्या पड़ता है?

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

फर्क यह पड़ता है कि जो सूचना माननीय मंत्री जी के पास है वह आधी सूचना उनको दी गई है और वह विद्यार्थी जान-बूझकर कुचला गया और वह ट्रक एक ऐसे सज्जन की है कि जो कांग्रेसी हैं, बाअसर हैं, पुलिस के दलाल हैं और नियोजन मंत्री जी की छत्रछाया में रहते ह.....

श्री उपाध्यक्ष—

इन आक्षेप की बातों से तो कोई फायदा नहीं है। उनका चालान हो चुका है तो अब क्या बात है? जो सवाल इससे पैदा होता हो वह कर लीजिये। (व्यवधान) विद्यार्थी है तो, विद्यार्थी न है तो, इससें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो फिर से प्रश्न कर लीजिये।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ट्रक का मालिक कौन है और उसका नम्बर क्या है?

श्री नवलकिशोर—

नम्बर है यू० पी० सी० ६७८७। इस ट्रक के ड्राइवर का नाम है श्री रामलखन और मालिक हैं श्री सुखराज सिंह।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अलावा इस बात को देखते हुये कि उस ट्रक से एक विद्यार्थी कुचला गया और वह मर गया, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स करके उस ट्रक का लाइसेंस जब्त करने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल तो रही हैं, अब क्या चाहते हैं?

श्री कल्पनार्थसिंह—

आप उनको जवाब तो देने दीजिये।

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, मैंने अर्ज किया कि मामला अदालत के विचाराधीन है, सब जूडिस है। वहां से तय हो जाने पर देखा जायगा कि क्या किया जाय, क्या न किया जाय।

सूचना केन्द्र जौनपुर, मछलीशहर

*१०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना केन्द्र, जौनपुर में प्रातः सायं सामूहिक गोष्ठी के प्रबन्ध के लिये क्या व्यवस्था है?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

सूचना केन्द्र प्रातः ८ बजे से रात्रि के ८ बजे तक खुला रहता है जिससे प्रतिदिन अनेकों व्यक्ति समाचार-पत्र, पत्रिकाओं द्वारा लाभान्वित होते हैं। समय-समय पर सूचना केन्द्र में साहित्यकारों, पत्रकारों तथा अन्य प्रमुख जनों की गोष्ठियां हुआ करती हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रीय उत्कर्ष के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। यह विचार-विमर्श ध्वनि विस्तारक यंत्र से जनता के लिये प्रसारित किया जाता है। संकटकालीन स्थिति में जनता के मनोबल को स्थायी रखने के लिये साहित्यकारों तथा पत्रकारों के सहयोग से एक जन-भावना मंच का भी गठन किया गया है।

*११—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मछलीशहर सूचना केन्द्र पर अब तक कितना खर्च हो चुका है और उसका संचालन कौन करता है? क्या वहां पर हिन्दी का भी कोई दैनिक पत्र आता है?

श्री बनारसीदास—

मछलीशहर सूचना केन्द्र पर १६ फरवरी, १९६३ तक कुल १०,१८३ रु० ९६ न० पै० खर्च हुए हैं। जिला सूचना अधिकारी की देख-रेख में संरक्षक द्वारा सूचना केन्द्र का संचालन होता है। सूचना केन्द्र में हिन्दी का दैनिक समाचार पत्र "आज" आता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना केन्द्र मछली शहर कब स्थापित हुआ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इस वक्त इसकी तो सूचना नहीं है लेकिन काफी समय से वहां पर काम चल रहा है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, यही विडम्बना है। यह सूचना केन्द्र एलेक्शन के जमाने में एलेक्शन कार्य के लिये स्थापित किया गया और केवल एक साल के अन्दर जैसा कि माननीय मंत्री जी कहते हैं लगभग १० हजार रुपया उस पर खर्च हुआ...

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह पूछ लीजिए न कि आपकी समझ से उस समय से शुरू हुआ या नहीं हुआ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि यह १० हजार रुपया किन-किन मदों में खर्च किया गया और इस सूचना केन्द्र के चलाने वाले कौन सज्जन हैं?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह नहीं कहा कि एक साल पहले यह स्थापित हुआ। मैंने यह कहा कि यह तो इस वक्त सूचना नहीं है कि कब स्थापित हुआ लेकिन इसे काफी समय हो गया। १० हजार रुपया जो खर्च हुआ वह इस प्रकार से हुआ—

३२४६, रुपया ८८ न० पै० वेतन,

१९७३, रुपया ६५ न० पै० डी० ए०,

३१३, रुपया ४८ न० पै० टी० ए०; और

४६४९ रुपया ९५ न० पै० कंटिंजेंसी पर खर्च हुआ।

और इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक संरक्षक केन्द्र के लिये नियुक्त करता है जिसका वेतन-क्रम ४५-२-६५ होता है और वहां पर वही उसका संरक्षण करता है। जिला सूचना अधिकारी की आमतौर पर उस पर देख-रेख रहती है। कभी-कभी वह जाते हैं। वहां पर उसका साइन-बोर्ड भी लगा रहता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को मानकर इस बात की जांच करायेंगे कि इस साल से यह सूचना केन्द्र नहीं चल रहा है, केवल नाम मात्र के लिये साइन बोर्ड लगा हुआ है? यह पैसा गलत तरह से खर्च हुआ है, क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री बनारसीदास---

माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसको देख लिया जाय तो इसको देख लिया जायगा लेकिन यह बात सही नहीं है कि वहां नाम मात्र का साइन बोर्ड है। वहां पर साप्ताहिक पत्र आते हैं, दैनिक पत्र आते हैं और हमारे यहां से जो साहित्य प्रकाशित होता है वह कुल जाता है।

श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह केन्द्र कब से चल रहा है ? मंत्री जी ने कहा कि काफी दिनों से यह केन्द्र चल रहा है लेकिन कब से चल रहा है यह सूचना नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कब से चल रहा है ?

श्री बनारसीदास---

वास्तव में इसकी सही तारीख क्या है वह तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि इस का प्रश्न नहीं पूछा गया था। जितना पूछा था उसकी जानकारी करके मैंने बतला दी।

[२८ फरवरी, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१---श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

[१४ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किया गया।]

गन्ना संघ सेवा नियमों के प्रतिपालन में अनियमितता

*२---श्री बालकराम वैश्य (जिला लखनऊ)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि०, लखनऊ के "गन्ना संघ सेवा नियमों" में यह प्रतिबन्ध होते हुए कि किसी कर्मचारी को एक पद पर पांच वर्ष की सेवायें पूर्ण किये बिना उससे उच्च पद पर नियुक्त न किया जायेगा, उक्त संघ ने अपनी कार्यकारिणी समिति के सदस्य के पुत्र को उक्त नियम की अवहेलना करके तरक्कियां दीं ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)---

गन्ना संघ सेवा नियम (Cane Unions Service Rules) समिति के प्रधान कार्यालय (Federation) के कर्मचारियों पर लागू नहीं है, अतएव इसकी अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता। यद्यपि यह ज्ञात हुआ है कि गन्ना संघ की कार्यकारिणी समिति के एक सदस्य के पुत्र की तरक्कियां दी गई हैं।

नोट---तारांकित प्रश्न १०-११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*३—श्री बालकराम वैश्य—

यदि हां, तो उत्तर प्रदेशीय गन्ना संघ एवं गन्ना समिति कर्मचारी यूनियन, लखनऊ ने जून, १९६२ में उन तरक्कियों के विरुद्ध गन्ना आयुक्त, उ० प्र० को जो रिप्रेजेन्टेशन दिया, जिसकी प्रतिलिपियां गन्ना विकास मंत्री तथा उपमंत्री श्रम को दी गयी तथा कर्मचारियों ने भी जो अपील की उन अपीलों तथा रिप्रेजेन्टेशन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ की कार्यकारिणी के सदस्य के पुत्र को तरक्कियां देने के विरुद्ध उत्तर प्रदेशीय गन्ना समिति कर्मचारी यूनियन, लखनऊ, के प्रेसीडेन्ट ने जून, १९६२ में गन्ना आयुक्त को जो रिप्रेजेन्टेशन दिया था, और जिसकी प्रतिलिपि गन्ना विकास मंत्री तथा उपमंत्री श्रम को भी प्राप्त हुई थी, उस पर गन्ना आयुक्त की टिप्पणियां (Comments) शासन को प्राप्त हो चुकी हैं और विचाराधीन हैं ।

Federation के एक कर्मचारी की अपील भी गन्ना आयुक्त ने अपनी टिप्पणियों सहित शासन को भेज दी है, जो शासन के विचाराधीन है।

Federation के एक अन्य कर्मचारी की अपील गन्ना आयुक्त के कार्यालय में ही विचाराधीन है।

लघु उद्योगों तथा चीनी मिलों की स्थिति

*४—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र ने कोई कमेटी लघु उद्योगों तथा चीनी मिलों की वर्तमान स्थिति की जांच करने हेतु नियुक्त की है जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न फैक्टरियों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट देगी ? यदि हां, तो क्या इस कमेटी के बनने के पहले केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार से भी सुझाव मांगे थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस अधीक्षक

*५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों के पुलिस अधीक्षकों का स्थानान्तरण ३ वर्ष के अन्दर नहीं हुआ है और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ऐसा कोई भी जिला पुलिस अधीक्षक नहीं है जिसका कार्यकाल एक जिले में ३ साल से अधिक हो गया हो ।

देवरिया जिले से सुरक्षा कोष में प्राप्त सोना व धन

*६—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया), श्री कृष्णा तथा श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने मुख्य मंत्री के पास जिला सुरक्षा समिति, देवरिया से इस्तीफा देने की सूचना देवरिया में सुरक्षा कोष एवं सोना वसूली में व्याप्त जुर्म, भ्रष्टाचार का आरोप करते हुए गत २३ जनवरी, १९६३ को दिया है ? यदि हां, तो निष्पक्ष जांच कमीशन बैठाकर जांच करायेंगे और उक्त इस्तीफा पत्र की प्रतिलिपि क्या सदन की सभी मेजों पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां ।

जी नहीं, निष्पक्ष जांच कमीशन बैठाये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है, उक्त इस्तीफा पत्र की प्रतिलिपि भी सदन की मेजों पर रखी जाने की आवश्यकता नहीं मालूम होती ।

*७—श्री चन्द्रबलीसिंह, श्री कृष्णा तथा श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या देवरिया के सुरक्षा कोष एवं सोना वसूली संबंधी निम्न सूचनायें देंगे—

(क) कुल कितना सोना, कितने लोगों से प्राप्त हुआ ? उसमें विभिन्न नामों के अलग-अलग कितने गहने हैं तथा कितना सोना है ? शुद्ध कितना है और अशुद्ध कितना है ?

(ख) शुद्ध सोना बनाने पर कितना शुद्ध सोना और कितना कचरा निकला ?

(ग) कितना नकद वसूल हुआ और अलग-अलग विभागों ने कितना वसूल किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

देवरिया जिले में ७५,७८५ ग्राम सोना १२,८११ दाताओं से प्राप्त हुआ, इसमें विभिन्न नामों के अलग अलग गहने की सूची संलग्न तालिका "क" पर प्रस्तुत है। शुद्ध व अशुद्ध सोने की मात्रा उसके गलाए जाने पर पता चलेगी, क्योंकि अभी स्वर्ण व आभूषण अपने मूल रूप में ही रक्खे गये हैं।

इसका प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्राप्त आभूषण तथा स्वर्ण को अभी मूल रूप में ही रखा गया है।

जिले से कुल १५,१३,३४७.६१ न० पै० नगद सुरक्षा कोष में दिया गया, विभागीय आधार पर संकलन का ब्यौरा संलग्न तालिका "ख" पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४७७—४७८ पर)

*८—श्री चन्द्रबलीसिंह, श्री कृष्णा तथा श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

देवरिया में सुरक्षा फंड एवं सोना वसूली में किन-किन आफिसरों ने काम किया तथा उन पर १ नवम्बर, १९६२ से १ जनवरी, १९६३ तक टी० ए०, डी० ए०, पर कितना व्यय हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

पुलिस विभाग के अधिकारियों को छोड़कर जिले के प्रत्येक विभाग के अफसरों ने इस कार्य में हाथ बटाया। अधिकांश सामान्य विभागीय कार्य के साथ-साथ ही सुरक्षा का कार्य भी किया गया ताकि टी० ए०, डी० ए० का खर्चा न हो।

*९—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

[१४ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद व लखनऊ हाई कोर्ट में जज

*१०—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तथा लखनऊ हाई-कोर्ट में शेडयूल्ड कास्ट के कितने जज नियुक्त हैं तथा उनकी कुल संख्या क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें लखनऊ बेंच भी शामिल है, कोई शेड्यूल्डकास्ट के जज नहीं हैं। इस समय जजों की संख्या इस प्रकार है :

चीफ जस्टिस	१
स्थायी जज	२०
अस्थायी अतिरिक्त जज	४

सूचना कार्यालय, बाराबंकी

*११—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सूचना विभाग में जो लिपिक कार्य कर रहे हैं उनके पदोन्नति की क्या व्यवस्था है ? किन-किन जिलों के लिपिकों को अपर ग्रेड का स्केल दिया गया है ?

श्री बनारसीदास—

जिलों के सूचना कार्यालयों में जो लिपिक कार्य कर रहे हैं उनके पदोन्नति की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः किसी लिपिक को अपर ग्रेड दिये जाने पर प्रश्न ही नहीं उठता।

*१२—श्री गिरजाप्रसाद—

बाराबंकी सूचना केन्द्र में कितने लिपिक हैं? वे कब से काम कर रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार की तरक्की का अवसर दिया गया है या नहीं?

श्री बनारसीदास—

बाराबंकी सूचना केन्द्र में कोई लिपिक नहीं है। सूचना कार्यालय बाराबंकी में दो लिपिक हैं। एक मार्च, सन् १९६० से तथा दूसरा जनवरी, १९६२ से कार्य कर रहा है। इन लिपिकों की तरक्की का अभी कोई प्रश्न नहीं उठा।

*१३—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी सूचना केन्द्र कार्यालय इस समय कहां और कब से है? पहले यहां था और वहां से हटाने के क्या कारण थे?

श्री बनारसीदास—

बाराबंकी का जिला सूचना कार्यालय तथा सूचना केन्द्र इस समय फैजाबाद रोड पर राजकीय इन्टर कालेज के सामने १ फरवरी, १९६० से स्थित है। इसके पूर्व बाजार की एक बिल्डिंग में स्थित था। पुरानी बिल्डिंग में कार्यालय तथा सूचना केन्द्र के लिये पर्याप्त स्थान तथा सुविधा न होने के कारण इसे वहां से बदल दिया गया।

सुरक्षा कोष में प्राप्ति

*१४—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अब तक कितना-कितना धन-सोना तथा सामान किस-किस जिले से सुरक्षा कोष में, मुख्य मंत्री कोष तथा प्रधान मंत्री कोष में दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रदेश के प्रत्येक जिले में सुरक्षा कोष के अन्तर्गत १६ फरवरी, १९६३ तक एकत्र धन एवं सोना का मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री कोष का पृथक-पृथक ब्यौरा संलग्न तालिका में उल्लिखित है।

जहां तक सामान का प्रश्न है वह जिलों में सेना सेवा समितियों और नागरिक परिषदों को प्राप्त हुआ है तथा उनको सेना दफ्तर की मार्फत जवानों के पास पहुंचाया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४७९–४८० पर)

*१५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों से सुरक्षा कोष के धन में गड़बड़ी करने की खबरें सरकार के पास अब तक आयी हैं तथा सरकार द्वारा जो गड़बड़ हिसाब हुआ है उसके विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रदेश के २८ जिलों से सुरक्षा कोष के धन में गड़बड़ी करने के अभियोग सरकार के पास अब तक आये हैं तथा सरकार ने उन अभियोगों को जिलाधीशों के पास व्यक्तिगत रूप से जांच के लिये भेजा है।

लखनऊ-कानपुर ट्रेन में रंगरूटों और छात्रों में मारपीट

*१६—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद), श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय तथा श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २६ जनवरी, १९६३ की रात्रि को उन्नाव रेलवे स्टेशन पर छात्रों तथा यात्रियों के बीच संघर्ष हो गया था?

*१७—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ रंगरूटों ने उक्त संघर्ष में भुजाली का प्रयोग किया ?

*१८—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यात्रियों का छात्रों से कोई संघर्ष नहीं हुआ बल्कि कुछ लोगों ने जिनमें छात्र भी शामिल थे उन्नाव रेलवे स्टेशन पर एक रिजर्व डिब्बे में जिसमें फौजी रंगरूट थे जबरदस्ती घुसकर मार-पीट की एवं सामान लूटा। रंगरूटों द्वारा भुजाली इस्तेमाल करने की कोई सूचना नहीं है। घटना इस प्रकार हुई—

२६ जनवरी, १९६३ को लखनऊ से कानपुर की ओर जाने वाली गाड़ी से रात ८.३० बजे तीसरे दर्जे के एक रिजर्व डिब्बे में २२ फौजी रंगरूट सवार हुए। गाड़ी जब उन्नाव स्टेशन पर लगभग ११.३० बजे रात पहुंची तो उक्त रिजर्व डिब्बे पर ईंट पत्थर फेंके गये तथा कुछ लोगों ने जबरदस्ती खिड़की से घुस कर दरवाजा खोल दिया। इतने में और लोग डिब्बे में चढ़ गये। और उन सब ने रंगरूटों को मारा पीटा तथा उनके कपड़े, अन्य सामान, रुपया आदि छीना। फौरन रेलवे पुलिस ने जिला पुलिस की सहायता से गाड़ी को घेर लिया और मौके पर १९ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। बहुत-सा सामान भी बरामद किया। ९ रंगरूटों को चोटें लगीं। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के खिलाफ, जिनमें ९ छात्र हैं, अदालत में मामला विचाराधीन हैं।

रिहन्द एवं माताटीला से मिलने वाली बिजली

*१९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार ने रिहन्द बांध व माताटीला बांध द्वारा उत्पन्न बिजली तथा उन बांधों के पानी के वितरण का कोई कार्यक्रम बनाया है ? यदि हां, तो उससे कितनी बिजली उत्पन्न होगी और आगामी वित्तीय वर्ष में किन-किन क्षेत्रों में प्रसारित की जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

रिहन्द बांध एक विद्युत् परियोजना है अतः इस बांध के पानी के वितरण का प्रश्न नहीं उठता। पावर स्टेशन के सहायक भार (auxiliary load) के लिये लगभग २,००० किलोवाट बिजली अलग करने के बाद, रिहन्द पावर स्टेशन से १,०३,००० किलोवाट बिजली बराबर मिलती रहेगी जिसके वितरण के बारे में सूचना नत्थी किये गये ब्योरे में दी हुई है।

माताटीला एक मल्टीपरपज परियोजना है और इस परियोजना से शत प्रतिशत लोड फैक्टर पर १०,००० किलोवाट बिजली बराबर मिलती रहेगी। माताटीला बांध के पानी तथा इस परियोजना से उत्पन्न बिजली के वितरण के बारे में सूचना भी नत्थी किये गये ब्योरे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४८१ पर)

मुगराबादशाहपुर इन्टर कालेज से सुरक्षा कोष में प्राप्ति

*२०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के वे कौन से स्कूल और कालेज हैं जिन्होंने १,५०० रुपया मासिक सुरक्षा कोष में युद्ध चलते रहने तक देने की घोषणा की है ? अब तक इन संस्थाओं ने सुरक्षा कोष में अलग-अलग कितना धन दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस जिले में केवल सार्वजनिक इंटर कालेज मुगराबादशाहपुर के अध्यापकों तथा प्रबंध समिति ने युद्ध चलते रहने तक १,५०० रुपया मासिक सुरक्षा कोष में देने की घोषणा की थी।

प्रबंध समिति के सदस्यों ने वैयक्तिक रूप से ५०० रुपया जिलाधीश को दे दिया है। प्रथम मास में विद्यालय से कुल १,२६६ रु० सुरक्षा कोष में, दिया गया।

*२१—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में दी जाने वाली घोषित राशि को उन संस्थाओं के अनुदान से प्रति मास काटने की व्यवस्था करेंगे जो घोषित धन नहीं दे रहे हैं और न देने का इरादा है और जिन्होंने केवल प्रचार मात्र के लिये घोषणा कर दी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं । सुरक्षा कोष में चंदा स्वेच्छा से लिया जाता है ।

*२२-२३—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

[७ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२४-२५—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

[हटा दिये गये ।]

*२६-२८—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

[१४ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

हेवी इलेक्ट्रिकल्स फैक्टरी, हरिद्वार के लिए अधिगृहीत भूमि का प्रतिकर

*२९—श्री ऊदल तथा श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को पता है कि हरिद्वार (ज्वालापुर) के पास भारी बिजली का सामान बनाने के लिये नवम्बर, १९६१ में १५ गांवों की जमीन ले ली गयी है और अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वर्ष १९६२ में उल्लिखित स्थान पर हैवी इलेक्ट्रिकल्स फैक्ट्री की स्थापना हेतु ८ गांवों की लगभग ८,००० एकड़ भूमि ली गई है और उसका मुआवाजा अब तक नहीं दिया जा सका है परन्तु शीघ्र दिये जाने की संभावना है ।

विस्तृत भूमि के अधिग्रहण होने के कारण कृषकों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में की गई आपत्तियों के निराकरण तथा विभिन्न प्रकार की भूमि की दरों के निर्धारण एवं मुआवजे के स्टेटमेंट्स बनने में काफी समय लगना स्वाभाविक ही है ।

*३०-३१—श्री ऊदल तथा श्री झारखंडेराय—

[४ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १९-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

आगरा मालखाने से हथियारों की बिक्री

*३२—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, १९५९ से जनवरी, १९६२ तक आगरे के किसी ए० डी० एम० ने मालखाने से रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफिल आदि हथियार खरीदे हैं ? यदि हां, तो कितने और किस कीमत पर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उक्त अवधि में आगरे के दो अतिरिक्त जिलाधीशों ने मालखाने से हथियार खरीदे हैं जिसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४८२ पर)

*३३—श्री शिवचरण—

[१४ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

गोलागोकरननाथ में कागज का कारखाना न खुलना

*३४—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर-खीरी में कागज का कारखाना खोलने का लाइसेंस किस व्यक्ति को दिया गया और यह कारखाना कब तक चालू होने की संभावना है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सर्वश्री हिन्दुस्तान शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, गोलागोकरननाथ, जिला लखीमपुर-खीरी को भारत सरकार ने गोलागोकरननाथ में एक कागज का कारखाना खोलने के लिये, फरवरी १९६१ में, इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेगूलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत एक लाइसेंस प्रदान किया था । परन्तु उक्त कम्पनी ने कारखाना खोलने का विचार त्याग दिया है और ८ फरवरी, १९६३ को भारत सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने यह प्रार्थना की है कि उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाय ।

मंत्रियों व सभासचिवों के दौरे

*३५—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १४ दिसम्बर, १९६२ के बाद किन-किन मंत्रियों ने व सभा सचिवों ने किन-किन स्थानों का दौरा किया, कितने उद्घाटन किये तथा इन दौरों तथा कार्यक्रमों में सरकार का कितना व्यय हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना तालिका *१ और २ में सदन की मेज पर प्रस्तुत है । तालिका १ में स्थानों का तथा तालिका २ में व्यय का उपलब्ध विवरण है । दौरों में अन्य सरकारी कार्य के अतिरिक्त मुख्यतः सुरक्षा कोष संग्रह करने का उद्देश्य था जिसमें मंत्रियों द्वारा लाखों रुपया तथा हजारों ग्राम सोना इकट्ठा किया गया । इसके अलावा जनता के मनोबल को ऊंचा रखना भी इन दौरों का एक उद्देश्य था ।

*३६—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[१४ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

गन्ना विकास विभाग का मैनुअल

*३७—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास विभाग का मैनुअल है कि नहीं ? अगर है तो अमल में क्यों नहीं लाया जाता ? यदि नहीं, तो कब तक बनेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

गन्ना विकास विभाग का अभी कोई मैनुअल नहीं है । अतः उसे अमल में लाने का प्रश्न नहीं उठता । लगभग अगले ६ मास में बन जाने की संभावना है ।

*३८-४०—श्री ऊदल तथा श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

[हटा दिये गये ।]

हथियारों के लाइसेन्स

*४१—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नये आर्म्स ऐक्ट के अनुसार लाइसेंस के प्रार्थी की हैसियत की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है तब भी जिलाधीशों द्वारा प्रार्थीगण की हैसियत की जांच तहसील व परगनाधीशों द्वारा करायी जाती है ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार केवल भविष्य में पुलिस की जांच पर लाइसेंस देने की कृपा करेगी ?

---

* छापी नहीं गईं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह सही है कि नये आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत कोई भी प्रार्थना-पत्र इस बिना पर खारिज नहीं किया जा सकता कि प्रार्थी की हैसियत काफी नहीं है, फिर भी लाइसेंसिंग अथौरिटीज़ को इस बात का इतमीनान करना पड़ता है कि प्रार्थी हथियार रखने के योग्य हैं और हथियार को सुरक्षित रख सकता है और इसके लिये जिलाधीश अब भी प्रार्थी की हैसियत के संबंध में आवश्यक जांच करा सकते हैं । हथियारों के लाइसेंस नये आर्म्स ऐक्ट तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार ही दिये जाते हैं ।

*४२–४३—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

[१४ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[१४ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४५–४६—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

[१४ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

गाजियाबाद मास्टर प्लान के लिए भूमि अर्जन

*४७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के संबंध में दिसम्बर, १९६२ व जनवरी, १९६३ में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गाजियाबाद में दिसम्बर, १९६२ में ५४ और जनवरी, १९६३ में ७१, इस प्रकार १२५ गिरफ्तारियां भूमि अर्जन के सिलसिले में की गई थीं । यह गिरफ्तारियों क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत हुई थीं ।

गत जूलाई में ग्राम सिहानी, नूरनगर, सद्दीक नगर और रजापुर, थाना गाजियाबाद की ५५० एकड़ जमीन यू० पी० स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के लिये इस वास्ते अर्जित की गई थी कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना चालू की जा सकें । उस समय इस जमीन पर कब्जा भी कर लिया गया था और कब्जा करते समय वहां के किसानों को यह अवसर दे दिया गया था कि वे अपनी फसलें काट लें परन्तु कोई नई फसल इस जमीन पर न बोयें ।

जमीन पर स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन का कब्जा हो जाने के बावजूद भी किसानों ने इस जमीन को बोने की चेष्टा की तथा कारपोरेशन की तरफ से जमीन पर सड़क इत्यादि बनाने का जो कार्य हो रहा था, उसमें बाधा डाली । अतः यह गिरफ्तारियां करनी पड़ीं ।

अतारांकित प्रश्न

मेदनीपुर के गन्ना किसानों की प्रार्थना

१—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोई दरख्वास्त गोरखपुर जिले के घुघली चीनी मिल जोन के मेदनीपुर ग्राम के काश्तकारों ने केन कमिश्नर, जिला गन्ना अधिकारी आदि को इस हेतु सन् १९६२–६३ सीजन में दिया है कि उनका गन्ना कप्तानगंज मिल जोन में न भेजकर घुघली मिल जोन में ही रखा जाय ? यदि हां, तो सरकार ने उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, निर्दिष्ट क्षेत्र के काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र पर गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम मेदनीपुर पुनः घुघली चीनी मिल को सीजन १९६२–६३ के शेष भाग में गन्ना पूर्ति हेतु १३ फरवरी, '६३ से अलाट कर दिया गया है ।

२–३—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

[१४ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[१४ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

देवरिया तथा अन्य जिलों में चीनी मिलों पर बकाया

५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के चीनी मिलों के सीजन १९६२–६३ के चालू होने की तिथियां क्या हैं ? वे मिलें गन्ना पेरना प्रारम्भ करने के कितने दिनों के बाद से गन्ने का दाम भुगतान करने लगी हैं ? क्या समय से गन्ने का दाम भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध कोई उचित कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

निर्दिष्ट सीजन में देवरिया जिले की चीनी मिलों के चालू होने की तारीख तथा उसके उपरांत जब से गन्ने के मूल्य का भुगतान आरम्भ हुआ उसका विवरण संलग्न तालिका 'क' में दिया हुआ है । गन्ना आयुक्त ने ऐसी सभी बकायादार मिलों के विरुद्ध रिकवरी सार्टीफिकेट जारी कर दिये हैं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४८३ पर)

६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश भर में सीजन १९६१–६२ गन्ने का दाम किस मिल के पास कितना-कितना अब भी बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

३१ जनवरी, १९६३ को प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर सीजन १९६१–६२ का गन्ने के मूल्य की जितनी रकम बकाया थी उसका विवरण संलग्न तालिका 'ख' में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४८४ पर)

७–८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[१४ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

९–११—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

[१४मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

बाराबंकी कोतवाली के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*१२—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १४ जनवरी, १९६३ या अन्य दिनांक को बाराबंकी जिला अस्पताल का दूध थाना कोतवाल के कर्मचारियों द्वारा रोक लिये जाने की शिकायत सिविल सर्जन ने आरक्षा अधीक्षक, बाराबंकी को की थी ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां।

शिकायत की जांच की जा रही है।

मंत्रि परिषद् के सदस्यों के दौरे पर व्यय, सचिवालय में पदों की समाप्ति

१३--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६२ से जनवरी, १९६३ तक मन्त्रिपरिषद के सदस्यों ने किन-किन तारीखों को कहां-कहां सरकारी व्यय पर दौरे किये और अलग-अलग कितना-कितना व्यय हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

वांछित सूचना तालिका† १ और २ में सदन की मेज पर प्रस्तुत है। जिन स्थानों का दौरा किया गया एवं तारीखों का विवरण तालिका १ में दिया गया है। तालिका २ में व्यय का उल्लेख है, उन मदों का जिनका विवरण उपलब्ध है अथवा बिल प्राप्त हो गये हैं।

१४--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के किन-किन विभागों के किन किन पदों को मितव्ययिता हेतु समाप्त किया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

सामान्य प्रशासन (पुनर्संगठन) विभाग में एक सहायक अधीक्षक, एक प्रवर वर्ग सहायक, दो अवर वर्ग सहायक, दो संगठन एवं व्यवस्था अधिकारी के पदों को समाप्त किया गया है। इनके अतिरिक्त चिकित्सा विभाग में भी एक प्रवर वर्ग सहायक का पद समाप्त किया गया है।

इन पदों के अतिरिक्त एक पद उप सचिव, मुख्य सचिव शाखा तथा उप-संचालक, संगठन एवं व्यवस्था डिवीजन उत्तर प्रदेश का रिक्त रखा गया है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राज्यपाल महोदय का आपके धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो पत्र आया है वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं--श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके पत्र दिनांक २० फरवरी, १९६३ के लिये, जिसे आपने व विधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों ने आकर भेंट किया, धन्यवाद देता हूं। मैं विधान सभा के प्रस्ताव के लिये, जिसको उन्होंने अपनी ७ फरवरी, १९६३ की बैठक में स्वीकार किया, आभारी हूं।

भवदीय :
विश्वनाथ दास।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत तीन सूचनायें आई हैं जिनमें पहली सूचना माननीय जगन्नाथ राव की है। वह स्वर्णकारों के सम्बन्ध में है जिसमें उनके बेकार होने की बात कही गई है। यह प्रश्न कई दफा आया जिसको पहले अस्वीकार कर दिया गया था। मैं चाहता हूं सरकार आज या कल या और किसी दिन बजट भाषण में इस बात को साफ कर दे। बाकी दो सूचनायें, जो कम महत्व की हैं, मैंने उनको अस्वीकार कर दिया है।

---

† छापी नहीं गई।

कतिपय विषय के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन, माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने आपके सामने एक प्वाइंट आफ आर्डर रखा था। उसके सम्बन्ध में आपने कहा था कि मैं व्यवस्था दूंगा। तो क्या आप आज उस पर व्यवस्था देंगे? माननीय काशीनाथ मिश्र ने उस दिन इस सदन में इस बात की चर्चा की थी और अपना प्वाइंट आफ आर्डर रखा था कि जो विधान सभा के सचिव है वह समय-समय पर आपको डाइरेक्शन दिया करते हैं। तो उस सम्बन्ध में आपने कहा था कि आप विचार करके उस पर अपनी व्यवस्था देंगे। अगर आपने उसको देखा न हो तो देखने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे जो विचार थे वह मैंने उसी दिन बतला दिये थे। अगर आप और चाहते हैं तो मैं उसको अध्यक्ष महोदय के पास भेज दूंगा। मैंने अपनी राय उस दिन जाहिर कर दी थी।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

आपने अपनी राय जाहिर नहीं की थी। अगर आप उसको देख लें तो अच्छा होगा।

१९६३-६४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)*

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट या आय-व्ययक किसी देश या प्रदेश की आर्थिक अवस्था का प्रतिबिम्ब ही नहीं होता, बल्कि उसकी नीतियों का भी द्योतक होता है। यूं तो हमारा बजट इस वक्त मामूली घाटे का है और यह कई लोगों ने स्वीकार भी किया है कि घाटे का बजट एक प्रकार से अच्छा ही होता है। हमारे बजट सामयिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही बनाये जाते हैं और जनसाधारण या सदन के माननीय सदस्य उस को उसी रूप में देखना चाहते हैं जैसी कि समय की मांग हो। पुलिस बजट को लोग अच्छा नहीं समझते और अपेक्षा करते हैं गणतन्त्र राज्य में कि पोलिटिकल बजट आये, लेकिन इस समय समय की मांग को देखते हुये सभी यह अपेक्षा करते थे और करते हैं कि हमारे बजट में सुरक्षा पर काफी धन व्यय किया जायगा और वह किया भी गया है। सभी ने उसका स्वागत किया, परन्तु फिर भी हम इसको पुलिस बजट नहीं कह सकते, क्योंकि सोशल सर्विसेज में, कल्याणकारी कार्यों में, अपेक्षाकृत बहुत अधिक धन खर्च किया जा रहा है। विरोधी दल की ओर से यह शिकायत की जाती है कि हमारे बजटों में घाटा दिखाया जाता है और अन्त में वे सरप्लस हो जाते हैं। यह बात सही है और इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पास या तो फारेन एक्सचेंज की कमी हो जाती है या रा-मेटीरियल या अन्य साधनों की, लोहे की, सीमेंट की कमी हो जाती है और इसीलिये बचत हो जाती है। हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो कुछ बचत इस बजट में दिखाई, उसे नेता विरोधी दल ने पर्याप्त नहीं समझा और एक तरह से उसका मजाक उड़ाया। वास्तविक बात यह है कि कल्याणकारी कार्यों में बचत करना बड़ा असम्भव-सा होता है। अभी तक जिन वक्ताओं ने इस विवाद में भाग लिया, उनमें से किसी ने यह संकेत नहीं किया कि अमुक में कमी की जा सकती थी। केवल गोल बात कह दी गयी कि कमी की जाय। अगर कमी कर दी जाय तो कहा जायगा कि इसके बगैर काम नहीं चलता। हमारे कुंवर श्रीपाल जी ने कहा कि कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट से आडिटर्स को कम कर दिया। जब लेखा-जोखा घटेगा तो आडिटर्स की कमी होगी यह कह कर एक तरह से आप अपनी बात को स्वयं काट रहे थे।

---

*२१ फरवरी, १९६३ की कार्यवाही से।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

जिन कार्यों को होना है उन्हीं को समाप्त कर दिया जाय तो काम क्या होगा? हमने सर्विसेज को ही काटा है और यह आपके मन की बात है। आपको तो इसको बुरा नहीं मानना चाहिये। ५ दिन साधारण विवाद में लगे हैं और यों तो बजट में परिवर्तन करने का अर्थ अविश्वास होता है सरकार में, लेकिन बहुमत जब एक बात पर जोर देता है, तो बजट में उस कार्य को लिया जाता है।

गवर्नमेंट कर सकती है सप्लीमेंटरी के तौर पर। जैसे अभी माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि पूर्वी जिलों के लिये उन सिंचाई योजनाओं को हम अनुपूरक बजट में भी ले आयेंगे। मगर आप लोग कोई एक बात मिल कर तो तय करें। इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आता है। मैं तो यह देखता हूं कि एक-एक बात को काटा जाता है। पहले तो वक्ता स्वयं अपनी बात को ही काट देता है, फिर एक पार्टी की बात दूसरी पार्टी काट देती है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर गवर्नमेंट किस चीज को स्वीकार करे? मैं समझता हूं कि इससे साधारण वाद-विवाद का जो असली मन्तव्य है वह कदापि नहीं पूरा होता है। मैं यह देखता हूं कि किसी एक बात को लेकर जनता की मांग कह करके कई बार उस पर इस सदन में वाद-विवाद हो चुका, विचार व्यक्त किये जा चुके, मगर मैं यह देखता हूं कि फिर भी उसी बात को दोहराया जाता है और उसी लकीर को पीटा जाता है। यह मैं आपको नम्रतापूर्वक बता देना चाहता हूं कि इससे प्रदेश का कोई हित नहीं होने वाला है। आप देखें कि यथार्थ में बजट के साथ कोई न्याय नहीं होता है।

हमारे माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में केवल १० करोड़ रुपया रखा गया है और वह बहुत कम है। मैं भी चाहता हूं कि यह कम नहीं होना चाहिये, बल्कि यह और अधिक होना चाहिये। मगर उन्होंने यह नहीं देखा कि यह ६५ करोड़ ३९ लाख कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसमें से चूंकि ५५.८५ करोड़ योजना के अन्तर्गत आता है इसलिये वह घटाकर १० करोड़ दिखाया गया है। अन्यथा जैसा मैंने कहा कि ६५ करोड़ ३९ लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो यह बात सही है कि हमारी पर कैपिटा इनकम इस बीच में १०-१२ वर्ष के अन्दर इन योजनाओं के दौरान में घटी नहीं है बल्कि स्थिर रही है। आप देखें इस वक्त कि १९५०-५१ में २५९.६२ थी तो आज यह १९६०-६१ में २६८.७ है। यों तो देखने से १० का अन्तर मालूम होता है मगर मैं इसको बढ़ा हुआ नहीं मानता हूं। इसको मैं एक प्रकार से स्टैटिक मानता हूं। पर कैपिटा इनकम ही इस बात की द्योतक है कि हमने कोई प्रगति की है या नहीं। अगर विरोधी दल के नेताओं से यह कोई उम्मीद करें कि वह इसके लिये सरकार को बधाई दें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मगर उसका कारण क्या है। आप देखें कि जिस प्रकार से हमारी आबादी बढ़ी है और जिस प्रकार से पूंजी की लागत हमने लगाई, उसके मुकाबले में हमारी इनकम में फाल होना चाहिये था, हमारी पर कैपिटा इनकम को नीचा गिरना चाहिये था, मगर यह सरकार के सोशल सर्विसेज में खर्च करने की वजह से, यह स्थिर रही। मैं आप से बता देना चाहता हूं कि हमारे इनवेस्टमेंट कितने कम थे। आप देखें कि यह इनवेस्टमेंट हमेशा तीन तरह के होते हैं। एक तो प्रदेशीय होते हैं, दूसरे सेंट्रल प्रोजेक्ट के होते हैं तथा तीसरे प्राइवेट इनवेस्टमेंट के होते हैं। स्टेट वाले तो चाहे कुछ भी हों, वह अपनी-अपनी स्टेट में अपनी-अपनी प्रोजेक्ट्स लगायेंगे। मगर सेंट्रल और प्राइवेट सेक्टर वाले तो वहीं लगायेंगे जहां मिनिमम कास्ट पड़े। यह मिनिमम कास्ट कहां पड़ेगी, जहां पर कि सोशल सर्विसेज ज्यादा होंगी, यातायात के साधन ज्यादा होंगे, ट्रांस्पोर्ट की फैसिलिटीज और इर्रीगेशन की फैसिलिटीज अधिक होंगी। हमारे देश में अगर हम सोशल सर्विसेज को पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिये इन प्रोजेक्ट्स में लगायें तो प्रोजेक्ट्स लगेंगी कैसे क्योंकि, मिनिमम कास्ट नहीं पड़ती है और अगर हम इस प्रकार से लगाते हैं तो प्रोजेक्ट्स कम होती हैं। इस प्रकार से यह एक बड़ा विशश सर्किल हो जाता है और इससे निकलने का कोई तरीका

ढूंढना पड़ता है। केवल दो तरीके मेरी समझ में आये हैं और कोई भी माननीय सदस्य इस सदन का कोई बात बता नहीं सकता है। सोशल सर्विस में हमने लैंड रिफार्म्स और चकबन्दी की है। इरिगेशन में पहले प्लान में आल इंडिया के प्रोपोर्शन में हमारे यहां इरिगेशन ज्यादा बढ़ा है, लेकिन चूंकि पहले कम था इसलिये वह नहीं मालूम होता। एजूकेशन में हम बढ़े, न्यायपंचायत में आगे बढ़े। इसलिये पर कैपिटा इनकम नहीं गिरने पायी। देहात में जितनी तरक्की हम चाहते हैं वह नहीं है, लेकिन पक्के मकान भी दिखाई देते हैं। गेहूं और चावल भी लोग खाते हैं, पहले कोर्स ग्रेन खाते थे। पहले ४ नम्बर का चावल पहली योजना में एक लाख टन हमारे यहां पैदा होता था, वह बढ़ करके पहली योजना के बाद जो ११० लाख टन का टार्गेट था वह ११२ लाख टन हुआ। दूसरी योजना में जो टार्गेट १४० का था, वह १४२ लाख टन हुआ। इसी तरह से सीमेंट और चीनी में प्रगति हुई है।

तो इसका कारण क्या था? इनवेस्टमेंट हमारे कम थे लेकिन सोशल सर्विसेज की वजह से हम अपनी पर कैपिटा इनकम को स्थिर रख पाये। देहात में जहां लोग अपना पेट काट कर गुजर-बसर करते थे, अगर आप देखें कि किसान सरप्लस है तो मार्केटेबिल सरप्लस जोकि १९५८-५९ में ७०० था, वह १९५९-६० में ८१० हुआ और १९६१-६२ में १० हजार के करीब हुआ। अन्न के उत्पादन में हर चीज के उत्पादन में बढ़ोत्तरी है। हमारी समृद्धि की यार्डस्टिक पर कैपिटा इनकम है, इसको कैसे बढ़ाया जाय? यह प्रश्न हमारे सामने है। अगर इसको डबल करना है पंचवर्षीय योजना के अन्त में तो वह तब हो सकता है जबकि प्रदेशीय आय ५,१६६ करोड़ हो। जितने साधन प्रदेश में हो सकते हैं वह तो सब लगाये ही जायेंगे। यह बात सही है कि हमारे प्रदेश में पर कैपिटा टैक्सेशन सारे देश के अन्दर कम है, मगर पर कैपिटा इनकम भी कम है, इसलिये यहां के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। तब हम केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर सकते हैं कि वह प्रदेश में जो रीजनल डिस्पैरिटी है, जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां अपने प्रोजेक्ट्स खोलें और प्राइवेट लोगों को मजबूर करें कि प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्रीज खोलें।

जेड० ए० अहमद साहब की शिकायत थी कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने ब्लूप्रिंट्स ठीक से नहीं भेजते हैं, न भेजा करते हैं और न उन पर जोर ही देते हैं। मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि वे उस वक्त शायद कौंसिल आफ स्टेट में ही थे, मैंने उस वक्त वहां हर मेम्बर को लिखा था। मैं उस वक्त डिप्टी मिनिस्टर प्लानिंग भी था और कुछ वक्त इंडस्ट्रीज में भी था। जो ब्लूप्रिंट उस वक्त तैयार कराया था उसमें एक नहीं कई स्कीमें गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजी थीं, जिसमें अपनी पोजीशन को क्लियर किया गया था, रीजनल डिस्पेरिटीज और पापुलेशन के सवाल की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करते हुये सारी बातें उनके सम्मुख रखी गयी थीं। छोटी इंडस्ट्रीज से लेकर बड़ी तक, डेवलपमेंट आफ हैंडलूम, मार्किंग इंडस्ट्री, कोआपरेटिव सोसाइटीज का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट आफ सेरीकल्चर, टैनिंग इंडस्ट्री, खादी और अम्बर चर्खे की इंडस्ट्री, होल वूल स्कीम, हजारों छोटी स्कीमें थीं, भदोही का कारपेट और वाराणसी का सिल्क वगैरह-वगैरह इनमें १०० लाख से लेकर २१६ लाख तक हम पहुंच गये थे। वाराणसी की रूसी योजना के अन्दर १९५७ के अन्त में हम ७० से लकर ८० लाख तक पहुंच गये थे।

हेवी इंडस्ट्रीज में जैसे अल्यूमिनियम, उसके लिये भी हमने बहुत जोर लगाया, एक्सपर्ट्स को आश्वासन भी दिये कि हम ३ वर्ष के अन्दर जो एरिड नैनी का है उसको सरसब्ज कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय भी कर दिया लेकिन बाद को बंगाल के जोर देने पर वह इंडस्ट्री वहां चली गयी। इसी तरह से रबर सोल फैक्टरी करीब ३० मीडियम साइज की और कुछ बिगर साइज की इंडस्ट्रीज.....

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

सब चली गयीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चली नहीं गयीं, अल्यूमिनियम वाली तो आ गयी मगर क्यों चली जाती हैं? उस की भी वजह है। आप बजाय इसके कि गवर्नमेंट का हाथ मजबूत करें सोशलिज्म को ऊंचा

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

करने वाली जो बातें हैं उनके भी खिलाफ चले जाते हैं तो वह चली न जायं तो हो क्या? आप ब्यूरोक्रैसी के खिलाफ भी कहते रहते हैं, जो कहना जहां तक मुनासिब नहीं है वह भी कहते जाते हैं, साथ-साथ ब्यूरोक्रेसी की पैरोकारी भी करते जाते हैं और डेमोक्रेसी की जड़ भी काटते जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस राज्य की श्री चली गयी वह राज्य कभी रह नहीं सकता। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि डिमोक्रेसी की और राज्य की श्री तोड़ने की जिम्मेदारी आप, मेरा मतलब राजा साहब आपसे ही नहीं है, सारे विरोधी दलों पर है। मंत्रिमंडल के बारे में कहा गया, तो यह तो माननीय मुख्य मंत्री का काम है कि वे अपनी कैबिनेट में कितनों को रखें कितनों को नहीं । लेकिन जितना भी रखें, अगर आप उनके प्रति, आफिसर्स और डेमोक्रेसी के प्रति, ऐसी बातें करते हैं तो आप डेमोक्रेसी की जड़ों पर कुठाराघात करते हैं । अगर एम० एल० एज० की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तो डेमोक्रेसी की कोई प्रतिष्ठा नहीं है । इस तरह की बातें करके आप डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं । यह सोचने समझने की बातें हैं । (व्यवधान) कहीं राजा साहब का यह मंशा तो नहीं है कि वे डेमोक्रेसी को खत्म करके अपना राज्य कायम करना चाहते हों ? यह हमारा और आपका परम धर्म है कि हम डेमोक्रेसी की रक्षा करें , उसकी डिगनिटी को मेन्टेन करें और उसको ऊंचा उठायें । आज पूरे संसार और एशिया में इंडिया ही एक ऐसा देश है जो डेमोक्रेसी के दृढ़ राज्य के चिराग को लेकर चल रहा है । अगर उसी पर कुठाराघात होगा, तो काम कैसे चलेगा ?

अब मैं कुछ उत्तराखंड क्षेत्र की बात कहूंगा । जो वहां के लिये स्कीम चल रही है वह केंद्रीय सरकार की मदद से चल रही है । शुरू में यह स्कीम हम लोगों ने ही बनाई थी । उसमें अलग अलग जिलों के बनाने की बात नहीं थी । लेकिन वहां के लिये हर काम की स्कीम थी । वहां पर आपको मालूम है, कितने प्राइमरी स्कूल खुले ? कितने हाई स्कूल खुले हैं ? कितने बुनाई और कताई के कारखाने खुले हैं ? ऊन की व्यवस्था के लिये वहां क्या-क्या किया गया है ? छोटी छोटी बिजली की योजनाओं के लिये वहां क्या क्या-किया गया है ? सड़कें जो वहां पर बहुत कम थीं, आज कितनी ज्यादा बढ़ गयी हैं ? इतना सब कुछ होने पर भी शिकायत हो, यह ठीक नहीं है । शिकायत करने के लिये यह तो हो सकता है कि यह सब काम बहुत स्लो हैं । मगर जिसने देखा नहीं है, वह उसको समझ क्या सकता है ? अगर आप तिब्बत के पठार से वाकिफ होते, वहां की परिस्थितियों से वाकिफ होते, तो मैं समझता हूं कि आपकी समालोचना दूसरे ही प्रकार की होती । अगर आप वहां की प्रगति को देख कर भी न देखें, तो उसके लिये मैं क्या कहूं ? आप जानते हैं पहाड़ों को तोड़ने के लिये, उनमें छेद करने में, कितनी कठिनाइयां होती हैं । छेद करने के लिये, कहीं पेड़ मिल गया तो उसमें रस्सी टांग कर उसकी मदद से उसमें छेद करना पड़ता है और तब उसमें वह मसाला भरा जाता है । फिर वहां की आबादी के अधिकांश लोग नौकरी में हैं, फौज में हैं, मजदूर मुश्किल से मिलते हैं । यह हो सकता है कि छोटी-मोटी गलती हो गयी हो । बिल में देरी हो गयी हो । मैंने खुद देखा है, नीती वैली में , मैं आपको बतलाना चाहता हूं । हमारे यहां रोड्स बनाने के लिये रात में लैम्प जला कर कार्य हो रहा है । शायद आप इस बात को समझ नहीं पायेंगे कि किस तरह और जाड़े में वे कार्य कर रहे हैं ।

जहां तक मनोबल का सवाल है, यह निश्चित बात है कि आप रक्षा करने का कोई प्रबंध किसी तरह का न करें और दुश्मन से घिर जायं, हथियार आपके पास हों नहीं तो कितना ही मनोबल वाला आदमी हो, उसका मनोबल गिर ही जायगा । लेकिन पहले से ही यह कह देना कि मनोबल गिरा हुआ है, ठीक नहीं है । माननीय उग्रसेन जी ने उस वर्ष में यह कहा था कि चीनी लोग बाराहोती से एक दिन में दिल्ली पहुंच जायेंगे, उस पर मैंने कहा था कि चीनी इस नीति वैली से कभी नहीं आ सकते हैं । आप कहेंगे, क्यों ? इसलिये कि उत्तरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं और खासकर भोटिया लोग वे हर प्रकार से उनका मुकाबला करने के लिये कटिबद्ध हैं । आप कहते हैं कि पहले आदमी का सेलेक्शन कर लिया जाता है । पहले लड़का पैदा होता है फिर कपड़े बनाये जाते हैं । पहले से अगर कपड़े बनाकर रख दें और हो जाय लड़की ? सेन्ट्रल

गवर्नमेंट को हमने बहुत से सुझाव अपनी उत्तरी सीमा के बारे में दिये हैं और उनके सामने भी बहुत से सुझाव हैं । सरकार हर प्रकार से सजग है । वहां मनोबल बहुत ऊंचा है, उसमें कोई कमी नहीं है ।

यह बात जरूर कही जाती है कि जिलों के दो हिस्से करके कमजोर ही किया है लेकिन इसको सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने माना है इसलिये इसके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यह बात जरूर समझ में आने वाली है कि जितने ज्यादा लोग होंगे, उतनी शक्ति अधिक होगी लेकिन अगर उन जिलों के लोग इससे संतुष्ट हैं तो ठीक ही बात है ।

हमने नीलम पास जो कि १० हजार से १४ हजार फीट तक है वहां पर खेती करायी है । उसके आगे ग्लेशियर है । हमने आज से ६ साल पहले बोस सेन से रिसर्च करा कर सीड तैयार कराया । थोड़े अर्से में ही गेहूं पैदा होता है । प्रधान की मेरे पास रिपोर्ट भी आयी कि वह बीज सक्सेसफुल रहा । इसके अलावा भी मैं जब वन उपमंत्री था तो सेब के बगीचे लगाने के लिये लोगों को ५–५ एकड़ जमीन देकर प्रोत्साहित किया । इस प्रकार से फलों को बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है । जहां पर मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह हैं, वहां पर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज की गुंजायश है और वहां बिजली देने की चेष्टा की जा रही है । जिस रोज मैं जोशीमठ में था उसी रोज वहां बिजली का उद्घाटन हुआ और मुझे भी उसमें शरीक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । बागेश्वर में पहले से ही बिजली लगी हुई है ।

आज प्रश्नों के समय ट्रांस राप्ती एरिया से चावल व धान लाने के लिये प्रतिबन्ध हटाने की बात कही गयी थी । मैं आपको बतला दूं कि जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, उसकी कीमत अगर १२,१३,१४ रुपये मन से नीचे गिरने लगी तो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया उसे परचेज करना शुरू कर देगी । यद्यपि वहां धान के विषय में कोई नीति किसानों को प्राइस सपोर्ट देने के लिये अभी निर्धारित नहीं है लेकिन गेहूं के विषय में हमारे पास कई तरकीबें ऐसी हैं जिससे कोई अनुचित फायदा न उठा सकेगा । जिस एरिया का जिक्र सबेरे किया गया था वहां कहीं भी १० रुपये से नीचे भाव नहीं गिरा है । (आवाजें––गलत है, गलत है) अगर गलत है तो शास्त्री जी ने भी मुझे निमन्त्रण दिया है, मैं जाकर देखूंगा । टेलीफोन से मैं रोज रिपोर्ट मंगाता हूं और मेरे पास जो रिपोर्ट है उससे बिलकुल स्पष्ट है । १६ हजार क्वींटल वहां से खरीदा गया है । अगर इस तरह की कोई चीज नहीं है तो मैं खुद वहां जाकर देखने की चेष्टा करूंगा । चिलहर भी देखूंगा, सब जगह देखूंगा । ऐसे विरोधी दल को फूड डिपार्टमेन्ट के बारे में कुछ कहने की गुंजायश नहीं है, इसको उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है । इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने इस विभाग के प्रान्ट के लिये कोई समय ही नहीं मांगा है । असलियत को वे भी समझते हैं, क्योंकि वह छिपती नहीं ।

एक बात मैं जनसंघ वालों के लिये कह कर भाषण समाप्त करूंगा । आप यह कहते हैं कि यह मिनिस्ट्रियल टैक्टिक्स है । इसके लिये कोई प्रमाण नहीं है कि किन परिस्थितियों में क्या बात होती है, किसी बात को पूरी तरह से जान बूझ कर करना पड़ता है । हाथी को कोई खंभा समझता है, कोई उसे सांप समझ सकता है, जब तक पूरी पिक्चर सामने नहीं होगी तब तक कोई हाथी को सही रूप में नहीं समझ सकता । इस सम्बन्ध में आपको कृष्ण भगवान की एक बात से शिक्षा लेनी पड़ेगी और वह यह कि उन्होंने एक बार यादवों से कहा था कि तुम सब महान मूर्ख हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता और इसलिये नहीं रहता कि तुम सब नीति को नहीं समझते हो। वह नीति यह है कि जब जबरदस्त आ जाय, जब दो शक्तियां कालयवन और जरासंध मिल कर आ जायं तो उस समय खाली कर दो यानी सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो विश्वास और दूसरा नेतृत्व । अगर मेरे माध्यम से तुम लोग चलोगे तो यादवों का बड़ा भला होगा, वरना कालयवन और जरासंध तुम्हें खा जायेंगे । तो कालयवन और जरासंध की तरह से तो जनसंघ है और भगवान कृष्ण की तरह ही पंडित जवाहरलाल जी हमारे नेता हैं । अगर उन पर विश्वास करके उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे तो मैं निश्चय के साथ कहता हूं कि यादवों का जैसा प्रभाव इस देश के अन्दर रहा वैसा ही डेमाक्रेसी का प्रभाव इस सारे संसार में होगा, इसमें कोई दो मत नहीं हैं ।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

इस में शक नहीं और अगर विश्वास की भावना व्यक्त की गई और यादवों वाली बुद्धि आ गई तो देश का हित आप करेंगे । अतः मैं समझता हूं कि जब कभी भी आप बजट पर भाषण करें तो कोई ठोस सुझाव आप दें जिससे भला हो । जैसे दुबे जी ने टैक्सेज का फार्मूला बताया और शंका प्रकट की कि यह प्रदेश की बात है या सेंटर की बात है । तीन स्थिति होती हैं, एक ऊंची, एक नीची और एक सम । अच्छा है कि आप हम सम स्थिति में बात करें, कोई वास्तविक बात हो, हमारे उग्रसेन जी तो सोशलिस्ट होते हुये भी नान-सोशलिस्टक बात करते हैं, वह वास्तविक या सम स्थिति में नहीं विचरते बल्कि वह तो सातवें आसमान पर या सातवें पाताल में विचरते हैं । बस इतना ही कहना था ।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के ऊपर जो भाषण सरकारी पक्ष की ओर से और हम मुखालिफ पार्टियों की ओर से हुये हैं, उन सब को मैंने बहुत गौर से सुनने की कोशिश की । उनको सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज की नौकरशाही खास नुक्ताचीनी की शिकार हुई जिस के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां और तरह तरह की नुक्ताचीनियां हुईं । कहा गया कि नौकरशाही करप्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, तरह तरह के ऐब उसमें आ गये हैं और दूसरी तरफ से नौकरशाही की बड़ी तारीफ की गई और कहा गया कि इस से अच्छी नौकरशाही नहीं है, कोई दोष उसमें नहीं है,यह सब बातें सुनने को मिलीं। मैं उन आदमियों में से हूं कि जो इसको मानते हैं कि हमारी नौकरशाही में ऐब हैं, आज हमारी नौकरशाही जिम्मेदार नहीं है, मैं आज की नौकरशाही के लिये यह कहने में सदन से माफी चाहूंगा कि मैं उसको ईमानदार भी नहीं समझता और अगर यह ईमानदारी केवल रुपये पैसे तक महदूद होती तो मैं सब्र कर लेता, लेकिन मैं समझता हूं कि वह इन्टेलेक्चुअली भी ईमानदार नहीं है जोकि एक अहम चीज है । यह सवाल अहम है। क्या कारण है इसका और क्या इस का हल कोई निकल सकता है ? अगर देखा जाय तो आज की जो नौकरशाही है उसमें से कितने ही आदमी हमारे साथ कालेजों में थे, जिनके Acadamic Career बड़े ब्रिलियेंट थे, क्लासेज में, कालेजेज में, यूनिवर्सिटीज में जो टाप करतेथे, कितनोंने आल इंडिया रिकार्ड तोड़ा था कुछ खेल के मैदान में भी एक्सेल करते थे, कुछ स्वतंत्रता की लड़ाई के लिये बराबर छिप-छिप कर चन्दा देते थे, देश के प्रति वह भी वफादार थे लेकिन किन्हीं कारणों से वह जेल नहीं जा सकते थे, वह हम को पुलिस से पनाह दिलाते थे और हर तरह से आजादी की लड़ाई में हमदर्दी करते थे, जरूरत पड़ती थी तो रोटी भी खिलाते थे और नेशनल स्ट्रागल को कामयाब बनाने के लिये तरह-तरह की कोशिश करते थे। तो अब प्रश्न साफतौर पर यह होता है कि ज हर हालत में ऊंचे दर्जे के लोग थे वह नौकरी पाकर आप के सम्पर्क में आकर बेईमान कैसे हो गये? यह क्या बात है? माननीय गोविन्द सहाय जी हंस रहे हैं वह भी जरा सोचें कि क्या बात है ? यह गिरावट क्यों आ रही है और यह चीजें क्यों नौकरशाही में पैदा हुई हैं, यह बड़ा अहम सवाल है । यह हर समझदार आदमी के और माननीय गोविन्द सहाय जी के सोचने की बात है, आज वह भले ही हंस लें इस पर । मुझे एक बात का खयाल आ रहा है कि एक बार माननीय ठाकुर साहब ने सदन में कहा था कि कुछ घोड़े दिल्ली चलें तो एक टट्टू भी उसमें चला, उस टट्टू पर मुझे बैठा हुआ बताया, दिल्ली जाने का मजाक उड़ाया । तो उन्होंने मेरी दिल्ली जाने का मजाक उ ाया । जुर्रत कर के कहा कि मैंने भी टट्टू पर दिल्ली चलने की ख्वाहिश की । उपाध्यक्ष महोदय, सही बात है मुल्क की खिदमत के जजबात मुझ में हैं, मैं मुल्क की खिदमत यहां से करना चाहता हूं, अपने कस्बे और जिले से करना चाहता हूं, सूबे से करना चाहता हूं और हिन्दुस्तान के स्तर पर भी करना चाहता हूं और ठाकुर साहब से हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं कि मैं ईमानदारी से टट्टू पर बैठकर मुल्क की खिदमत करना ज्यादा पसन्द करता हूं बनिस्बत मक्खन लगा कर अरबी घोड़े पर चढ़ने के ।

एक बात और याद आ गई, ठाकुर साहब ने अभी हाल में अपील की थी कि वह हर एक का कोआपरेशन चाहते हैं, यह भी कहा था कि भगवान सहाय और उनकी पार्टी को छोड़ कर ।

ठीक है, मैं उनकी बात समझ सकता हूं, एक दिन इसी सदन में माननीय नेकराम शर्मा जी ने कुछ वाकयात बताये थे जो उस दौरान के थे जब कि मिनिस्ट्री में उथल पुथल हो रही थी, ताकत कांग्रेस के एक गुट से हटकर दूसरे गुट में आ रही थी, मैं नहीं जानता, लेकिन माननीय नेकराम जी उस तारीख के जिन्दा गवाह हैं, और अगर वह सही है तो मुझे कतई अफसोस नहीं, मैं समझ सकता हूं। ठाकुर साहब कोआपरेशन की वकत क्या जानें। वह डाक्टर सम्पूर्णानन्द जान सकते हैं, गुप्ता जी जान सकते हैं। ठाकुर साहब तो माननीय सम्पूर्णानन्द रहे तो मिनिस्टर और गुप्ता जी रहें तो मिनिस्टर। वह कोआपरेशन की वकत क्या जानें। लेकिन मैं दस्तबस्ता अर्ज करना चाहता हूं कि मुल्क की खिदमत के लिये, जहां मुल्क की तरक्की का सवाल है वहां पर, मेरा कोआपरेशन है आप मांगे या न मांगे और जहां पर आपकी बेजा बात को देखूंगा, गलत बातें देखूंगा आप पसन्द करें या न करें मैं उसकी टिप्पणी भी उतने ही जोरदार अल्फाज में करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ठाकुर साहब से मैं एक बात की माफी चाहूंगा, मुख्तलिफ पार्टी के किसी आदमी ने कुछ बात कही थी तो उन्होंने कहा था अदाबे महफिल सीखिये। मैं उनसे माफी चाहूंगा क्योंकि वह बुजुर्ग हैं, मेरे फादर की जैनरेशन के आदमी हैं, ठाकुर साहब का जो अदाबे महफिल है वह पुराने तरीके का है और पुराने तरीके से हासिल किया, मैंने १५ वर्ष की उम्र से जेलखाने गया वहां पर सीखा, मैंने मुल्क की आजादी की लड़ाई में सीखा, मेरा अदाबे महफिल एक सिपाही के अदाबे महफिल है। पुराने तरीके से हासिल किया हुआ मेरा अदाबे महफिल नहीं है। मेरा आदाबे महफिल अगर ठाकुर साहब के स्टैन्डर्ड से गिर गया तो मैं उनसे माफी चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और जानना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि इतने इनआगुरेशन्स और फाइल आप करते हैं और देखते हैं, क्या आपके पास या आपके कुलीग्स के पास कोई समय बचता है जब आप सरकार की तरक्की के लिये बुनियादी बातों पर सोच सकें ? दिन के अन्दर घंटा, दो घंटा इस राज्य की अहम बातों पर कभी सोचने का आपको मौका मिलता है या सोचने की बात आपने नौकरशाही के हाथ में दे रखी है? अगर नौकरशाही के हाथ में दे रखी है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर नहीं तो जरूर कहूंगा आप पब्लिक की तरक्की की बातों पर, सवालों पर आप जरूर कुछ सोचें, सरकार की अहम बातों पर, बुनियादी बातों पर कुछ ज्यादा सोचें। मैं समझता हूं बहुत बातों में गलतफहमी है। आपको गलत बातें बतायी जाती हैं और यह गलतफहमी इसलिये है कि आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं यह समझता हूं कि आप कुछ ज्यादा सोचें। बजट में बहुत सी बातें देखीं। एक बात बहुत महसूस की कि सरकार के मुख्तलिफ विभागों में आपस में कोई कोआपरेशन या कोआर्डिनेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे यहां नेशनल हाई वे के ऊपर कुछ एरिया ऐसा है जो वाटरलाग है और वह वाटर-लागिंग इन्सान की बनाई है नहर, रेल की पटरी और सड़क की वजह से। उसकी तरफ मैं इस सदन की तवज्जह कितने सालों से दिलाता आता हूं। कुछ पानी नेशनल हाई वे के ऊपर से जाता था। वह तो पी० डब्ल्यू० डी० ने ठीक कर दिया सड़क को तीन फुट ऊंचा कर के। लेकिन जिन गांवों में पहले तीन-तीन फीट पानी भरता था वहां भले ही अब सात फीट पानी भर जाये, पी०डब्ल्यू० डी० को इससे कुछ मतलब नहीं, वह इर्रीगेशन विभाग वाले जानें। रेल की पटरी पर अगर पानी आ जाता है तो रेल वाले जानें। यह गलत है। डेवलपमेंट का जहां पर सवाल है वहां सब डिपार्टमेंटस को कोआर्डिनेट करना चाहिये, अपनी ऐक्टिविटीज को और इस बात को सोच कर चलना चाहिये कि जो स्कीम बन रही है वह हर नजरिये से सही है या नहीं। चकबन्दी आजकल हो रही है। उस में आप तमाम जमीन के नक्शे को बदल रहे हैं लेकिन कहीं भी बुनियादी बात के ऊपर आपकी तवज्जह नहीं जाती। वह है ड्रेनेज। अगर आप किसी एक गांव से ५० एकड़ जमीन ड्रेनेज के लिये चाहते हैं तो चकबन्दी में आपको मुफ्त मिल सकती है। लेकिन इस तरफ आपकी कोई तवज्जह नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी हर चकबन्दी स्कीम पर एक ड्रेनेज अफसर को रखें और फिर चकों का बटवारा करें। इसी तरह से बड़ी बड़ी नहरें निकल रही हैं। शाहजहांपुर, पीलीभीत और खीरी जिलों के अन्दर और कुछ कुछ हरदोई जिले के अन्दर यह हालत है कि उन नहरों का पानी जमीन के अन्दर इतना

[श्री भगवानसहाय]

घुस गया है कि सोतों की तरह पानी जमीन के ऊपर बह रहा है। जमीन की उपजाऊ शक्ति बिलकुल नष्ट होती जा रही है। इस अहम समस्या की तरफ सरकार की कोई तवज्जह नहीं है। यही नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे बहुत थोड़े पैसे से सरकार इस समस्या को कहीं कहीं हल कर सकती है। मिसाल के तौर पर हमारे जिले में उदारा साइफन है। वहां ४० क्युसेक्स पानी साल में ११ महीने खन्नोत दरिया के अन्दर १५ फीट की ऊंचाई से डाला जाता है। अगर सरकार चाहे तो ४० किलोवाट बिजली साल में ११ महीने उससे बना सकती है सिर्फ एक मकान और उसमें मशीनरी फिट करने की जरूरत है और उस बिजली से वहां का पानी shallow wells को जमा कर के अगर नहर में डाल दें तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जायगी और नमी आने के कारण जो जमीन में पैदा करने की ही दुश्वारी नहीं है बल्कि उस पर रहने की भी दुश्वारी होती जा रही है वह भी दिक्कत हल हो जायगी। लेकिन इन बातों की तरफ सरकार की कोई तवज्जह नहीं है।

कहा जाता है कि इमरजेन्सी है। कुछ भाइयों ने कहा कि इमरजेन्सी नहीं है। मैं समझता हूं कि है। जब दुश्मन हमारी सरहद पर बैठा है और उसकी फौजें इतनी बड़ी तादाद में हैं कि जिससे उसका सुलह और अमन का नजरिया नहीं जाहिर होता है तो मैं समझता हूं कि इमरजेन्सी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बजट की ऐक्टिविटीज को देख कर यह कतई नहीं मालूम होता कि इमरजेन्सी है। इमर्जेन्सी है। लेकिन हमारी शिकायत है कि उसके लिये सरकार तवज्जुह नहीं दे रही है। अगर तवज्जुह दे रही है तो ९० फीसदी पार्टी को मजबूत करने की तरफ़ दे रही है। आज इमर्जेन्सी को एक्सप्लाइट करके पार्टी को मजबूत करने की ओर तवज्जुह है न कि देश को और सूबे को मजबूत करने की ओर। इस ओर आप की तवज्जुह नहीं है।

डाक्टर अहमद साहब की बात से मैं इत्तफाक़ करता हूं कि इमर्जेन्सी में सब से बड़ी बात है कि हम खेतों में और कारखानों में प्रोडेक्शन बढ़ायें। इसके लिये जरूरी है कि मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में सुलह हो और अगर मुस्तकिल सुलह न हो सकती हो तो इमर्जेन्सी के दौरान में हो जाय। इसके लिये मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुख्य मंत्री जी ने एक कानफ्रेन्स बुलाई जिसकी अवहेलना उनके विभाग ने ही की। इसके मातहत एक कंसीलियेशन बोर्ड भी बना था। इस कानफ्रेन्स में सब मजदूर, मिल मालिक, सरकार के नुमायन्दे बुलाये गये थे, जब उनके विभाग द्वारा ही उसकी अवहेलना की जाती है तो मुख्य मंत्री जी को इस बात को सोचना चाहिये। इनकी नुमाइन्दों के नाम भेजने की चिट्ठी विभाग द्वारा अभी हाल में भेजी गई है जब कि tripartite conference बनाये करीब ३ माह हो गया।

माननीय नेगी जी तथा अन्य लोगों ने कहा कि यह नहीं बताया गया कि कमी कहां की जाय? मैं एक बात देखता हूं कि सरकार हमारा कोआपरेशन टैक्सेज लगाने में चाहती है, जहां पर ऐडमिनिस्ट्रेशन में कमी करने का सवाल है वहां पर नहीं चाहती है और खुद कमी करना नहीं चाहती है। मैं आप को बताऊं कि बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी और अहम बात है। आज सक्रेटेरियट अलाउन्स देने की क्या जरूरत है? इसको मुख्य मंत्री जी जस्टीफाई करें क्योंकि हर अफसर वैसे भी लखनऊ में रहना चाहता है। इसकी तरफ देखें कि अंग्रेजों ने इस allowance को क्यों कायम किया था और आज की स्थिति में वह फिट इन करता है या नहीं? इसी तरह से स्पेशल तनख्वाहें और एलाउन्सेज से आप शुरूआत कीजिये। यह कहना कि इससे केवल चार या दस लाख रुपया मिलेगा, ठीक नहीं है क्योंकि यह बहुत बड़ी उसूल की बात है।

मैं प्रोहीबीशन की पालिसी से एग्री नहीं करता हूं और हम इस बात को चाहते थे कि हटा दी जाय। हम शराबखोरी के हक में नहीं हैं। हम जानते थे कि यह पालिसी फेल हो रही है और अमरीका की मिसाल हमारे सामने थी इसलिये हमने कहा कि इसे हटा दिया जाय। इसके माने यह नहीं हैं कि हम शराब की भट्टियों की ओपनिंग सैरीमनी करें। यह तो शराब पीने के लिये प्रोत्साहन देना है। मुझे अफसोस हुआ जब मुख्य मंत्री जी जैसे कुशल आदमी, जो हमारे नेता

रहे हैं, के हाथों से गाजियाबाद में शराब की भट्टी का उद्घाटन की खबर हमने अखबार में पढ़ी।

आज मैंने अखबार में देखा कि नेगी जी तथा विष्ट जी के क्षेत्र में से भोटियाओं को तराई में बसाने की बात है। मैं नहीं समझता कि यह किस के जरखेज दिमाग की उपज है। यह कौम बहुत इंटेलीजेंट और जफाकश है और बार्डर पर रहती है, वहां की चप्पा चप्पा जमीन की इनको जानकारी है। इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर बोर्डर की हिफाजत हो सकती है। उन को वहां से अपरूट करके तराई में बसाने की क्या जरूरत है? जहां की आबहवा उनके माफिक नहीं है। वहां से उनको हटा कर बसाने की बात करना, मैं समझता हूं कि इस पर फिर विचार किया जायगा। साधन हैं, पर्याप्त साधन हैं वहां। जिस प्रकार इस हालत में बिबूतूज बार्डर की हिफाजत भी करते हैं और प्रोडक्शन भी करते हैं, इसी तरह से भोटिया बार्डर की हिफाजत भी कर सकते हैं और प्रोडक्शन भी कर सकते हैं अगर सहूलियत व ट्रेनिंग दी जाये।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय भगवान सहाय, स्वतन्त्र दल के नेता हैं और माननीय मुख्य मंत्री से जो १४ माननीय सदस्य कांग्रेस में गये हैं क्या वह कांग्रेस दल की बेंचों पर बैठ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि विरोधी दल का समय वह ले रहे हैं? ऐसा न हो कि यह इधर भी बैठ जायं और उधर भी बैठ जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक चेयर को पता है ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक वे लिख कर नहीं देंगे तब तक हम को क्या पता?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

ऐसा न हो कि खायें हमारा और गाएं उनका।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बुन्देलखंड प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है। इस इलाके में बांदा और हमीरपुर के जिले सबसे गरीब हैं। इसमें चमार, कोल और कोरी विशेष गरीब हैं। पहले कांग्रेस ने उनको एक मोड़ दी, तुम को जमीन देंगे, तुम को धनी बनायेंगे। बहुत अर्से तक उन्होंने इन्तजार किया कि हम को जमीन मिलती है, हम धनी बनते हैं। लेकिन कहीं भी उससे कुछ काम न चला। तो बांदा जिले में सोशलिस्ट द्वारा ५, १० हजार चमारों ने, कोरियों और कोलों ने कलेक्टर के बंगले पर धरना दिया। उससे भी काम न चला तो १९६१–६२ में कम्युनिस्टों ने उनको अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि जब चीन आयेगा, कम्युनिस्ट राज्य होगा तब तुमको खेत बांटेंगे, तुमको धनी बनायेंगे। इधर मिल के मजदूरों को यह पाठ पढ़ाया कि जब चीन का साथ देना, हंसिया बाली में वोट डालोगे तो तुम को मिल का मालिक बनाया जायगा इसी तरह से आसाम और दार्जिलिंग के चाय के बागों में काम करने वाले मजदूरों से भी यहां कहा गया। आसाम में १० लाख मजदूर बसाये गये। वह पाकिस्तानी हैं। उनको सुझाया गया कि जब चीन आयेगा तो आसाम का बटवारा होगा। इसलिए कम्युनिस्टों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गयी। जाट और यादवों ने चीन को संदेशा भेजा कि इस वक्त मौका है। तुम यहां आकर हमला कर सकते हो। मजदूर तुम्हारे साथ हैं, यहां की गरीब जनता भी तुम्हारे साथ है। इसी आधार पर चीन ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन हमारे भाग्य से नेहरू का नैतिक बल बढ़ना था, नेहरू को किसी किस्म का अपयश न मिलना था। इसलिए इंगलैण्ड और अमेरिका ने ऐन टाइम पर हथियार भेज दिये और साथ ही हमारे देश के सभी नेताओं ने एक स्वर से आवाज उठायी कि हम एक साथ हैं और चीन के मुकाबले में एक साथ मरेंगे मारेंगे। इसी आधार पर युद्ध रुका। अगर कुछ समय तक वहां से सामान न आ गया होता तो सम्भवतः चीन कलकत्ते तक पहुंच जाता। चीन को पता है कि कानपुर और जबलपुर में जो कारतूस बनते हैं, उनको ज्यादातर पंचमांगी भरते हैं जिनका पाकिस्तान से सम्बन्ध है। वह कारतूस और असलहा नकली बनाते हैं। इसका पता सरकार को भी चल गया जब आसाम में कारतूसें आयीं तो बहुत सी नकली निकलीं जो छूटी नहीं। यह चीन को

[श्री मतोलासिंह]

पता था। यही कारण था कि चीन ने इस देश पर हमला किया। अब कम्युनिस्टों ने चमारों, कोरियों और मजदूरों को इतना भड़का रखा है कि हंसिया बाली के सिवाय और किसी पर उनकी नजर नहीं जाती। हमारे बांदा जिले में यह आश्वासन दिया गया था कि यहां पर उद्योग-धंधे खोले जायेंगे। जब तक इन गरीबों को उद्योग-धंधों में नहीं लगाया जायगा तब तक ये इसी तरह से भटकते रहेंगे और तरह तरह के लोगों के जाल में फंसते रहेंगे। वह कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। हमारे यहां दियासलाई बनाने की लकड़ी विशेष पायी जाती है जिससे उसका सींक बनता है। साल गुर्जी इत्यादि। इसी तरह रंगीन मिट्टी बहुत है जिससे रंग बनाये जा सकते हैं। सफेद खड़िया मिट्टी तो इतनी ज्यादा है कि जो विदेशों को जाती है और फिर हमारे यहां बेशकीमत दामों पर बिकती है। लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां पर उद्योग-धंधे अगर खोले जायं तो गरीब जनता जो भटकती फिरती है, जिनकी संख्या बांदा जिले में अधिक है वह सुखी और धनी बन सकती है। हमसे कहा गया था कि सन् १९६३-६४ में बांदा जिले को बिजली दी जायगी। लेकिन न रिहेंड बांध से, न माताटीला बांध से ही बिजली देने का आज तक कोई उपाय सोचा गया। बांदा जिला बहुत गरीब है और उसके लिये सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

कहा जाता है कि जनता की मनोभावना बढ़ायी जाय। लेकिन वह कैसे बढ़ेगी? जनता की आवाज नहीं सुनी जाती है। जनता की आवाज सुनी जाय तो उसकी मनोभावना बढ़ सकती है, जनता आज धन देने के लिए काफी तादाद में तैयार है और तैयार हो सकती है। हमारे कांग्रेसी भाई जाकर उपदेश देते हैं कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी रामराज्य की स्थापना इस देश में करेगी। लेकिन उन्हें रामराज्य के इतिहास का पता नहीं। रामचन्द्र जी ने एक धोबी के कहने से अपनी सीता को घर से निकाल दिया था, तब देश की जनता की मनोभावना बढ़ती है। यहां कहा जाता है कि मंत्रिमंडल घटाओ तो मुख्यमंत्री जी सुनते ही नहीं हैं। और भी कई ऐसे विभाग हैं जो घटाये जा सकते हैं, लेकिन बजट में कोई गुंजाइश नहीं निकाली गई खर्चे को कम करने के लिए। डाइरेक्टर पशुपालन विभाग, झांसी, असिस्टेंट डाइरेक्टर, कृषि विभाग, झांसी, डिप्टी रजिस्ट्रार-सहकारी समिति, रीजनल फूड कंट्रोलर, झांसी, परिवार नियोजन विभाग, रोजगार दफ्तर, समाज कल्याण विभाग और सहायक विकास आयुक्त, झांसी, यह इतने बेकार मुहकमे हैं कि जिनको सरकार तोड़ दे तो इससे कोई हानि नहीं होगी।

पुलिस विभाग हमारे प्रदेश का ऐसा हो गया है कि जिससे चोरी, डकैती, कत्ल दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि पुलिस को विशेष प्रोत्साहित न करें क्योंकि पुलिस तो एक खूंखार बन्दर है, इसको जरा-सा छेड़ा तो नुकसान पहुंच सकता है। आज पुलिस के प्रशासन में बड़ी ढील आ गई है। हमारे बांदा जिले में कत्ल, डकैती, चोरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं आप को एक किस्सा बताऊं। हमारे यहां कमासिन थाना के धुमाई लमियारी गांव में १९६१ के अक्तूबर में जगन्नाथसिंह को उनके घर पर उनकी मां के सामने बदमाशों ने काटा। पुलिस थानेदार ने ६ हजार रुपया लेकर वह कत्ल कराया था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। जब कलेक्टर और एस० पी० के पास शिकायत पहुंची तो एस० पी० साहब जांच के लिए मौके पर गए। उसके बाद एक फर्जी मां बना कर उसकी जांच करा दी गई। जब जांच के लिये अधिकारी आये तो उस फर्जी मां ने कह दिया कि कहीं बाहर तीर्थ करने के लिये चला गया है। उसके बाद हमारे पास डी०आई० जी० बांदा से मुआयना करने के लिये आये। उनसे भी यह सब बातें कहीं गईं। उन्होंने कहा कि उस अधिकारी की तनज्जुली करके कानपुर भेज दिया गया है। बाद में कानपुर से मालूम हुआ कि उनको बहाल करके फतेहपुर तैनात कर दिया गया। यह पुलिस का प्रशासन है। एक यह भी बतलाऊं कि एक मंत्री के इशारे पर एक नवाब साहब कल या परसों बहुत सा धन लेकर पाकिस्तान चले गये हैं। यह सरकार को भी पता होगा। कहा जाता है कि अंग्रेजी को हटाओ। अगर अंग्रेजी को हटा दिया गया तो यह अंग्रेजी की किताबें कहां जायंगी? मैं सरकार से पूछना चाहता

हूं कि यह जो मील, फर्लांग बदल दिये गये, बांट बदल दिये गये और पुराने बांट मिट्टी में मिल गये तो यह अरबों रुपये क्यों नष्ट कर दिये गये ? यह सब नया खर्चा किया गया। यह सब सरकार के सोचने का विषय है।

हमारे बांदा जिले में सड़कों की बहुत कमी है। बांदा जिले में धान बहुत पैदा होता है जो पूर्वी जिलों को भेजा जाता है। बहुत-सा धान बलिया, गाजीपुर, देवरिया और आजमगढ़ को भेजा जाता है। सड़कों की हालत बहुत खराब है तो वहां से बाहर आसानी से नहीं जाया जा सकता है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी अतर्रा गये थे। उनसे कहा गया कि अतर्रा-नरैनी की सड़क बहुत खराब है। उसकी मरम्मत न होने से उस पर चलना मुश्किल है। इन्दिरा गांधी भी गई थीं। उनसे भी यह कहा गया कि इस सड़क की हालत बहुत खराब है और इसकी मरम्मत होनी चाहिये। उन्होंने वहां पर आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही इसको बनवा देंगे। मुख्य मंत्री जी ने भी वादा किया कि इसको बनवा दिया जायगा। उसके बाद पांडेय जी भी वहां पर गये और वह भी उस सड़क को देख आये हैं, किन्तु इन सब बातों के बावजूद भी उस सड़क के लिये बहुत थोड़ा रुपया दिया गया है। उस सड़क के लिये लाखों रुपया चाहिये था तो उसके लिये बहुत थोड़ा धन दिया गया है। इस तरह के वादे होते हैं, लेकिन उनको पूरा करने में देर की जाती है। बांदा जिला ऐसा है जहां पर धान की पैदावार बहुत है। किसान लोगों के लिये आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिससे वे मंडी में जाकर अपना माल बेच सकें। इसकी ओर सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी।

जहां तक रक्षा का प्रश्न है, रक्षा के विषय में सरकार की पालिसी बिलकुल ढीली है। सरहद पर सैकड़ों हिन्दू मजदूर आसाम और बीकानेर की सरहद पर रोजाना मारे जाते हैं और लूटे जाते हैं। सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और न सरकार ने आज तक कोई रक्षा की बात सोची है। पहले जमाने में जब एक आदमी मारा जाता था तो उसके लिये हमारी गवर्नमेंट उपाय सोचती थी और उसका बदला लेती थी। आज हमारी सरकार इतना करती है कि एक विरोध पत्र भेज देती है। इस प्रकार की सरकार की बातें हैं। इससे देश का कल्याण नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार सरहदी इलाके पर गरीब जनता को लूटने तथा मारे जाने से रक्षा करने के उपाय करेगी, नहीं तो देश का वातावरण और खराब होगा।

श्री गंगासिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से इस आपत्तिकालीन स्थिति में बजट पर सामान्य विवाद चल रहा है और ज्यादातर सुरक्षा के विषय में वार्तालाप हो रही है। मैं यह उचित समझता हूं कि मैं भी उसी पर बोलूं। चूंकि पर्वतीय प्रान्त में रहने के कारण वहां की स्थिति से वाकिफ हूं और एक जनसेवक के नाते गत ३० वर्षों से निरन्तर उस क्षेत्र में जाता रहता हूं। श्रीमन्, हमारे प्रदेश की उत्तरी सीमा जो कि तिब्बत के साथ मिलती है उसमें तीन जिले हैं। पहला जिला अल्मोड़ा की तहसील, जो पहले पिथौरागढ़ थी, वह है। दूसरा जिला चमोली है जो पौड़ी-गढ़वाल की एक तहसील थी और तीसरा जिला है उत्तरकाशी। ये तीनों जिले पहले तहसीलें थीं, इनकी सीमा ३०० मील की है। इसमें यातायात के लिये खास दर्रे जिनसे ज्यादातर व्यापार होता है, ये हैं—निलंग, होती, नीती, माणा, ऊटा, घूरा और लिपूलेक और इसके साथ दारमा का दर्रा भी है। श्रीमन्, मैं पिथौरागढ़ जिले में सन् १९३० से लगातार आज तक जाता रहा हूं और वहां की स्थिति से वाकिफ हूं। इसके पूर्व की सीमा काली नदी है जो हमको नैपाल से अलग करती है और उत्तरी सीमा हमारी तिब्बत की है। वहां के लोगों के मनोबल के विषय में जैसा कि विष्ट जी ने कहा, उसे सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। वहां मुख्य मंत्री जी जा चुके हैं। वहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जा चुके हैं, स्वयं पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त के सुपुत्र श्री के०सी०पन्त, एम० पी० जा चुके हैं और इसके अतिरिक्त विधान मंडल के कई सदस्य, मंत्रिगण तथा जिला परिषदों के अध्यक्ष भी वहां जा चुके हैं और मैंने स्वयं वहां के लोगों के उत्साह को देखा है। सुरक्षा के लिये वहां प्रति व्यक्ति दो रुपये के हिसाब से ४ लाख के करीब रुपया जमा किया गया है। श्री राज्यपाल व मुख्य मंत्री चल वैजयन्ती अल्प बचत योजना में प्राप्त की है। मुख्य मंत्री जी

[श्री गंगासिंह विष्ट]

१३ नवम्बर को पिथौरागढ़ पहुंचे थे। सौभाग्य से उनके साथ में भी था और कई सदस्य विधान मंडल के तथा पत्रकार साथ थे। वहां से हम जौलजीवी और धारचूला गये। वहां धारचूला का करुणाजनक जो दृश्य मैंने देखा उसे भुलाया नहीं जा सकता। वहां औरतें, मर्द, बच्चे सभी जमा थे। २,००० की संख्या में सेना के जवान मौजूद थे और उस समय औरतों ने अपने कानों से, नाक से, हाथों से आभूषण और रुपये देने शुरू किये, उसे देख कर मुख्य मंत्री जी विह्वल हो गये। आखिर उन्होंने कहा कि यह कब तक चलेगा। एक घंटे के अन्दर वहां २६,००० रुपया इकट्ठा हो गया और कई सोने और चांदी के आभूषण। आदरणीय विष्ट जी की यह बात सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां के लोग गोली, तोप के सामने भाग जायंगे। जबकि वहां की महिलायें अपने जवानों के लिये ऊंचाई पर सिर में बिस्तर, सामान लाद कर दुर्गम मार्गों पर ले जाती हैं बिना तनख्वाह के, बिना किसी पैसे के . . .

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला पिथौरागढ़)—

श्रीमन्, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा नाम कई बार रिपीट किया जा रहा है इसलिये मुझे एक्सप्लेनेशन देने का समय मिलना चाहिये।

श्री गंगासिंह विष्ट—

वहां के विद्यार्थी और नौजवानों ने अपने बल पर धारचूला से जवानों का सामान गरग्वांग तक पहुंचाया है और आज भी वे लोग वहां के बर्फीले दुर्गम पथों पर चल रहे हैं। उन पर यह आक्षेप करना कि उनका मारेल रह नहीं पायेगा, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं स्वयं स्वर्गीय हरगोविन्द पन्त जी के साथ कई बार जौलजीवी के मेले में गया और वहां के बच्चे बच्चे को जानता हूं। मैंने मुनस्यारी तहसील, ऊंटाधूरा को पार किया है, आगे भी गया हूं और गत वर्ष भी मैंने आदरणीय सदन में कहा था, फिर इस बात को कहता हूं कि वहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है। लेकिन अधिकारी वर्ग, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, काफी अच्छे हैं। मेरे पास उनके कामों के बारे में अपना एक भाषण लिखित है जिसे मैं समयाभाव के कारण यहां पर पढ़ कर सुना नहीं सकता, लेकिन उससे पता चल सकता है कि वहां के अधिकारियों ने कितना कुछ देश के लिये कार्य किया है। अल्मोड़ा जिला भले ही कमजोर पड़ जाय, लेकिन चमोली और पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी कभी पिछड़ने वाले जिले नहीं हैं। वहां ३६५ प्राइमरी स्कूल व ५२ जूनियर हाई स्कूल हैं और उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक ऐसा सच्चरित्र व्यक्ति है कि जिसकी निन्दा करना इस सदन में अनुचित होगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि सारे सरकारी कर्मचारी ठीक ही हैं। मगर मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह सरकार और जो यह मंत्रिमंडल है, सरकारी कर्मचारियों पर ही अधिक निर्भर करता है और इस आदरणीय सदन के जो चुने हुए सम्मानित सदस्यों की बात सही नहीं मानता है। हम लोगों का विश्वास सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कम किया जाता है। मैं यह कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह चुने हुए सदस्यों की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। मैं आप से वहां के कर्मचारियों का वर्णन कर रहा था। वहां पर मुनस्यारी में एस० डी० एम० १९ हजार फीट की ऊंचाई पार करके हिमालय के उस पार आता जाता रहा है। हमारा अपना जिला होने के नाते, हमारी अपनी तहसील होने के नाते और हमारा क्षेत्र होने के नाते, हम बराबर उस ओर आते जाते रहते हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां पर लोग इतना बलिदान कर रहे हों, जहां पर लोगों ने प्रति व्यक्ति २ रुपये के सुरक्षा कोष में दिये हों, अल्पबचत योजना में इनाम पाये हों, जहां की महिलायें भी, पुरुष भी जवानों की मदद करने के लिये सदैव तैयार हों, उस क्षेत्र के लिये यह कहा जाय कि वहां पर राजनीतिक चेतना नहीं है, यह नितान्त भ्रामक है और असत्य है। यदि उनमें राजनीतिक चेतना न होती तो आदरणीय विष्ट जी तीसरी बार भी वहां से चुन कर न आ पाते। वहां की जनता कट्टर देशभक्त है। वहां पर मुख्य मंत्री ने कहा था कि रास्तों को ठीक करना चाहिए और जनता को सड़कों की सफाई करनी चाहिए तथा जवानों की सहायता करनी चाहिए। उनके इतना कहने पर मैं आपको बताऊं कि वहां पर

जो यूनीवर्सिटी के छात्र छुट्टी में आये थे, उन्होंने अपने कंधों पर बोझा ढोकर सामानों को जवानों के अड्डों पर पहुंचाया है। वहां पर ३०,००० रुपये से अधिक चन्दा व ऊन एकत्रित किया गया और ६ हजार रुपये के मूल्य से अधिक की लकड़ी दी गई। वहां का एस० डी० एम० एक उत्साही ईमानदार व्यक्ति है। मेरा यह स्पष्ट कथन है कि जहां पर जनता इतने त्याग कर रही हो, और जहां की जनता का मनोबल इतना बढ़ा हुआ हो, वहां की जनता के लिये यह कहना कि वहां की जनता तोप का मुकाबला कैसे करेगी, गोली का मुकाबला कैसे करेगी, उसमें राजनीतिक चेतना नहीं जाग्रत हुई है, तो यह बड़े ही दुःख की बात है कि ऐसी बात उस सीमान्त की जाग्रत जनता के लिये कही जाय। मैं आप को बता देना चाहता हूं कि वहां की जनता ने भी स्वतंत्रता संग्राम में जेल यातनायें सही हैं, उनकी छातियां भी गोली से भूनी गई हैं, उन्होंने भी अपना रक्त देशभक्ति के मार्ग में प्रवाहित किया है। इसलिये ऐसी असामयिक और असत्य बात, उस प्रदेश की जनता के लिये नहीं कही जानी चाहिये। उनके ऊपर ऐसे असत्य आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए। मैं माननीय नरेन्द्रसिंह विष्ट जी की बातों का प्रतिवाद करता हूं कि यह सब बातें उन्होंने असामयिक और असंगत ही कही हैं। आज से १५० वर्ष पहले की बातें उन्होंने की हैं। मैं इस बात के लिये उनका आवाहन करता हूं। वे सिद्ध कर देखें कि वहां की औरतें, मर्द ढाड़ा धोती लगाती हैं? और कहां वह भांग के डोरे की वास्कट पहनते हैं? मैं कहता हूं कि यह कैसे सम्भव है, जब कि वहां पर इतनी बर्फ पड़ती है इतनी ठंडक में इस प्रकार के वस्त्र पहन कर कैसे वहां की औरतें रह सकती हैं। वहां की महिलाओं का पहनावा मैं आपको बताता हूं। वह १२ गज से लेकर १६ गज तक के पग्गे अपनी कमर में बांधती हैं। रहे लहंगे वह भी १६ से लेकर २० गज तक के पहनती हैं। उसके बाद सलूके व अन्य वस्त्र तब कंवल आदि-आदि। इसका कारण यह है कि वहां पर काफी ठंडक पड़ती है और सदैव बर्फ गिरती रहती है। इस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग वहां की महिलायें करती हैं और इसी प्रकार वहां के पुरुषों के वस्त्र भी हैं। वहां यह संभव नहीं है कि लोग कौपीन पहन कर जीवित रह सकें। जहां पर इतनी अधिक ठंड, बर्फ पड़ती हो वहां यह असम्भव ही है। वहां पर बीकीपिंग का काम बड़ा ही सुन्दर होता है और जड़ी बूटियों का काम भी बहुत ही उन्नित पर है। मैं आप को बता देना चाहता हूं कि ५ दिन में, मैंने यह २० पन्ने की रिपोर्ट वहां की प्रगति की तैयार की है, जो मैं लाया हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब तक कि लोग कुर्सी पर रहते हैं वह सही बात नहीं कह पाते हैं और असत्य का पर्दा उनकी आखों पर पड़ा रहता है, परन्तु जब कुर्सी पर नहीं होते हैं, तब वही सही बातें कहने लगते हैं। मैं समझता हूं कि क्या कुर्सी प्राप्त करने के लिये ही यह सारी बातें कही जाती हैं, क्या सरकार ऐसी बातें कहने वालों से डरती है और डर कर उनको कुर्सी दे देती है? सरकार इस ओर भी ध्यान दे।

मैं चाहता हूं कि सरकार कृपा कर के सरकारी कर्मचारियों पर ही अधिक आश्रित न रहा करे। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं जो चुने हुए सदस्य यहां पर आये हुए हैं और अपने-अपने क्षेत्र की जनता की बातें हमारे सामने रखते हैं उनकी बात को भी माना जाय। वह मानना चाहिये। आप कतई सरकारी कर्मचारियों की बात न मानिये, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि आदरणीय सदस्य सदन की शिष्टता को कायम रखें, इससे कुछ संतुलन रखा जा सकेगा और मुझे इसके लिये प्रसन्नता होगी। अतः जब हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई बात करें तो वहां के दैनिक जीवन और रहन-सहन को भली-भांति जान लें। मैं पत्रकारों से भी निवेदन करूंगा कि वहां की स्थिति को जाकर देख लें कि वहां की स्थिति वास्तव में क्या है और जो बातें मैंने सदन में कही हैं वह सत्य हैं या झूठी हैं। हमारे माननीय मुकुन्दीलाल जी मुख्य मंत्री के साथ वहां गये थे, धारचूला वगैरह में, विष्ट जी भी गये थे और उन्होंने कहा भी कि लोगों का मारेल हाई है। वहां तो विष्ट जी ऐसी बातें करते हैं और यहां आकर यह दोषारोपण। मैं समझता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र की जनता पक्की देशभक्त है और उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणीय भाग लिया है। उन पर इस तरह से आघात किया जाता है तो वह अन्याय है। मैं माननीय सदन के सदस्यों का आहवान करूंगा कि आप में से जो भी धारचूला, गुज्जी, कालापानी, गरब्यांग जाना चाहें वह अवश्य

[श्री गंगासिंह बिष्ट]

चलें, स्वयं वहां आकर देखें । आपको पहुंचाने की व्यवस्था मैं करूंगा । इन शब्दों के साथ मैं बजट का सार्थन करता हूं ।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट---

आपने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकूं .....

श्री उपाध्यक्ष---

फैक्ट्स के बारे में कुछ बात उन्होंने कही, कुछ आपने कही, तो इसके लिये जरूरत नहीं है, लेकिन कोई परसनल बात हो तो कह लीजिये ।

श्री नरेन्द्रसिंहबिष्ट–

परसनल बात यह है कि जो मित्र अभी बोल रहे थे उनका भाषण यहां दर्ज है और जो मैंने कहा वह भी दर्ज है । यहां सौभाग्य से एस्टीमेट्स कमेटी की उत्तराखंड सब-कमेटी बैठी हुई है, उसको दोनों भाषण दे दीजिये ताकि यह मालूम हो सके कि उसमें कितनी सत्यता है, रिपोर्ट ले ली जाय। मैं इस सदन के सामने कहता हूं कि अगर मेरे भाषण में कमजोरी या गलती दिखलाई दे तो मैं एम० एल० ए० शिप से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई परसनल एक्सप्लेनेशन नहीं है, यह तो भाषण है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस सामान्य विवाद पर मुझे भी अपने ख्यालात के इजहार करने का मौका दिया । जब सर्वप्रथम मैं इस ४.९७ करोड़ के घाटे को देखता हूं तो श्रीमन्, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब तक जब कभी भी इस सरकार ने बजट पेश किया है तो सर्वप्रथम संकल्प घाटे के बजट का आता है और जब साल खत्म होता है तो उसके बाद वह सरप्लस हो जाता है । मंशा यह होती है कि सही तरीके से हमारी गरीबी का दर्शन बजट में न हो सके, इसमें कहीं भी इमर्जेंसी का दिग्दर्शन नहीं किया जाता । इनके फाइनेंस सेक्रेटरी तमाम विभागों को मिलाकर एक मिला-जुला बजट तैयार कर लेते हैं और एक स्वार्थ और दलगत नीति के ऊपर सारा बजट आधारित रहता है । अगर तीनों योजनाओं को जिले के स्तर पर देखा जाय तो न तो पापुलेशन की मदद हो पाती है और न गरीबों की मदद हो पाती है और न तो वहां की जरूरतों के मुताबिक हो पाता है ।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान कुछ बजट की फिगर्स की तरफ दिलाना चाहता हूं । अगर आप देखेंगे तो पायेंगे कि सन् १९५६-५७ के बजट में .१२ करोड़ का घाटा दिखाया गया था लेकिन साल के अन्त में ९.५५ करोड़ का सरप्लस हो गया। १९५७–५८ में घाटा दिखाया गया ११.६७ करोड़ का और सरप्लस हो गया ५.५१ करोड़। १९५८–५९ में ४.५४ करोड़ का घाटा दिखाया गया लेकिन बाद में सरप्लस हो गया १.०९ करोड़ का। इसी तरह से १९५९–६० में १.८६ करोड़ का डेफिसिट दिखाया गया लेकिन बाद में वह १.४० करोड़ का सरप्लस हो गया । यह सब क्यों है ? प्लानिंग के साथ बजट न बनाने का यही नतीजा है और इसका असर आज हमारे बाजारों पर पड़ता जा रहा है ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इकानामी का बहुत ढोंग रचा गया है कि १.२५ करोड़ रुपये की इकानामी की गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप अपनी बात बाद में कहियेगा । अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामजी लाल सहायक के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री चरसिंहनारायण पांडेय—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह सरकार हमेशा डेफिसिट बजट पेश करती है और वर्ष के अन्त में जाकर वही सर-लस बजट हो जाता है। श्रीमन्, ऐसा करने का कारण यह है कि जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं और उसके लिये जो रुपया रखा जाता है वह पूरा खर्च नहीं हो पाता और इसका असर हमारी एकोनामी और डेवलपमेंट पर पड़ता है। श्रीमन्, मैं सन् १९६१–६२ के आंकड़ों द्वारा यह साबित करना चाहता हूं कि इस तरह के बजट का क्या प्रभाव होता है। आप हमारे फूड प्रोडक्शन को ही देखें, हमने सन् १९६१–६२ के लिये ८.७२ लाख टन के प्रोडक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया था, किन्तु हमें ४.८२ लाख टन ही प्राप्त हो सका। इसी प्रकार से हमने तेल का १४.०६ लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें से केवल १२.२८ लाख टन ही प्राप्त हुआ। काटन के प्रोडक्शन का ०.८९ लाख बेल्स का हमारा लक्ष्य था, और केवल ०.४५ लाख बेल्स प्राप्त हो सकीं। इसी तरह से जूट के प्रोडक्शन का भी जो हमारा लक्ष्य था, उसको भी हम प्राप्त नहीं कर पाये। माइनर इरीगेशन की स्कीम भी हमारी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरी नहीं हुई। सन् १९६१–६२ में ६३.१४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का हमारा लक्ष्य था, जिसमें से केवल ३० हजार एकड़ भूमि पर ही सिंचाई हो पायी। इस तरह से आपने देखा कि जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, किसी की भी पूर्ति नहीं हो पाती। यही कारण है कि हम डेफिसिट बजट पेश करते हैं, बाद को वह सरप्लस बजट हो जाता है। उसका असर हमारी जिन्दगी पर पड़ता है, हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, और जो लक्ष्य हमारा आगे बढ़ने की तरफ होता है, वह भी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिये यह बजट का सबसे बड़ा डिफैक्ट है और सरकार को इसमें सुधार करना चाहिये।

इसी आदरणीय सदन में इकानामी की बात कही गई। मैं आंकड़ों के साथ यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार के उधर बैठने वाले जिम्मेदार लोग केवल एस्टीमेट्स कमेटी के प्रतिवेदनों पर, जिस पर लाखों रुपया खर्च होता है, दृष्टिपात करें तो बहुत कुछ इकानामी इस प्रदेश में हो सकती है। इस समिति ने लगभग २० प्रतिवेदन सरकार के पास प्रेषित किये हैं और उनमें यह दिखाया है कि विभिन्न विभागों में कैसे इकानामी की जा सकती है, उनकी फजूलखर्ची को कैसे रोका जा सकता है। हमने परसेन्टेज लगाने की कोशिश की, तो यह पाया कि ३० परसेंट इस बजट का एलाटमेंट केवल सरकारी नौकरों की तनख्वाहों पर, १५ फीसदी विभिन्न तरह के उनके इस्टेब्लिशमेंट्स पर खर्च होता है। एस्टीमेट्स कमेटी के सुझावों को यह सरकार माने तो करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है, जिसे विकास के कार्यों पर खर्च किया जा सकता है। जब कभी बजट पेश होता है तो हमारे वित्त मंत्री जी को इन प्रतिवेदनों पर जरूर विचार करना चाहिये लेकिन उन्होंने उधर ध्यान देने की कोशिश नहीं की। इसका नतीजा यह हुआ कि हम केवल सवा करोड़ रुपये की इकानामी कर पाये।

हमारे मुख्य मंत्री जी कई बार गोरखपुर गये और उन्होंने वहां कहा था कि गोरखपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना की जायगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमें इस बजट में इस बात का दिग्दर्शन नहीं हो पाया कि गोरखपुर में इस साल भी मेडिकल कालेज की स्थापना होगी। आज गोरखपुर भौगोलिक दृष्टि से कितना महत्व का स्थान हो गया है ? केन्द्रीय सरकार ने वहां अपनी फर्टीलाइजर फैक्ट्री खोली, दूसरे कारखाने लगाये, लेकिन मेडिकल कालेज की मांग को यह सरकार पूरा नहीं कर रही है। अगर इस वर्ष के बजट में नहीं तो कम से कम अगले साल के बजट में हमारे यहां मेडिकल कालेज की स्थापना का प्रबंध होना चाहिये। गोरखपुर सरहद पर है और आजकल के जमाने में उसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्ता बहुत बढ़ गई है।

श्रीमन्, मुझे कुछ थोड़ा-सा संचार साधनों के बारे में भी निवेदन करना है। मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार एमर्जेन्सी की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। अगर वह ऐसा करती तो इस बजट में सड़कों पर, संचार साधनों पर सही तरीके से एलाटमेंट होता। विष्ट जी ने चमोली, उत्तराखंड और पिथौरागढ़ की बात कही। मैं गोरखपुर, बस्ती, देवरिया की

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

सड़कों के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो बार्डर से, नैपाल की सरहद से, मिला है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अगर बफर स्टेट्स के इतिहास को पढ़ें तो मालूम होगा कि बाद में चल कर संकटकाल स्थिति में एक बहुत ही खतरनाक युग से वह गुजरता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में कहीं भी वहां की सड़कों के सुधार के बारे में कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर आप एमर्जेन्सी महसूस करते हैं तो उसके लिये उपचार करना आवश्यक है। लेकिन अगर यही हाल रहा तो एमर्जेन्सी एक तमाशा बनकर रह जावेगी और इसका हम सही तरीके से कोई सदुपयोग नहीं कर सकते। सरकार सही तरीके से देख नहीं पाती है कि कहां और किस मद पर अधिक रुपया खर्चा करना चाहिये। गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, लखीमपुर की बार्डर रोड्स पर कितना खर्च हो रहा है? वह ४ परसेंट भी नहीं दिखाई देता है। मैंने कई पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखे कि आप एमर्जेन्सी जैसी कोई चीज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहां मामलेदार के लेखपाल ने एमर्जेन्सी के नाम पर पैसा वसूल किया और जब वह सरकारी खजाने में ठीक से नहीं आया तो हमें यहां सवाल के जवाब में बताया गया कि जांच कराई गई और सब ठीक पाया गया। फरेंदा तहसील में एस० डी० एम० और तहसीलदार ने वहां के लोगों को ३ बजे से ले कर सुबह ४ बजे तक, जो अपनी तबियत से ३ बार चन्दा दे चुके थे, उन्हें बिना खाना-पानी के बिठाये रखा कि चन्दा ७०,००० रुपया और दो। आज ही मेरे प्रश्न के उत्तर में देवरिया जिले के बारे में कहा गया। मेरा कहना था कि सोना बनारस के बाजारों से खरीद कर दिखाया जा रहा है कि ये सोने की सिल्लियां देहात-वालों ने दीं। श्रीमन्, आप भी देहात के रहने वाले हैं, आप ही जरा सोचें कि गांव के रहने-वालों के पास सोने की सिल्लियां कहां से आ सकती हैं? लेकिन उत्तर में कहा गया कि देवरिया जिले में देहात के लोगों ने सोने की सिल्लियां दीं। यह कितनी अतिश्योक्ति है? हम जो नैतिकता इमर्जेन्सी में पैदा करना चाहते थे वह नहीं कर पाये हैं। गोरखपुर का जिला बार्डर पर है। सुनौली और ककरहवा में २,००० तिब्बती पड़े हुए हैं और वह आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, नाम नहीं लेता हूं, कि हमारे यहां के सिटी मैजिस्ट्रेट घर में बैठकर रासलीला करवा रहे हैं। यह सरकार अपने अधिकारियों पर जितना विश्वास कर रही है, उससे यह फासिज्म की ओर जा रही है। मुझे अफसोस है कि १००, १०० और २००,२०० रुपये के अंग्रेजी राज्य के गुलामों को यह सरकार बढ़ावा दे रही है जो इस प्रदेश को पुराने ढांचे पर रखना चाहते हैं। इससे प्रदेश की कोई तरक्की नहीं हो सकती।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में बजट तो सदैव प्रस्तुत होते रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन इस वर्ष संकटकालीन स्थिति को देखते हुए, उसकी गंभीरता को देखते हुए और सर्वतोमुखी विकास को देखते हुए जितना सुन्दर बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। बजट के संबंध में जो आलोचनायें हुई हैं, उनको सुनने और इस बजट को पढ़ने का मौका मुझे मिला। मुझे आशा थी कि विरोधीपक्ष संकट-कालीन स्थिति को देखते हुये इस प्रकार का सुझाव रखेगा, जिससे प्रदेश के लोगों का लाभ होगा और जिससे यह प्रदेश और देश समृद्धि के पथ पर चलकर सुरक्षा के कार्य में अधिक दृढ़ हो सकेगा। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन तर्कों और आलोचनाओं का सिंहावलोकन करने के बाद, मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे वही घिसी-पिटी और पुरानी दलीलें हैं। आज इस संकट-काल में तो हमारा संगठन और भी अधिक दृढ़ होना चाहिये था और ऐसा वायुमंडल पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिये था जिससे प्रत्येक व्यक्ति यह समझ सकता कि देश की सुरक्षा और उसके आगे बढ़ाने के कार्य में सब एक मत हैं।

उन आलोचनाओं से एक बात और टपकती है कि उनमें वास्तविकता की कमी थी केवल आलोचना करने की दृष्टि से ही आलोचना की गयी थी तथा सस्ती लोकप्रियता को उपार्जन करने की भावना थी। इससे राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आलोचनायें निचले स्तर की

हुई । राज्य कर्मचारियों और मंत्रियों की आलोचनाएं की गयीं, उनके दौरों की आलोचना की गयी । इसके अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों ने जिस तत्परता और लगन के साथ चंदा वसूल किया उसकी भी आलोचना की गयी । मंत्री यदि दौरा करते हैं तो वह जनता को संकट कालीन स्थिति का अवलोकन कराने के लिये ही करते हैं, उसको संगठित करने के लिये ही करते हैं, इसमें क्या अनुचित है ? राज्य कर्मचारियों ने सुरक्षा के नाम पर यदि चंदा इकट्ठा किया और यदि उनमें कहीं ऐसी बात भी हो गयी हो जो लोगों को पसन्द नहीं आयी तो उसमें अनुचित क्या है । उसमें उन्होंने अपने लिये तो कुछ किया नहीं, राष्ट्र के लिये ही किया । इसका तो स्वागत होना चाहिये था ।

मितव्ययिता की बात भी कही गयी और कहा गया कि मंत्रिमंडल को कम कर दिया जाय । लेकिन जिस प्रकार की मनोवृत्ति से प्रेरित होकर यह बात कही गयी, उससे तो आगे चल कर यह भी कहा जा सकता है कि विधान मंडलों और पार्लियामेंट को भी तोड़ दिया जाय । लेकिन ये सब थोथी बातें हैं, जो केवल सस्ती लोकप्रियता को प्राप्त करने की बातें हैं । इसके पीछे और कोई भावना नहीं है । जब हमारा काम बढ़ गया है तो विद्वता का तकाजा तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा आमदियों से काम लें । एक आदमी के पास अगर एक ही काम है तो वह अच्छा करेगा, लेकिन अगर उसके पास १० काम डाल दिये जायेंगे तो वह अच्छा काम नहीं कर सकेगा और क्षमता गिर जायगी ।

मेरी समझ में तो इस बजट में बहुत सी अच्छी बातें हैं । संकट-कालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिये इसमें सैनिक स्कूल और पी० आर० डी० की संख्या बढ़ाने के बारे में कहा गया है । इससे हम आगे आने वाले संकट का मुकाबला कर सकते हैं ।

बहुत सी चीजों में कमी कर दी गयी, यह भी कहा गया । लेकिन यह संकट काल है इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, सब क्षम्य है । मैं विरोधी दलों से निवेदन करूंगा कि वे इतिहास की वह दुर्भाग्यपूर्ण चीज को न दुहरायें कि हम संकट के समय भी संगठित न हो पाये और दुश्मन का मुकाबला न कर सके । उससे हमारा नुक्सान हो सकता है । हमारे यहां प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी है, सब जनता के चुने हुए ही प्रतिनिधि हैं । वे परिस्थिति से अवगत हैं, उनके अन्दर विवेक है, उनके अन्दर दूर दर्शिता है और वे सब जानते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हमको काम करना चाहिये । मैं अपने सारे माननीय सदस्यों से, उनकी सुन्दर भावनाओं के लिये अपील करता हूं कि वे इस स्थिति की गंभीरता को सोचें और उनकी जो आलोचना हो, उनका जो तर्क हो वह उसी ऊंचे स्तर का होना चाहिये जिस प्रकार कि स्थिति की मांग है । सरकारी कर्मचारियों ने जिस योग्यता, जिस धैर्यता और जिस तत्परता के साथ सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के लिये प्रोत्साहित किया है, क्या वे उसके लिये प्रशंसा के पात्र नहीं हैं ? समय-समय पर हमेशा आलोचना करना, चाहे वह तथ्यहीन हो या तथ्ययुक्त हो, एक प्रकार से उनके मानसिक स्तर को गिराना है । जब उन्होंने बहादुरी से और ईमानदारी से काम किया है तो इसके लिये वे प्रशंसा के पात्र हैं, बजाय इसके कि उनकी निन्दा करके उनको निरुत्साहित किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और इतना सुन्दर बजट प्रस्तुत करने के लिये माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बजट तो किन्हीं विचारधाराओं का एक स्थूल रूप होता है और इस १०-१५ मिनट के समय में बजट के स्थूल रूप पर बहुत अधिक बातें नहीं की जा सकतीं । लेकिन विचारों पर तो बातें की जा सकती हैं । जहां तक मैंने देखा है, इस बजट में तीन बातों का ध्यान रखा गया है । सुरक्षा, प्रशासन और विकास । सुरक्षा के विषय में हमारे एक माननीय सदस्य जो पहाड़ी जिले के हैं, उन्होंने एक दिन कुछ गंभीर बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था । अगर उन बातों में ५० फीसदी भी सच्चाई है तो मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये । उन माननीय सदस्य से यह अनुरोध जरूर है कि

[श्री महादेव]

ऐसी बातें क्या वे माननीय मंत्री जी से नहीं कह सकते थे ? और अगर सरकारी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों की बातों को भी मंत्रि-गण अनसुनी कर दें और ऐसी गम्भीर बातों पर भी ध्यान न दे सकें, तो फिर यह बड़े भारी दुख की बात होगी ।

"आस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा,
हिमालयो नाम नगाधिराजः ।"

अर्थात् उत्तर दिशा में देवात्मा पर्वतराज हिमालय है । इसका हमारा सारा इतिहास साक्षी है कि वह हमारी सारी संस्कृति का केन्द्र है, हमारे जीवन का आधार है । उसके उत्तर में चीनी शासन उस पुरानी चंगेजी मनोवृत्ति को प्रोत्साहित कर रहा है जिसने हजारों वर्ष तक दुनिया को तमाम तातारियों, मंगोलियनों और हूणों के रूप में तबाह कर रखा था । आपने अखबारों में भी देखा होगा कि चीन की सारी नीति उसी चंगेजी भावना पर आधारित है । जहां-जहां भी उसने हमला किया, वहां उसकी वही मनोवृत्ति देखने को मिली है ।

"यौवनं धन सम्पत्तिः प्रभुत्वं अविवेकिता,
एकैकस्य अनर्थाय, किमु यत्र चतुष्टये ।"

अर्थात्, चीन के पास शक्ति भी है, उसमें अविवेक भी आ गया है, उसमें मदमस्ती भी पैदा हो गयी है । इससे आप सोच सकते हैं कि वह कितना विकट शत्रु हो सकता है । हमारी सरकार और जनता को इस स्थिति को गंभीरता के साथ देखना होगा । उसकी शक्तियां जिस तरह की हैं उनको हमें ठीक ढंग से समझना होगा, उसकी भावनाओं को समझना होगा और साथ ही अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को भी समझना होगा ।

"यः एव यत्नः क्रियते, परराष्ट्र परिमर्दने
स एव यत्नः कर्त्तव्यः, स्वराष्ट्र परिपालने ।"

दूसरे राष्ट्रों का नाश करने में जितनी शक्ति की जरूरत होती है, उतनी ही शक्ति की जरूरत होती है, उतनी ही सावधानी की जरूरत होती है अपनी रक्षा के लिये । ऐसी हालत में हमें अपनी शक्ति की भी परीक्षा करनी होगी और अपनी कमजोरियों की भी । माउत्सेतुंग और उनके साथी जिन का चीन में इतना बड़ा राज्य है जिनकी इतनी बड़ी सत्ता है वह कोई एकदम फूलों की सेज से नहीं उठे हैं वरन् पचीसों साल के संगठन से वह उठे हैं और आज इस स्थिति में आये हैं । अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके भयावह परिणाम हो सकते हैं । हमारी जो ताकत है, जो हमारा नैतिक बल है वह सत्य के रास्ते पर है, संसार आज हमारा साथी है, सारे देशों की ताकत हमारे साथ है, प्रजातंत्र के ढांचे पर हम अपने राष्ट्र के भवन को उठा रहे हैं यह सब हमारी ताकतें हैं लेकिन इनके साथ ही हमारी कमजोरियां भी हैं जिनको हम त्रिसिरा कह सकते हैं जिसके कि ३ सिर हैं और शरीर एक है । वह सिर हैं नफाखोरी, घूसखोरी और दलखोरी । दलखोरी से मेरा मतलब राजनैतिक दलों से नहीं है बल्कि मेरा मतलब इससे उन भावनाओं से है जिनके पीछे कि दलों और गुटों के नाम पर सारे राष्ट्र के सुख और भविष्य को आंखों से ओझल किया जाता है । यह एक खतरनाक चीज है । इन तीनों का ऐसा परस्पर संबंध है कि आप अगर चाहें भी कि हम नफाखोरी हटा दें तो उसके साथ ही घूसखोरी और दलखोरी रहती हैं । मुझे नौकरशाही से शिकायत कोई नहीं, लेकिन शिकायत इस बात से है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सके । इतना खतरा गरीबी से नहीं है वह चली आती है दस साल अभी और सही लेकिन जिस तरीके से यह त्रिसिरा हमारी जनता को तबाह कर रहा है और मनोबल की हानि कर रहा है, उसकी ओर सरकार ने और जनता के नुमाइन्दों ने आवश्यक ध्यान नहीं दिया । यह बहुत बड़े खतरे की बात है । चीन में चांकाई शेक कोई अपनी फौजी कमजोरी से नहीं हारा, उसके पास अमरीकन सामान से लैस फौजें थीं और मुश्किल से ५० हजार किसानों की फौज माउत्सेतुंग के पास रही होगी लेकिन उसने जनता और किसानों को समझाया और नारा लगाया कि हमारी सत्ता होगी तो किसान जमीन

के मालिक बनायें जायेंगे, घूसखोरी खत्म होगी कृषक ही सब से धनी होंगे और उसका यह नारा काम कर गया । यह सौभाग्य की बात है कि हमारे यहां भी जमींदारी समाप्त हुई, आज किसानों का दिल मजबूत है और उनमें गरीबी से टक्कर लेने का साहस है लेकिन अगर वह कुछ क्षीण आज हो रहा है तो वह केवल इन्हीं तीनों कारणों से हो रहा है और कोई भी लड़ाई अगर जनता का मनोबल साथ नहीं है तो केवल पैसे से नहीं लड़ी जा.सकती । इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये ।

जहां तक चन्दे का प्रश्न है चन्दा जरूरी है क्योंकि हम इसके द्वारा ही उसका प्रशिक्षण करते हैं, उसकी मनोभावनाओं को ऊपर उठाते हैं लेकिन रुपये के लालच में चन्दे की सरकारी अफसरों के द्वारा वसूली नहीं होनी चाहिये, हो सकता है कि इस तरीके से रुपया कुछ अधिक मिल जाय लेकिन इससे नुकसान कहीं बड़ा होगा बनिस्बत इस तरीके से वसूल किये गये चन्द लाख रुपयों के मुकाबले में।

जहां तक विकास का प्रश्न है मेरा एक नम्र निवेदन है। कुछ साथियों की शिकायत है कि वही बातें बार-बार कही जाती हैं, बात तो उनकी सही है लेकिन वह यह क्यों भूल जाते हैं कि लौट-फेर कर वही समस्यायें हमारे सामने हैं वही चोर बाजारी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, नफाखोरी हमारे सामने है तो फिर बात किस की करें? बार-बार वही बातें आयेंगी। जब तक नई परिस्थितियां नहीं आयेंगी, नये सवाल हमारे सामने नहीं आयेंगे, तब तक हम उन्हीं परिस्थितियों में जकड़े हुये हैं, हम उन्हीं बातों को मजबूरन दोहरायेंगे, बार-बार उन्हीं को हमें, आपको कहना होगा और कुछ उधर के बैठने वालों को यह शिकायत होती है कि इधर के लोग ऊल-जलूल बात कह जाते हैं। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मेरा निवेदन है कि संजय ने कहा है "अप्युन्मतात् प्रलपतः वालाच्च परिजल्पतः, सर्वतः सारमदद्यत् अश्यम्य इव कान्चनम्"। शासक का कर्त्तव्य है, पता नहीं कितने लोगों के मुंह से सही बातें निकली हैं आपको उनको नजरन्दाज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई पागल भी हो, बच्चा भी हो परिजल्पन करता हो तब भी उसके अन्दर जो सार चीज है उसको शासक को ग्रहण कर लेना चाहिये। यह बात जरूर है जितना ही इधर के भाई चीख चिल्लाहट किये उतना ही उधर के लोगों ने कान में तेल डाल लिया और आगे की पंक्ति तो सुनना ही पसन्द नहीं करते। लेकिन जिम्मेदारी हम सब पर है। हो सकता है कुछ बातें कही गई हों जो आपको अरुचिकर हों। यह भी मैं मानता हूं कुछ बातें बढ़ा-चढ़ा कर कहीं हों। लेकिन जो उसके अन्दर सच्चाई है उसको ग्रहण करने में उस दल की कोई हानि नहीं है जिसके हाथ में आज सत्ता है।

अब मैं चन्द सुझाव देना चाहता हूं, यद्यपि इतने कम समय में यह सम्भव नहीं है। मैंने कई बार मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी से मिल कर कुछ बातें करने की कोशिश की, लेकिन आज तक संयोग न मिला, यह मेरा दुर्भाग्य है। इसलिये ऐसी बातों पर सुझाव यहां मांगना न सम्भव है और न उसके साथ न्याय किया जा सकता है। डेमोक्रेसी की बात एक माननीय सदस्य कर रहे थे। डेमोक्रेसी के लिये खतरा नौकरशाही से नहीं है बल्कि उस दलशाही से है जिसके अन्दर टिकटबाजी चलती है। यह प्रजातन्त्र की भावनाओं के बिल्कुल विरुद्ध है। दूसरी चीज जड़ हिलाने वाली वहां है जहां आप प्रजातन्त्र के रक्षक गांवों में पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आप दल से रक्षा नहीं कर सकते, नौकरशाही से रक्षा नहीं कर सकते, एक अच्छी स्थिति पैदा करके नहीं कर सकते, बल्कि प्रजातन्त्र के प्रहरी चाहियें। अगर एक जिले में आप १,०००, १,५०० आदमी पैदा कर दें जो स्वतन्त्र रूप से अच्छी खेतिहरी, अच्छे ग्रामोद्योग, अपने पेशों पर निर्भर हो कर चला सकें तो वह प्रजातन्त्र के प्रहरी हो जायेंगे। वे आपकी पंचायतों की रक्षा कर सकेंगे, हमारे और आपके ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे, सरकार के कामों को देख सकेंगे। आपने वह एलीमेंट १५ साल में पैदा ही नहीं किया, जिसके बल पर प्रजातन्त्र की नींव गहरी आप डाल सकें। यह तो ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ कमजोर होती जा रही है और उसमें इधर-उधर लग्गी लगा कर तूफान से बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं।

श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं १९६३-६४ के बजट के लिये वित्त मन्त्री जी को धन्यावाद देता हूं। इस बजट पर हुये भाषणों को गौर से सुना, और देखा कि अधिकतर लोगों ने वह आलोचनायें की हैं जो आज के समय में, जब कि संकटकाल हो, अच्छी नहीं थीं। यह सच है कि बजट के समय आलोचनायें होनी चाहिये और वह आलोचनायें उसी हद तक सही भी हो सकती हैं, यदि उनके साथ कुछ ऐसे सुझाव भी आयें, जिनसे प्रदेश को कुछ लाभ हो। लेकिन अभी तक के भाषणों में ऐसी बातें सामने आयीं जिनका उपस्थित करना उचित नहीं था। जहां तक संकटकालीन स्थिति का सम्बन्ध था उसमें यह उचित होता कि ऐसे सुझाव आते, जिससे हमारे प्रदेश को कुछ सहयोग मिलता। लेकिन ऐसी ही आलोचनायें की गयीं कि जो कमियां थीं उनको मन्त्री महोदय पूरा नहीं कर पाये। मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में वह सारी बातें दिखलाने की कोशिश की है जो इस समय में उचित हो सकती थीं। देखना तो यह है कि हमारे मन्त्री महोदय या सरकार की भावनायें क्या हैं। काम करने वाला आदमी अगर अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हो और फिर अगर कोई कमी रह जाती है तो यह कोई ऐसी बात नहीं है।

बजट भाषण पर वादविवाद के सम्बन्ध में बहुत सी ऐसी बातें सामने आयीं जो सत्य से परे हैं। मिसाल के तौर पर चन्दा वसूल करने की बात कही गयी। मैं सारे प्रदेश की तो नहीं कहता, अपने जिले की बात जानता हूं, सुरक्षा कोष के लिये किसी भी अधिकारी ने किसी को सता कर चन्दा इकट्ठा नहीं किया बल्कि लोगों ने स्वयं बड़ी खुशी से उसमें चन्दा दिया है। यह सही है कि बहुत से अमीर लोगों ने जो शहरों में रहते हैं और जिनकी पूंजी का कोई हिसाब नहीं है चन्दा देने में कुछ पीछे रहे हैं लेकिन जहां तक ग्रामीण जनता का सम्बन्ध है उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने प्रेम के साथ चन्दा देने में कोई कमी रखी हो। तो जहां तक मेरे जिले का ताल्लुक है वहां कोई सख्ती नहीं हुई। हो सकता है कहीं और हुई हो लेकिन मैं अपने जिले की बात कहता हूं।

इस तरह की चूंकि बहुत सी बातें हो चुकी हैं, इसलिये मैं इधर ज्यादा न कह कर कुछ अपने क्षेत्र की बात कहूंगा। मेरे क्षेत्र के पास न कोई कस्बा है, न शहर है, न कोई ऐसी सड़क है जिससे एक कस्बे को दूसरे कस्बे को मिलाया जा सके। वह ऐसा बैकवर्ड इलाका है जहां गंगा का खादर है और छोटे-छोटे गांवों में किसान और मजदूर बसे हैं। उनके आने जाने का कोई साधन नहीं है कि वक्त जरूरत पर वे शहर जा कर अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सकें। तो सरकार को चाहिये कि ऐसे बैकवर्ड एरियाज में आने-जाने के साधन जुटाये। लेकिन मैं देखता हूं कि जहां हमारे यहां १३ मील सड़क थी वहां उसको कम करके सिर्फ ९ मील रखा गया है। यह कोई उचित न्याय नहीं हुआ है। मन्त्री महोदय को पिछड़े हुये क्षेत्रों की तरफ खासतौर से ध्यान देना चाहिये।

एक बात मैं हरिजनों के सम्बन्ध में जरूर कहूंगा। यह सही है कि आज की स्थिति में इस बात की आवश्यकता थी कि बहुत सी बातों में कमी की जाती लेकिन हरिजनों का एक ऐसा समाज है जिसे ऊपर उठाने की बहुत जरूरत है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अभी काफी समय लगेगा। लेकिन मैंने देखा कि हरिजन कार्यों में भी कमी की गयी है। अगर इस मद में कमी न करके कहीं दूसरी जगह कमी की जाती तो उचित होता। बजट में और सब बातों की तो चर्चा की गयी है, लेकिन हरिजनोत्थान की कोई चर्चा इसमें नहीं पायी गयी। जहां तक पिछड़े हुये क्षेत्र और पिछड़े हुये समाज की बात है, उसको उठाना हमारा परम कर्तव्य है। सरकार को चाहिये था कि इसके आंकड़े रखते हुये हरिजनों का जहां तक रिजर्वेशन का सम्बन्ध है उसमें जितनी कमी रही है उसको पूरा करने का लक्ष्य हमारे सामने आना चाहिये था, जो नहीं आया है। मैं बजट का समर्थन करते हुये अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, यह घाटे का बजट है, जिसको मैंने पढ़ा भी और इतने दिनों के वाद-विवाद को भी सुना है। इसको पढ़ने से किसी कवि का कथन याद आता है जिसको मैं आपके

सामने रख रहा हूं—

"इन आंखों ने क्या-क्या तमाशा न देखा, हकीकत में जो देखना था न देखा।
बहुत शोर सुनते थे इस अंजुमन का, यहां आकर जो कुछ सुना था न देखा।
बहुत दर्द मन्दों अक्लमदों को देखते हैं, तूने यह सीना, यह दिल, यह कलेजा न देखा।"

अधिष्ठाता महोदय, यह प्रस्तुत बजट समाज के ऊपर शासक वर्ग के अकलिया डकैती का प्रतीक मालूम होता है। समाज को इस तरह से कागजी जंगल में फंसाकर घसीटा जा रहा है और यह बात साफ नहीं हो पा रही है कि किस तरह से हम शासक वर्ग के सामने अपनी चीजों को रखें, जिससे वह विश्वास करके उस आधार पर अपने कार्य को चलायें। बजट की आलोचना होती ही है। ५ करोड़ का घाटा दिखाया गया है और १० करोड़ के लगभग सरकार को वसूल करना शेष है। इस बजट को हम केवल यह कह सकते हैं कि यह अमीरों का पोषक और गरीबों का शोषक है। इसके अन्दर ग्रामीण जीवन की जो झलक दिखाई गई है, वह न जाने कब से लाइन बनी चली आ रही है, लेकिन व्यावहारिक जगत में कोई असर नहीं पड़ा है। सरकार ने जहां-जहां कटौती की है, उसे देखिये। प्रति वर्ष सरकारी इमारतों की पुताई के बजाय एक एक साल बाद हुआ करेगी, छोटे-मोटे कर्मचारी जैसे चपरासी वगैरा को निकालकर बचत दिखाई गई है। अब खर्चे को देखिये। मन्त्रियों के लिये पांच कार खरीदनी हैं और ११ लाख का हैलीकाप्टर के खरीदने का एलाटमेंट है। अभी ६० हजार रुपया रिहन्द बांध पर खर्च किया गया है। इस तरह से सरकार के बजट को देखने से पता चलता है कि करनी और कथनी में अन्तर है। हरिजन और गरीबों के विषय में, चाहे सरकारी कागजों में जितनी भी स्कीमें बनी हों, लेकिन उनका व्यावहारिक जगत में कतई लगाव नहीं है। इसके ऊपर जो भी उच्चाधिकारी जांच करने के लिये जाते हैं, वह केवल कागजी आंकड़े देखते हैं, निर्मित कार्यों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। नतीजा यह है कि सारा का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है और रुपया बरबाद हो रहा है।

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन के अन्दर बहुत से प्रश्नों के ऐसे उत्तर गलत ढंग से दिये जाते हैं, ऐसे गलत ढंग के बयान देते हैं, जिनसे सरकारी कर्मचारी प्रेरणा लेते हैं और गलत काम करते हैं। शासक वर्ग से यह कहा जाता है कि जो विरोधी हैं वह बिल्कुल गलत बात कहते हैं। इसका प्रमाण उनके पास कुछ है नहीं। सिर्फ इतना कह कर टाल देते हैं कि विरोधी हैं इस लिये विरोध करते हैं। अगर ठीक से जांच की जाय तो आपको ठीक से पता चल सकता है कि हम कितने गलत या सही हैं।

मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां की कहानी, एक वर्ष के अन्दर की बताता हूं कि किस तरह से वहां सरकारी कर्मचारी और सामन्तवादी वर्ग मिल कर समाज को परेशान किये हैं। वहां पर एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने क्षेत्रीय जनता की सारी भूमि, पटवारी से मिलकर, अपने परिवार या अपने नौकरों के परिवार के नाम लिखा रखा है, बिलकुल फर्जी। चार पांच वर्षों से जनता ने इसकी बार बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवायी नहीं है। एक वर्ष से जब से मैं आया, जनता ने मुझसे यह कहा कि हमारी बातों को ऊपर पहुंचाओ। जब मैंने उन की बातों को ऊपर तक पहुंचाना शुरू किया, अधिष्ठाता महोदय, ढाई सौ आदमी यमुना नदी पर नाव पर सवार हो कर जिलाधीश इलाहाबाद के बंगले पर ३० अगस्त, १९६२ को पहुंचे और अपनी सारी कहानी लिख कर दी कि हमें यह परेशानी है। आप हमें बचायें। जिलाधीश महोदय ने कहा कि अच्छा हम देखेंगे। मौजूदा हाकिम परगना ने जांच किया, लेकिन आज तक पता नहीं कि वास्तव में वह शिकायतें सही हैं या नहीं। जब उन महोदय को यह मालूम हुआ तो उन्होंने १०७-११७ और भिन्न-भिन्न तरीके के गलत मुकदमे दायर करवा कर ढाई सौ आदमियों को मुकदमों में फांस दिया है जिनको पचास मील दूर जाना पड़ता है। चार-पांच हजार रुपया उस गांव की गरीब जनता का निकल गया है। एक नहीं पचासों दरख्वास्तें प्रान्तीय सरकार और जिला सरकार में हैं लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। तो कैसे मानें कि सरकार गरीबों की है? सरकारी वर्ग यह कह सकता

[श्री नाथूराम शिक्षक]

है कि इनकी आलोचना गलत है। तो मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान १७ फरवरी के स्वतन्त्र भारत की ओर आकृष्ट करता हूं जिसमें गृह मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने इलाहाबाद की सहकारी समितियों का काफी विरोध किया है। वह आप चाहें तो पढ़ कर सुना सकता हूं। उसके साथ-साथ तहसीलों और तहसीलदारों की भी आलोचना की है कि तहसीलों में बड़ा भ्रष्टाचार है। इसी तरह माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई के विषय में भी नहरें बनायी जाती हैं लेकिन पानी उनमें नहीं पहुंचाया जाता है। कुयें पाट दिये जाते हैं और नहरें निकाल दी जाती हैं, लेकिन किसान को मौके पर पानी नहीं मिल पाता। अधिक अन्न उपजाने की चर्चा १४-१५ सालों से चल रही है लेकिन वह अभी तक सफल न हो सकी।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा अपने वित्त मन्त्री जी को सन् ६३ के आय-व्ययक पर बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार ने बहुत ही सोच समझ कर के और जनहित के सारे कार्यों को अपने समक्ष रखकर यह बजट बनाया है। जहां तक बजट की या सरकार की कमियों या बुराइयों का प्रश्न है, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि राम राज्य में भी राम की बुराई हुई और कृष्ण के राज्य में कृष्ण की बुराई हुई, जिसका भी शासन आया, चाहे उसमें कितनी ही अच्छाइयां क्यों न रही हों, परन्तु अच्छाइयों को पीछे छोड़ दिया गया और बुराइयों को आगे रखा गया। वही कर्त्तव्य, श्रीमन्, आपका भी है।

(व्यवधान)

आप भी तो उसी में से हैं, इस सदन में कुछ कह दिया, मुख्य मन्त्री जी के कमरे में कुछ और कह दिया और यहां आकर सरकार को बदनाम कर दिया। यह उन्हीं नेताओं के कृत्यों का परिणाम हमें भी उठाना पड़ा है। विरोधी दलों का मान्यवर, यह कर्त्तव्य होता है कि वह देश और प्रान्त के प्रति अपने अच्छे सुझाव दें। यहां हर एक माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र और अपने-अपने जिले की बात करता है कि नहरों में पानी नहीं मिलता, विकास क्षेत्रों में कार्य नहीं हो रहा है। मैं पूछता हूं कि सारे प्रदेश के किसी क्षेत्र में क्या सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है? अगर ऐसा नहीं है तो जिन क्षेत्रों में अधिकारीगण अच्छे कार्य कर रहे हैं और उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, उनका भी तो कुछ जिक्र होना चाहिये था। लेकिन किसी ने यह जिक्र नहीं किया कि उसके क्षेत्र में कोई कार्य अच्छा भी हुआ है। क्या सारी की सारी जगह सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है, बजट का सारा का सारा पैसा बेकार जा रहा है? मैं पूछता हूं क्या किसी माननीय सदस्य ने यह भी बतलाया कि मेरे जिले से इतनी आय होती है और इतना इस पर खर्चा होता है? देवरिया, गोरखपुर कितना टैक्स देते हैं और कितना उन पर खर्च हो रहा है? क्या सरकार का कार्य वहां पर प्रशंसनीय नहीं है? लेकिन क्या उन जिलों के लोगों ने कभी यह बात कही? माननीय गेंदा सिंह जी बतावें कितना टैक्स उनका जिला देता है और कितना खर्चा उनके जिले पर होता है? और आप ही हैं जिन्होंने यहां कहा, लगान नहीं बढ़ना चाहिये, मुख्य मन्त्री जी के कमरे में जाकर कह दिया कि बढ़ाइये और फिर सरकार को बदनाम भी करते हैं। दूसरी तरफ हमारा मेरठ जिला है जो १४–१५ करोड़ रुपया सरकार को देता है, मुजफ्फरनगर है, बुलन्दशहर है यह पश्चिमी जिले आपसे ज्यादा टैक्स देते हैं लेकिन सरकार को बदनाम नहीं करते। बुराइयां होती हैं, श्रीमन्, लेकिन फिर भी वह सुझाव के रूप में कहते हैं कि हमारे यहां यह कार्य नहीं हुआ, सरकार इधर भी ध्यान दे। आज से नहीं दस वर्षों से सरकार का पूरा बजट पूर्वी जिलों पर खर्च हो रहा है फिर भी वह सरकार की बुराई करते हैं सन् ५७ से लेकर ६२ तक ले लीजिये, कितना रुपया पश्चिमी जिलों पर खर्च हुआ है? जबकि ५, ७ साल से हम अपनी सरकार से यह आशा करते थे कि मेरठ में यूनिवर्सिटी बनेगी, लेकिन वह आज तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं बनी है और सबसे अधिक रुपया मेरठ जिले से टैक्स के रूप में आता है। गोरखपुर में यूनिवर्सिटी बन गई क्योंकि वहां के लिये लोग बहुत चिल्लाये। यही नहीं बल्कि यह भी देखा कि जितना रुपया हरिजनों के लिये पूर्वी जिलों पर खर्च हुआ उतना पश्चिमी जिलों में नहीं हुआ चाहे वह अफसरों के द्वारा खर्च हुआ हो या माननीय नेताओं के द्वारा। वैसे सच पूछा जाय तो हरिजनों के लिये कार्य न पूर्वी जिलों में हुआ और न पश्चिमी जिलों में ही हुआ है। उनकी हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहां पर लोग चाहे वह किसी भी विरोधी दल के हों, सोशलिस्ट हों, प्रजा सोशलिस्ट हों, कम्युनिस्ट हों, जनसंघ हों या स्वतन्त्र पार्टी के हों, सब अपनी अपनी डींग मारते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूं आपने क्या किया? आपने हरिजनों का कितना उद्धार किया? हम तो यह समझते हैं कि आप उससे ज्यादा शोषण करते हैं जितना कि बहुमत दल के लोग करते हैं। विरोधी दल के लोग आज भी २ आना और २ १/२ आना मजदूरी पर उनसे काम कराते हैं और जानवरों के गोबर से जो अनाज निकलता है उसको उनको खाने के लिये देते हैं। यहां पर जब साल भर में बजट आता है तो उस समय हरिजनों का नाम लिया जाता है। मैं पूछता हूं कि विरोधी दल के सदस्यों ने कभी सत्याग्रह किया कि १८ फीसदी पूरा नहीं हो रहा है इसको पूरा किया जाय? सरकार रुपया देती है और बस्ती बनाती है लेकिन वह भी आज अधूरी पड़ी हुई है। हरिजन मिनिस्टर उनको जानकर नहीं देखते हैं कि किस प्रकार से रुपये का उपयोग हो रहा है। हम इस बात को जानते हैं कि किसी मिनिस्टर ने जाकर नहीं देखा है। जब यहां पर मंगला प्रसाद जी थे तो वह जाकर देखते थे कि किस तरह से रुपया खर्च हो रहा है। आज हमारे मन्त्री महोदय जाकर नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है? मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह जाकर देखें कि कितना रुपया सरकार ने दिया है लेकिन फिर भी मेरठ में कालंजरी बस्ती बसाई नहीं गई है। मैं चाहूंगा कि जहां पर इतना रुपया मंजूर किया गया है उसको जाकर देखें कि क्या आज हालत है? कहीं पर अगर इंडस्ट्रियल एस्टेट बनती है तो उनको जाकर देखना चाहिये कि किस तरह से रुपये का प्रयोग हो रहा है। वहां पर सरकार को अगर सहयोग न मिले तो केवल रुपये से यह मसला हल नहीं हो सकता है और समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। यहां पर हमारे ऊधर के भाई अपनी लीडरी गांठने के लिये इस तरह की हरिजनों की भलाई की बात करते हैं। आज हरिजन इतना भोला-भाला नहीं रह गया है कि वह इस तरह की बातों को न समझे। जो उन के अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको भी वह जानते हैं और यहां पर जो बातें की जाती हैं उनको भी समझते हैं। यहां पर महज लीडरी की धाक जमाने के लिये हरिजनों की बात करते हैं ताकि अखबारों में प्रोपेगंडा हो जाय। इस तरह से हरिजनों की बात करने से कोई कार्य होने वाला नहीं है। यह काम तभी हो सकता है जबकि सब लोग मिलकर हरिजनों के कल्याण के लिये कोई बात सोचें। आप सब मिलकर उनको उठायें तभी उनका कल्याण होगा। सरकार के कहने से उनका पिछड़ापन दूर होने वाला नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि विरोधी दल के लोग सरकार को ऐसे कटु शब्द कहते हैं लेकिन फिर भी सरकार उनके क्षेत्रों में अधिक कार्य करती है। और उनके क्षेत्रों में काम अधिक संख्या में होता है। हमारे क्षेत्रों में काम अधिक नहीं होता है। इसी वजह से हमारे क्षेत्रों में काम अधिक नहीं होता है कि हम सरकार को ऐसे शब्द नहीं कहते। गोरखपुर में इस तरह के शब्द कहने से एक यूनिवर्सिटी बन सकती है लेकिन मेरठ में नहीं बन सकती है। वह इसी वजह से नहीं बन सकती है कि वहां पर गेंदासिंह जी जैसे लोग नहीं हैं जो सरकार को सब कुछ कह डालें। उनका धर्म हो गया है कि वह सरकार को इस तरह की बातें कहें। गेंदासिंह जी किसानों के ठेकेदार हो गये हैं वे हरिजनों की बात नहीं कहते हैं जो बेचारे खेतिहर मजदूर हैं। उनका जिक्र इस सदन के अन्दर नहीं करते हैं कि उनकी क्या दशा है? यहां पर वह गन्ने के लिये जरूर कहेंगे और किसानों के लिये जरूर कहेंगे। हम चाहते हैं कि पूर्वी जिले का किसान भी उतनी ही मेहनत करे जितनी पश्चिमी जिले का किसान करता है। किसानों की जितनी आवश्यकतायें हैं उनको पूरा करने के लिये सरकार भरसक प्रयत्न करती

[श्री हरीसिंह]

है लेकिन खेतिहर मजदूरों के लिये कुछ नहीं हो रहा है, जिनके पास झोपड़ी भी नहीं है। सरकार को चाहिये कि उनके लिये तालीम, दवादारु का इन्तजाम करे।

सरकार से मैं एक विशेष निवेदन और करता हूं कि १०, १५ साल से इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हरिजनों के लिये १८ फीसदी की शर्त को पूरा किया जाय। हरिजनों के लिये अगर रिजर्वेशन दिया है तो उसको पूरा करें और नहीं तो उसको हटाइये। अगर सरकार उसको पूरा नहीं करना चाहती है तो हरिजन कल्याण विभाग को खत्म कर दिया जाय और इसको समाज कल्याण विभाग में मिला दिया जाय। तो मेरा नम्र निवेदन है कि १८ फीसदी की यथाशक्ति पूरा किया जाय अथवा उसे वापस लिया जाय। इसके अतिरिक्त हरिजन विभाग के कार्यों की ओर मन्त्री जी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं खड़ा हुआ हूं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देने के लिये नहीं। इसीलिये कि जो बजट उन्होंने पेश किया है वह नौकरशाही बजट है। वह उत्तर प्रदेश के किसानों का बजट नहीं है। माननीय वित्त मन्त्री जी अपने हाथ से भले ही अपनी पीठ ठोंक लें, लेकिन मैं सिद्ध कर दूंगा कि यह नौकरशाही बजट है। नम्बर एक यह कि यह डेमोक्रेटिक बजट नहीं है। डेमोक्रेसी में, श्रीमन, सक्रिय विरोधी दल हुआ करता है, लेकिन हमारे प्रदेश में यह कांग्रेस संस्था विरोधी दलों को समूल नष्ट करने में प्रयत्नशील है। उस पक्ष के जितने हरिजन एम० एल० ए० हैं उन सब को तथा कम्युनिस्ट पार्टी को उसने सरकस का शेर बना दिया है। कम्युनिस्टों पर यह उसका दूसरा हमला है। तीसरा हमला उसका रिपब्लिकन्स पर हुआ। हम लोग ९ हैं लेकिन हमको आज तक मान्यता नहीं मिली है अभी ३, ४ दिन हुये, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने लिखित उत्तर दिया था झारखंडेराय जी के प्रश्न के उत्तर में कि ५ रिपब्लिकन्स इस प्रदेश में गिरफ्तार किये गये हैं। हम रिपब्लिकन्स सच्चे हैं, ईमानदार हैं, जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं। कैसे गिरफ्तार हुये, कब गिरफ्तार हुये इस सम्बन्ध में मैंने अल्पसूचित प्रश्न भी दिया है। देखा जाय कि कब जवाब मिलता है ? चौथा हमला, स्वतन्त्र पार्टी की ओर देखिये। विंग खाली है। ५वां हमला, जनसंघ पर। वह तो उनके भाई हैं क्योंकि साम्राज्यवाद के वह भी पोषक हैं और यह भी। चोर-चोर मौसेरे भाई। श्रीमन्, अब रही एक यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी जिसकी मैं हृदय से भूरि-भूरि प्रशन्सा करता हूं। तो नम्बर एक तो यह कि यह नौकरशाही बजट है। नम्बर दो कि मैं कांग्रेस की सहकारिता की नीति का हृदय से विरोध करता हूं।

(हंसी)

हंसिये नहीं। यह कांग्रेस देहात में कहती है कि हम कोआपरेशन से काम चलायेंगे, लेकिन शहर में कम्पीटीशन चलाती है। एक तरफ कोआपरेशन और दूसरी तरफ कम्पीटीशन मैं कहता हूं कि जब आप देहात में कोआपरेशन से काम चलाना चाहते हैं तो शहरों में भी उसे क्यों नहीं लाते या दोनों जगह ही कम्पीटीशन क्यों नहीं लाते ? श्रीमन्, हमारा विधान एक प्रकार की नागरिकता को मान्यता देता है, लेकिन आप दो तरह की नागरिकता पर क्यों अमल करते हैं ? मैं एक बात आपके माध्यम से कांग्रेस संस्था को बतलाना चाहता हूं और वह यह कि यह कांग्रेस किसानों की हमेशा से जानी दुश्मन रही है।

(हंसी)

मैं इसका जीता जागता उदाहरण रखता हूं उनकी आंख खोलने के लिये। जून, १९३९ में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने वर्कर्स को एक सरकुलर ईश्यू किया था कि किसानों के जितने भी आन्दोलन होंगे उनमें कोई भी कांग्रेसी शामिल नहीं होगा। जब श्री सुभाष चन्द्र बोस ने इसका विरोध किया तो उनको ५ साल के लिये मुअत्तल कर दिया गया था। इसी कांग्रेस ने किया था।

एक सदस्य--

आप कहां थे उस वक्त ।

श्री श्यामलाल--

यदि मैं गलत कहता हूं तो मेरे खिलाफ ऐक्शन लीजिये, और वह भी अगर हिम्मत हो तो। आप कोआपरेशन के द्वारा किसानों का शोषण कर रहे हैं। हमारी एक माननीया सदस्या श्रीमती सुशीला रोहतगी ने ही एक प्रश्न कानपुर के सम्बन्ध में कोआपरेटिव मिल्क यूनियन से सम्बन्धित उठाया था। तो हमारे सहकारिता मन्त्री जी ने जवाब दिया था कि हजारों रूपया का दूध फेंक दिया गया, इसलिये कि वह सड़ गया था। मैं कहता हूं कि यह कोआपरेशन का एक जीता जागता नमूना है। मेरा यह निश्चित मत है और स्पष्ट कथन है कि सरकार की यह सहकारिता की नीति को मैं उसी रंग में देखता हूं और उसी रूप में देखता हूं, जिस प्रकार से कि चीन के कम्यून्स को देखता हूं। वह दिन दूर नहीं है कि यदि सहकारिता की नीति इस सरकार की पूर्णरूपेण सफल हो गई तो इस प्रदेश का हर एक नागरिक चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, उन सब के हाथ उसी प्रकार से बंध जायेंगे, जिस प्रकार से कि कम्यून्स के हाथ चीनियों की डिक्टेटरशिप ने बांधें हैं।

मैं एक और मौलिक बात कहना चाहता हूं। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की खूब आलोचना की है। लेकिन राजस्व विभाग की आलोचना उन्होंने नहीं की। हो सकता है कि राजस्व विभाग से उन्हें काफी मात्रा में व्यक्तिगत रूप से फायदा रहा हो। इसीलिये राजस्व विभाग की उन्होंने आलोचना नहीं की है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि आज जो वतरनी किसान के ऊपर चकबन्दी द्वारा, राजस्व विभाग चला रहा है, वह एक विचारणीय प्रश्न है। इस सम्बन्ध में कई एक प्रश्न भी किये गये, परन्तु राजस्व मंत्री जी जवाब भी खूब देते हैं। मैं आपके सामने अपने क्षेत्र का एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। छोटे-छोटे जितने भी किसान हैं, केवल इतना ही नहीं कि उनको खेत से निकाल कर उनको खराब खेत दे दिया गया हो, बल्कि छोटे-छोटे किसानों की उनकी छोटी-मोटी प्रापरटीज भी कनफिसकेट कर ली गई हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें अंगूठे भी लगवा लिये गये हैं।

श्रीमन्, जो लाल बत्ती जल गई है, वह तो देख ही रहा हूं परन्तु मैं आपसे केवल ५ मिनट का समय और मांगना चाहता हूं। मैं अपनी मौलिक बातों को बहुत शीघ्र और संक्षेप में समाप्त कर देना चाहता हूं।

श्रीमन्, हमारी सरकार एक फैक्टरी अलीगढ़ में बटर वगैरह की खोलने जा रही है। मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आज जब कि एक विदेशी ने हमारे ऊपर हमला किया है और हमारी मान-मर्यादा पर हमला किया है तो आपको गन की फैक्टरी खोलनी चाहिए न कि मक्खन आदि की। यह काम तो जनता भी कर सकती है। मक्खन की फैक्टरी तो आज के समय को देखते हुए कोई इतना महत्व नहीं रखती है। आज हमको बन्दूक की आवश्यकता है और उनके निर्माण के लिये फैक्टरी को खोलना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दूसरे के अधिकार पर यह सरकार नाजायज तरीके से हमला करती है। जो हमको अधिकार कान्सटीट्यूशन से मिले हैं, उन पर यह सरकार आक्रमण कर रही है। यह नितान्त गलत है ।

एक बात और जो कि मौलिक है मैं आपको बता देना चाहता हूं और साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस पर ध्यान दें। एक फैक्टरी अल्यूमूनियम की भी खुलने जा रही है। हमारे हिन्दुस्तान में १६ स्वास्थ्य मंत्री हैं और पूरे देश के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उन १६ मंत्रियों के हाथ में है। परन्तु हमें तो अपने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी से विनती करनी है कि यह जो अल्यूमूनियम की फैक्ट्री खुलेगी और जो अल्यूमूनियम के बर्तन तैयार होते हैं, उनका उपयोग तो यह धनी वर्ग के लोग नहीं करते हैं, बरन जो छोटे तबके के लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वही उनका उपयोग करते हैं क्योंकि वह सस्ते होते हैं। उसी में वे दाल वगैरह पकाते हैं।

[श्री श्यामलाल]

तो मैं आपकी आंखें खोल देना चाहता हूं कि अल्यूमूनियम के बर्तनों में प्वाइजनस एलिमेंट होता है। जब बर्तन बहुत ज्यादा गर्म होता है तो उसका जहर सब पेट में चला जाता है और आदमी को नुकसान पहुचाता है। इसलिये आप कोई अन्वेषण कीजिये और नई चीज तैयार कीजिये जिससे गरीबों का भला हो। हरिजनों के लिये अभी एक भाई ने कहा कि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो मैं उन्हे बतलाना चाहता हूं कि सरकार ने ३१ लाख रुपया हरिजन ग्रांट से खत्म कर दिये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया स्थान ग्रहण करें, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री उमाशंकर जी आपको केवल ५ मिनट हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

उनको ५ मिनट देने का क्या कारण है? (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

समय की कमी है और उन्होंने इतना ही समय मांगा है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

तो दूसरे भी तो मांग करेंगे?

श्री अधिष्ठाता—

ऐसी कोई बात नहीं है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब माननीय चन्द्रबली जी बात कर रहे थे तो माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा कहते हैं, "बैठिए! बैठिये", क्या वे ही अध्यक्ष हैं? और वही अध्यक्ष और अधिष्ठाता हैं तो वही आकर काम चलायें, आप व्यवस्था दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

आपका व्यवस्था का प्रश्न उचित है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह कृपया बीच में न बोलें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

यह आप सरकारी पार्टी को हिदायत कीजिये, वही लोग ज्यादा बोलते हैं। और वही ऐसा करेंगे तो फिर आप हमसे कोई उम्मीद मत कीजिये कि हम शान्ति कायम रखेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप स्थान तो ग्रहण कीजिये। श्री उमा शंकर।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, यहां कई रोज से बजट पर बहस हो रही है और विरोधी पक्ष के साथी जो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं उनको सरकारी पक्ष के लोग इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि विरोधी पक्ष का काम ही यह है कि वह विरोध करे। परन्तु जहां तक विरोधी पक्ष है, वह बजट की खामियां आपके सामने रखता है। उधर सरकारी पक्ष में दो तरह की विचारधारायें हैं। जो मंत्री महोदय हैं वह इस बजट में विरोधी पार्टी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ खुशामद पसन्द ऐसे सदस्य हैं जो समझते हैं कि अगर हम गुप्ता जी की तारीफ करेंगे तभी मेरा भला होगा और वह गुप्ता जी और जवाहर लाल जी की तारीफ करने तक ही महदूद रहते हैं और यह खयाल नहीं रखते कि हमारा क्या कर्त्तव्य है और जहां से हम चुनकर आये हैं वहां की जनता के प्रति भी उनका कर्तव्य है। वे समझते हैं कि हम किसी तरह से गुप्ता जी को प्रसन्न कर लें तो सुरसा की तरह से जो गुप्ता जी

मंत्रि-मंडल बढ़ा रहे हैं उसमें उन्हें भी कहीं स्थान मिल जाय, अगर वह नहीं हो सका तो कम से कम कोटा परमिट ही मिल जाय । यही सरकारी पार्टी के सदस्यों का कर्त्तव्य रह गया है।

जो बजट पेश किया गया है इससे गरीब जनता का, किसानों का कतई हित होने वाला नहीं है। बल्कि उस पर टैक्स दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है । किसानों से जबरिया टैक्स और मालगुजारी वसूल की जा रही है और उस धन का अपव्यय यहां किया जा रहा है। पूंजीपतियों और मिल-मालिकों पर करोड़ों रुपया बकाया है । उसके लिये वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में बड़ें मुलायम शब्दों में सिर्फ इतना ही कहते हैं कि उनको भी रुपया दे देना चाहिये । किसानों के यहां रुपया चाहे सूखे या बाढ़ की वजह से बाकी हो तब भी उनको जबरदस्ती जेलों में बन्द कर दिया जाता है लेकिन वित्त मंत्री जी पूंजीपतियों और मिल-मालिकों से बकाया वसूल करने के लिये वही तरीके से वसूल करने का जिक्र भी नहीं करते । छोटे छोटे दूकानदारों पर अगर सेल्स टैक्स का या इन्कम टैक्स का भी रुपया बाकी हो तो उनके साथ जबरदस्ती करके, उनके सामान की कुर्की या नीलामी करके वसूल किया जाता है और उन्हें जेलों में बन्द कर दिया जाता है लेकिन मिल मालिकों, जिन पर करोड़ों रुपया बाकी पड़ा है उनके विषय में यद्यपि कई बार इस सदन में सवाल भी उठाये गये लेकिन मंत्री जी इतना ही कहकर संतोष कर लेते हैं कि उनके साथ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। हमारी समझ में नहीं है कि वह कौन सी कानूनी कार्यवाही है जिसके होते हुए भी रुपया वसूल नहीं हो पा रहा है ।

मैं अपने क्षेत्र की भी कुछ बातें रखना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में शाहपुरी में एक फैक्टरी है । मजदूर वहां मरते रहते हैं । उसकी शिकायतें सरकार के पास की जाती हैं लेकिन उसका कोई खयाल सरकार की तरफ से नहीं किया जाता है । अभी थोड़े दिन हुए ३२,३३ आदमी ब्वायलर में गैस भर जाने से घायल हुए और उनमें से ३ आदमी मर भी गये लेकिन वहां का मिल-मालिक उस पर लीपापोती कर रहा है । और यह चाहता है कि जो हरजाना मरे हुए व्यक्तियों के वारिसों को कानूनी तरीके से देना पड़ेगा वह भी न दे । मंत्रियों के पास वह दौड़-धूप कर रहा है।

यही बात नहीं है, किसानों की हजारों बीघा जमीन ले ली गयी है सस्ते मूल्य पर और बाजार रेट्स दुगुने और तिगुने दाम पर उसी भूमि को सरकार के हाथ बेंची गयी है। वहां पर लेबर कालोनी भी बनवाई है। अब गरीब मजदूरों से, वहां क्वार्टर बनवाकर और यह कह कर कि महंगे दाम में जमीन खरीदी गयी है, ज्यादा किराया लिया जा रहा है ।

जहां तक सुरक्षा कोष का संबंध है, अगर १०७ में फौजदारी के मुकदमें में सम्मन लेना हो, सीमेंट लेना हो, लोहे की छड़ लेनी हो तो सुरक्षा कोष में रुपया देना पड़ेगा । सीमेंट की प्रति बोरी पर २ रुपया, अगर २ बोरी लेना हो तो ४ रुपया दीजिये । कोई विकास कार्य के लिये पुलिया बनवाना हो, कोई कुआं बनवाना हो सिंचाई के लिये, पानी के लिये, तो उसके लिये, सुरक्षा कोष में रुपया इसी तरह से लिया जा रहा है। इतना ही नहीं हमारे जिले में ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं । हमारे जिले की कांग्रेस कमेटी ने गलत रसीदें छपवा ली हैं । मैंने सवाल भी किया है कि जिला कांग्रेस ने कितनी रसीदें छपवा ली हैं और कितना रुपया वसूल किया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात का दुख है. . . .

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह आवाज सदन में आ रही है । यही रोज की हालत है । हमें सुनाई नहीं देता ।

श्री अधिष्ठाता—

उसका प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री चन्द्रभान् गुप्त—

मधुर भाषण ही आ रहा है । (हंसी)

मुझे दुख है कि जब इस बजट पर आम बहस छिड़ी और वह पिछले ४ दिन तक चली, तो उन सब दिन तक मैं इस सदन में उपस्थित न रह सका और सभी माननीय सदस्यों के भाषणों को न सुन सका । उसका कारण कुछ तो मेरी अस्वस्थता का रहा और कुछ यह कि मुझे उन दिनों दिल्ली जाना पड़ा क्योंकि वहां सेन्ट्रल जोनल काउन्सिल की बैठकें हो रही थीं । कुछ भाषण मैंने पहले दिन और कुछ आज, बजट की आलोचना के संबंध में, सुने । कुछ भाषणों के सिलसिले में जानकारी मुझे अखबारों से हुई । कुछ मेरे अधिकारियों ने मेरे नोटिस में लायीं । मुख्य आलोचनाएं जो इस बजट के संबंध में यहां सदन में प्रस्तुत की गयीं वह यह थीं कि यह बजट फिर से उसी प्रकार की भूलों से भरा हुआ है जिस प्रकार से कई वर्षों से यह सरकार भूलें करती रही है । यानी यह डेफिसिट बजट है जो बाद को सरप्लस बजट हो जाता है और इस बजट में कहीं कोई कमियां नहीं दिखाई गयी हैं, तथा यह बजट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला बजट नहीं है। कुछ की आलोचना यह रही कि जो आवश्यकतायें इस इमर्जेन्सी के कारण हमारे प्रदेश में पैदा हुई, उनको पूरा करने वाला यह बजट नहीं है। यह कहा गया कि यह तो ब्योरोक्रेसी का बजट है, जैसा उसने बजट तैयार किया, मंत्रि परिषद् ने उस पर अपनी मोहर लगा दी । कुछ ने यह आलोचना की कि यह बजट किसानों की समस्याओं को सुलझाने वाला बजट नहीं है। औद्योगीकरण की तरफ ले जानेवाला नहीं है तथा जो आज प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है,यह बजट उनको सुलझाने वाला नहीं है । मुझे इस बात का दुख है कि बजट के समय बार बार, कम से कम दो ढाई वर्ष से मैं यह अनुभव कर रहा हूं, उन्हीं बातों को दोहराया जाता है जिनके विषय में यहां मेरे द्वारा और मेरे अन्य साथियों द्वारा और वित्त मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया जा चुका है। यदि यह बजट भी डेफिसिट बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है तो यह कोई अनोखी और नवीन बात नहीं है । आज जिस प्रकार से बजट बनते हैं और जिस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने की चेष्टा करनी पड़ती है, उसमें यह कोई अजीब बात नहीं है । उत्तर प्रदेश की सरकार का ही बजट केवल ऐसा बजट नहीं है जो कि किसी वर्ष डेफिसिट से सरप्लस में टर्न हो गया हो ।

यदि हमने केन्द्रीय सरकार के बजट का अध्ययन किया होगा, अन्य प्रदेशों की सरकार के बजटों का अध्ययन किया होगा तो उनसे हमको भली-भांति पता चला होगा कि पिछले ५–७ वर्षों में ऐसे समय आये हैं जब कि विभिन्न सरकारों के डेफिसिट बजट सरप्लस में टर्न हो गये । सन् ६०–६१ में केन्द्रीय सरकार का डेफिसिट बजट था जो ६१ करोड़ के सरप्लस में टर्न हो गया । इसी प्रकार से मध्य प्रदेश और बंगाल सरकार के बजट भी जो डेफिसिट थे सरप्लस में टर्न हो गये । आज जिस तरह से बजट बनता है, और जिन प्रश्नों को हल करने के लिये बनता है वह परिस्थिति पहले जमाने की परिस्थिति से भिन्न है । पहले जमाने के बजटों में जो बजट होते थे वे भी बिलकुल एक्चुअल नहीं होते थे लेकिन यह अवश्य था कि पहले जमाने के बजटों में एक बंधा बंधाया खर्चा होता था और अधिकतर रुपया ला एन्ड आर्डर के लिये रखा जाता था । लेकिन आज का बजट जनता को सुभीता देने के लिये बनता है, जनता की वेलफेयर स्कीम्स का बजट बनता है, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा का बजट बनता है, शिक्षा क्षेत्र के विस्तार का बजट बनता है, हाउसिंग की समस्या को हल करने का बजट बनता है और तमाम गरीबों के प्रश्नों को हल करने का बजट बनता है लेकिन आज से १०–१५ साल पूर्व इस प्रकार के बजट नहीं बनाये जाते थे । उस जमाने की सरकारों का दृष्टिकोण ही अलग था और साधन भी उस जमाने में तमाम कामों के लिये उपलब्ध नहीं थे । आज जनता की भलाई के लिये जो योजनायें बनायी जाती हैं यदि उसके आंकड़ों को आपने अध्ययन किया होगा तो इसमें कोई अचंभा आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि एक डेफिसिट बजट सरप्लस में टर्न हो गया । कभी कभी ऐसे अवसर भी आते हैं जब कि रेवेन्यू एकाउन्ट्स से रुपया ज्यादा खर्च हो गया जितना कि अन्दाज लगाया गया था सिर्फ सन् ५७–५८ और ६२–६३ के दो ही वर्षों में रुपया खर्च कम हुआ । कभी-कभी ऐसे अवसर भी आ जाते हैं जब हमें अपने निश्चित टारगेट्स को पूरा करने के लिये रेवेन्यू एकाउन्ट्स से रुपया अधिक खर्च करने की जरूरत आ पड़ती है । इसलिये अगर कभी रेवेन्यू एकाउन्ट्स से अधिक रुपया खर्च हो गया है तो इसमें कोई डरने

वाली बात नहीं है । यह मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार की आपत्तियां की गयीं कि जानबूझ कर यह सरकार डेफिसिट बजट बनाती है और बाद में उसको सरप्लस में टर्न कर देती है और वह इसलिये कि उसकी यह इच्छा होती है कि वह रेवेन्यू एकाउन्ट्स को पूरा करने के लिये बराबर टैक्स लगाती रहे ।

यह सही है कि रेवेन्यू एकाउन्टस में जो खर्चा होता है वह प्रदेश में टैक्सों के द्वारा वसूल किया जाता है और उसको पूरा करने की चेष्टा की जाती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो थोड़े ही जमाने में ऐसा समय आ सकता है जब हम दीवालिया बन सकते हैं और हमारी मार्केट में क्रेडिट समाप्त हो सकती है । यदि यह सरकार टैक्स लगाने की आकांक्षा रखती है और उसका दायित्व उसे उस दिशा में ले जाता है पूरा करने के लिये, तो वह इसलिये नहीं कि उसे कोई बड़ी खुशी हो कि बराबर टैक्स लगता जाय । परन्तु जो वास्तविकता है वह वास्तविकता ऐसी है जिसके सिलसिले में बराबर हमें उलाहना दी जाती है कि उत्तर प्रदेश का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, उत्तर प्रदेश में पर-कैपिटा जितना टैक्स है, वह भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में बहुत कम है। अभी वित्त मंत्री, केन्द्रीय सरकार, आये थे और उन्होंने विधान सभा के सदस्यों को संबोधित किया था। यद्यपि वह कोई ऐसा अवसर नहीं था, वहां भी उन्होंने हमें इस बात के लिये उलाहना दी थी। उन्होंने अध्ययन करके बतलाया कि हमारे यहां पर कैपिटा टैक्स ८.८ है जब कि दूसरे प्रदेशों में वह १८.८ , १७.८ और १६.८ तक है । तो यह बराबर उनकी उलाहना है। यह उलाहना हमें तब उनसे मिलती है जब कि हम अपनी मांग उनके सामने प्रस्तुत करते हैं कि यहां की गुरबत को मिटाने के लिये हमें अधिक धनराशि की जरूरत है। जब भी हम अधिक धनराशि की मांग केन्द्र से ऋण या अनुदान के रूप में करते हैं तो हमारे सामने यही प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है कि आप अपने यहां से ही धन इकट्ठा करने की चेष्टा कीजिये । क्यों उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों की आमदनी पर अपने को जिन्दा रखे और अपने यहां से ही अपनी तरक्की के साधनों को इकट्ठा करने की चेष्टा न करे ? उत्तर प्रदेश स्वत: अपने पैरों पर खड़ा होने की चेष्टा क्यों नहीं करता है ?

तो यदि आज कोई टैक्स लगाया जाता है या उसके लगाने का प्रयास किया जाता है तो वह प्रदेश के हित की रक्षा करने के लिये ही लगाया जाता है । चाहे वह टैक्स गांव के गरीब निवासी पर पड़े, चाहे वह शहर के गरीब रहने वालों पर पड़े, चाहे वह गांव के अमीरों पर पड़े, चाहे वह शहर के अमीरों पर पड़े । मुख्य उद्देश्य टैक्स लगाने का यही है । जब हमारी कोई मांग केन्द्रीय सरकार के सामने बुन्देलखन्ड के लिये, उत्तराखन्ड के लिये या पूर्वी जिलों के लिये अधिक रुपये की की जाती है ....

श्री चन्द्रबलीसिंह---

पूर्वी जिलों का तो आपने सब खत्म कर दिया और ऐसी बात कहते हैं...

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि आपकी बात मैंने गंभीरता से सुनी है तो आप भी मेरी बात को सुनें ।

जब हम अपनी कोई मांग समय-समय पर केन्द्र के सामने प्रस्तुत करते हैं तो यह बात हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। तो यह दोषारोपण इस सरकार के ऊपर लगाना कि जानबूझ कर डेफिसिट बजट पेश किया जाता है और फिर उसे सरप्लस में टर्न कर दिया जाता है और जनता पर अकारण टैक्स लगाया जाता है, सही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि इस सरकार को या केन्द्रीय सरकार को टैक्स लगाने में कोई मजा नहीं आता । आज ही ५ बजे केन्द्रीय सरकार का बजट पेश होने वाला है और तब हमारे सामने सारी बातें आ जायेंगी कि केन्द्र किस दिशा में विचार कर रहा है और कहां-कहां टैक्स लगाने जा रहा है । यह बजट जो पेश किया गया है, इसको डेफिसिट दिखाने का यही मतलब है कि इस बात की तरफ ध्यान रखा जाय कि किस तरह से वह पूरा हो । जो कुछ ग्रांट के रूप में हमें केन्द्र से सहायता का वचन मिला है, उसके लिये आवश्यक है

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कि हम उसकी पूर्ति के लिये साधन जुटावें और स्वतः उसमें सहयोगी बनें जिनकी तरफ केन्द्र ने निर्देशन किया है कि जिनकी तरफ प्लानिंग कमीशन ने हमारा ध्यान खींचा है।

कई सदस्यों ने यह शिकायत की कि जो हमारे उधार खाते में रुपया पड़ा है, यदि हम उसकी वसूलयाबी कर लें तो टैक्स लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी और उस संबंध में सरकार की आलोचना करते-करते हमारी भी आलोचना कर दी कि पूंजीपतियों से इस सरकार के वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री रुपये वसूल ही नहीं करते, उनसे वसूल करने की उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। और मिसाल दे दी नेपोलियन की बीबी की कि यह जो पूंजीपति हैं वह शायद मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री जी की धर्मपत्नी हैं और जो कुछ उधर से इशारा होता है उसके खिलाफ न मुख्य मंत्री जी हिलते हैं और न वित्त मंत्री जी हिलते हैं। तो जहां तक मुख्य मंत्री का संबंध है उसने तो कभी कोई जोजेफाइन नहीं रखी और जो अगर कोई है तो वह सामने हैं, इधर भी हैं और उधर भी हैं और उसको उनकी जो-जो बातें सुनने को मिलती हैं उन सबकी समस्याओं को सुन कर फैसला लेना पड़ता है। जिनको प्रदेश का पूंजीपति कहा जाता है वह भी इस प्रदेश के नागरिक हैं और ऐसी बात नहीं है कि किसी पैसे की वसूली करने के लिये सरकार कदम न उठाती हो ताकि वह पैसा जल्द से जल्द मिल जाय। एक बात यह सही है कि पूंजीपतियों से पैसा वसूल करने में कुछ दिक्कतें होती हैं, कभी वह हाई कोर्ट की शरण ले लेते हैं और साथ ही उनकी हिफाजत में वह समस्यायें भी बीच में आ जाती हैं कि जो कदम हम उठाते हैं उनके संबंध में जिन समस्याओं को वह प्रस्तुत कर देते हैं। अभी ३–४ मास पहले मैंने बताया था कि करीब ८ करोड़ रुपये के शुगर फैक्टरीज पर बकाया है लेकिन आज तक की तारीख के आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं परन्तु ऐसा मालूम होता है कि उसमें से करीब ४ करोड़ रुपया वसूल हो चुका है और बाकी की वसूली की चेष्टा हो रही है। अगर केवल जेलखाने में इन पूंजीपतियों को भेजने से ही रुपया मिल जाता तो यह सब वहां भेज दिये जाते लेकिन जो भी ढंग कानूनी तौर पर उनसे रुपया वसूली के बरते जा सकते हैं वे सब बरते गये, उनका सामान भी कुर्क किया गया, जहां भी आवश्यकता समझी गई। कहीं उन लोगों ने रजामन्दी से किस्त तयकर ली और केन कमिश्नर से कह दिया कि फलां तारीख को रुपया दे देंगे। ऐसा नहीं है कि रुपए की उनसे वसूली की कोई चेष्टा नहीं है लेकिन अब जिस वक्त कि गन्ना पेरा जा रहा है उस वक्त ऐसी नीति बरतना मुनासिब नहीं समझा जाता कि जिससे गन्ने के पेरने में ही बाधा पड़ जाय, वह तो एक अदूरदर्शिता होगी। आज तो समस्या यह है कि पहले गन्ना पिर जाय, किसानों को राहत मिल जाय।

इसके अलावा और भी बड़ी समस्यायें इस संबंध में हमारे सामने हैं। केन्द्र की सरकार चाहती है कि अधिक चीनी पैदा की जाय इसलिये कि अब चीनी का मार्केट दुनिया में ऊंचा हो गया है, पहले चीनी दुनिया में बेची जाती थी तो केन्द्रीय सरकार को घर से कुछ रुपया देना पड़ता था लेकिन आज क्यूबा की लड़ाई के कारण हमारी चीनी अधिक दामों पर बिक सकती है और इस दशा में फारेन एक्सचेंज भी केन्द्रीय सरकार को अधिक मिल सकता है जिसकी की आज आवश्यकता भी अधिक है क्योंकि इमर्जेंसी में जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जिन आवश्यक अस्त्रशस्त्रों की दरकार है उनको हम बिना फारेन एक्सचेंज को बढ़ाये प्राप्त नहीं कर सकते। आज यह सवाल भी हमारे सामने खड़ा है। इसलिये इस समय अधिक से अधिक चीनी बनाने का भी सवाल है, किसानों को राहत और मुनाफा दिलाने का सवाल है, अधिक से अधिक उनको गन्ने की कीमत दिलाने का सवाल है। सौभाग्य से आज खन्डसारी और गुड़ के दाम भी अधिक हो गये हैं और किसान खन्डसारी और गुड़ के लिये जो गन्ना देते हैं उसमें अधिक दाम पा जाते है और रिजर्व क्षेत्र में भी जो गन्ना है उसको भी बचाकर वह उनके हाथ अधिक दामों पर देने की कोशिश करते हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने एक फार्मूला बना दिया था और उसके तहत में हमारे किसानों को कुछ दिक्कतें थीं और प्रदेशीय सरकार की राय भिन्न थी पर केन्द्रीय सरकार ने हमारी राय नहीं सुनी और न बिहार सरकार की सुनी और उन्होंने गन्ने से शुगर बनाने के सवाल को शुकरोज कंटेन्ट से जोड़ दिया और गन्ना उत्पादक को वहीं ज्यादा कीमत मिलेगी जिसका गन्ना ऐसा होगा जिसका शुकरोज

कंटेन्ट अधिक होगा। तो यह प्रश्न गन्ना उत्पादकों की समस्या बढ़ाने वाला हमारे बीच में आ गया। आज बारबार यह कहना कि हम पूंजीपतियों से रुपया इकट्ठा करने की चेष्टा नहीं करते हैं यह बात गलत है। लेकिन वास्तविकता को सामने रख कर हम समस्या का समाधान करने की चेष्टा करते हैं और बराबर करते रहेंगे।

सेल्स टैक्स का रुपया है उसके संबंध में वित्त मंत्री ब्यौरे से बतायेंगे। उसके सिलसिले में बराबर चेष्टा रही है कि जितना सेल्स टैक्स का रुपया बाकी है वह उत्तरोत्तर इकट्ठा किया जाय और उसके लिये वह तमाम तरीके इस्तेमाल किये जायं जिनके द्वारा वह रुपया इकट्ठा किया जा सके। उसमें भी काफी मात्रा में धन इकट्ठा हुआ है। यद्यपि अभी एक कमेटी सेल्स टैक्स के संबंध में बैठी हुई है विचार करने के लिये क्योंकि कई लोगों पर ऐसा सेल्स टैक्स लगा हुआ है और ऐसी चीजों पर लगा हुआ है, कई लोग ऐग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जिन पर सेल्स टैक्स है और कागजों में दिखाये जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन पर सरकार को विचार करना है, जब वह कमेटी अपनी सिफारिश दे देगी। तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार उत्तरोत्तर उस रकम को इकट्ठा करने की चेष्टा करती रही है और आने वाले महीनों में भी उसकी चेष्टा उस दिशा में जारी रहेगी।

(इस समय ३ बजकर ४२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

आज फैक्ट्रीज को बन्द नहीं करना है और न उनको बन्द करके गन्ना उत्पादकों मजदूरों को तथा जो लोग उनमें काम करते हैं उनको परेशानी में डालना है। बार-बार कहा जाता है किसानों से जो रुपया लगान का बकाया रह जाता है रेवेन्यू विभाग जबरदस्ती वसूल करता है। क्या यह वास्तविकता नहीं है कि हर साल राजस्व मंत्री किसानों को जिन पर लगान बकाया रह जाता है, समय देते हैं, छूट देते हैं कागजों को देखकर, अधिकारियों से बात करके समय देते हैं उस रुपये को जमा करने के लिये, लेकिन फैक्ट्रीज का बकाया और किसानों का बकाया, दोनों जोड़े नहीं जा सकते। फैक्ट्री का संबंध ३, ४ तत्वों से है, मिल-मालिक से है, जो कर्मचारी काम करते हैं उनमें उनसे है, गन्ना उत्पादकों से है और मजदूरों से है। अतः जब बकाये का सवाल आता है तो सरकार को यह प्रश्न भी सामने रखना पड़ता है कि यदि कोई ऐसा मेजर लेते हैं कि फैक्ट्री को ही बन्द कराया जाय तो फिर कैसे उत्पादकों की समस्या सुलझेगी, कैसे नौकरों और मजदूरों की समस्या सुलझेगी और मिल-मालिक जो हैं उनकी समस्या सुलझाने का प्रश्न उठता ही नहीं। इसके माने यह नहीं हैं कि हमें बहुत संतोष है कि जो नीतियां मिल-मालिकों ने बरती हैं हमारा रुपया अदा करने के विषय में वे सही नीतियां हैं। वह सही नहीं है। हम समझते हैं और मानते हैं कि जो मिलें गन्ने से शुगर तैयार करती हैं उनका कर्त्तव्य होना चाहिये कि प्रत्येक वर्ष जितना हमारा पर्चेज टैक्स है, जितनी गन्ना उत्पादकों को कीमत का रुपया हो उसको वह बराबर अदा करते रहें। दुर्भाग्य हमारे प्रदेश में यह हुआ है कि मिल-मालिकों ने अधिक रुपया अपनी फैक्टरीज के एक्सपेंशन में लगाया है और किसान के रुपये से, पर्चेज टैक्स के रुपये से फैक्टरीज का एक्सपेंशन कर लिया है। वैसे एक्सपेंशन भी हमारे प्रदेश के हित में था और हमारे आर्थिक ढांचे और हमारी आर्थिक मांग के समर्थन में था और हम आज भी ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का गन्ना और शक्कर का रोजगार ही एक मुख्य रोजगार है और २०-२२ लाख परिवारों को पालता है और उनके स्तर को ऊंचा करने में मदद करता है। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह इस रोजगार का संरक्षण इस प्रदेश में करे और साथ ही अधिक से अधिक इस उद्योग को इस प्रदेश में बढ़ायें। आज यह कहा जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार या तो कुछ और फैक्टरीज के कोआपरेटिव सेक्टर में लगाने की इजाजत देगी या बहुत-सी फैक्टरियों की कैपेसिटी बढ़ाने की इजाजत देगी। हमारी तो मांग है कि केन्द्रीय सरकार हमारे यहां की फैक्टरीज को एक्सपेंशन करने की इजाजत दे जिससे गांव के किसान और मजदूर अपनी आमदनी बढ़ा सकें और इस तरह से उनका स्तर ऊंचा उठ सके। यह हमारी नीति है और इसी के अन्तर्गत हम बराबर कार्य कर रहे हैं।

कई और हमारे साथियों ने प्रश्न यह उठाया कि हम अपना खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं, घटाते नहीं हैं। मैंने कुछ ग्रेट ब्रिटेन के भी आंकड़े पढ़े थे और कुछ अधिकारियों ने हमारा ध्यान भी उधर आकर्षित किया। उन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि जितनी मात्रा में हमारा रेवेन्यु

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

और खर्चा बढ़ता जाता है उसके काफी अनुपात में ब्यूरोक्रेसी भी बढ़ती जाती है । ग्रेट ब्रिटेन में भी ऐसा हुआ है । सन् १९३६–३७ में जितने आदमी वहां काम करते थे उससे कहीं अधिक व्यय वहां हो रहा है । तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है । कहां हमने ३३ करोड़ का बजट सन् ४६ में पेश किया था और कहां अब २०० करोड़ से भी कुछ ज्यादा का बजट आपके सामने पेश कर दिया । अगर उसमें पैसा अधिक खर्च हो रहा है तो इसमें अचम्भे की क्या बात है ? और आज जितनी हमारी आमदनी है, जितनी हमारी जन-संख्या है और जितनी हमारी समस्यायें हैं उनके अनुपात से अगर हम लगायें तो पता चलेगा कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कम है । तमाम आंकड़े हमारे पास हैं लेकिन उनको प्रस्तुत करने में समय लगेगा इसलिये यहां पेश नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को करता हूं कि उत्तर प्रदेश के ऐडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे के ऊपर जितनी उसकी आमदनी और जितनी जन-संख्या है उसके अनुपात में अन्य प्रदेशों के मुकाबले में यहां का खर्चा कम है ।

एक बात जो हमारे भाई उग्रसेन जी और हमारे विरोधी दल के नेता भी और सभी नेतागण बराबर कहा करते हैं वह यह कि मंत्रि-मंडल आपने बहुत लम्बा चौड़ा बना रखा है । हमारे ३२ मंत्रि-मंडल के आदमी हैं और १३ आनरेरी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं । ३२ आदमियों पर जो खर्चा है और जिसके आंकड़े मेरे पास हैं (व्यवधान) जिलों की बात भी कह दूंगा और जितनी कमी की है वह भी कह दूंगा, आप जरा शान्ति तो रखें । जहां तक आज मिनिस्टर्स की तनख्वाहों और टी० ए० का सम्बन्ध है, जिसमें मैं डिप्टी मिनिस्टर्स को शामिल करता हूं और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को शामिल नहीं करता, वह खर्चा आज उस खर्चे से कुछ कम है जो १९५७–५८ में मंत्रि-मंडल और उससे संबंधित तमाम और चीजों पर होता था । अब रहा आनरेरी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का प्रश्न । जहां तक उनकी तनख्वाह का सम्बन्ध है वे वैसे ही तनख्वाह पाते हैं जैसे कि आप पाते हैं । उन्हें कार्य करने का डेली एलाउन्स भी वही मिलता है जो इस सदन के माननीय सदस्यों को मिलता है । वे अवश्य दौरे पर जाते हैं और उसका खर्चा भी मैंने देख लिया है । उस वक्त मैंने ७०–८० हजार रुपये के करीब कहा था लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है क्योंकि उस वक्त मैंने उसमें वह रुपया भी शामिल कर लिया था जो विधान सभा में हाजरी देने के लिये उनको मिलता है । वह रुपया उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से मिलता है न कि असेम्बली डिपार्टमेंट से जब कि विधान सभा के सदस्यों को वह रुपया असेम्बली विभाग से मिलता है । विधान सभा में हाजरी देने के लिये १०० रुपये महीने के करीब औसत आता है और आने जाने का खर्चा भी करीब १००-१२५ के आता है, जितनी दफा सदन उठता है या अन्य साथियों का खर्चा जो कमेटियों के सदस्य होते हैं । हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज करीब तीन, सवा तीन हजार रुपया सालाना दौरे में खर्च कर रहे हैं जिसमें भत्ता भी शामिल है । मैं पूछना चाहता हूं कि २,२०० रुपये के करीब हर एक सदस्य के ऊपर खर्च हो जाता है तो हजार, सवा हजार रुपया इनके ऊपर ज्यादा खर्च हो जाता है तो कौन-सी ऐसी बड़ी भारी चीज हो गई । जब इस बात की आवश्यकता है कि डेमोक्रेसी में ऐसे नवयुवकों को शिक्षित करें जो कल मंत्री बनेंगे, उपमंत्री बनेंगे और सरकार को चलायेंगे और उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लेंगे । बेर-बेर में सदन में इस बात की चर्चा करना कि खर्चा बढ़ा लिया है. . . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

बड़े मंत्रियों को हटाया जाय ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

बड़े मंत्री भी हटेंगे उनका भी समय आयेगा, यहां बैठने के लिये नहीं हैं । जब बड़ी उम्र वाले हटते हैं तो उग्रसेन जैसे नौजवान साथी आ कर उनकी जगह लेते हैं और उसकी तैयारी में और उसको रास्ता दिखाने के लिये हमने आनरेरी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की पद्धति निकाली है । अब इस पर इतना बेर-बेर शोर करना, बेर-बेर चर्चा करना. . . . . .

श्री उग्रसेन—

शोर करते रहेंगे जब तक यह होता रहेगा । विचित्रनारायण जी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इसलिये मैं उग्रसेन जी तथा अन्य साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को चर्चा करने से न कोई काम बनता है. . . . . .

श्री उग्रसेन—

दो-चार आदमियों को हटा दें, काम बन जायेगा ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

हम आपके जाल में पड़ने वाले नहीं हैं । हम तो आपको सिखाने में लगे हुये हैं कि आप सही रास्ते पर आ जायं और सही परम्परा सीखें । जब तक हम में सिखाने की कुव्वत बाकी रहेगी आपको सिखाने की चेष्टा करते रहेंगे, आप चाहे सीखें या न सीखें ।

अब एक बात कही गई कि इमर्जेन्सी में इस बजट में इसकी झलक नहीं दिखाई देती है । मैं ताज्जुब में रह गया जब डाक्टर अहमद साहब जो आंकड़े का अध्ययन करते रहते हैं और आधुनिक दुनिया के आंकड़े उनकी नजरों के सामने रहते हैं, उन्होंने बजट का अध्ययन न जाने कैसे किया ? मान्यवर, ग्रांट ४६ जो सवा सात करोड़ की है, जो रिआर्रिटियेड है, सिर्फ लड़ाई का वातावरण कायम रखने के लिये और लड़ाई की तैयारी करने के लिये ही है ।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि न सरकार उन व्यक्तियों में है और न उन दलों में है जो ऐसा समझते हैं कि हमारी चीन से लड़ाई खत्म हो गई, इमर्जेन्सी खत्म कर दी जाय, ऐसे लोग हैं कि जो यहां, बाहर और गांवों में इस बात की चर्चा बराबर करते हैं कि इमर्जेन्सी खत्म हो गई, चीन हट गया, केन्द्र की सरकार ने कोलम्बो पावर्स के सुझाव मय क्लेरिफिकेशन के मान लिये । मैं नहीं समझता कि कैसे ऐसे साथी जो कि राजनीति का अध्ययन करते हैं, जो आज राजनीति के पंडित हैं, जो अपनी विचारधाराओं को देश के अन्दर फैलाना चाहते हैं, वह कैसे अपने को इस भुलावे में डालते हैं ? चीन कहां हट गया ? चीन ने कहां अपने वे तौर तरीके बदल दिये जिन पर वह चलना चाहता है ? आज तो चीन बहुत से स्थानों पर अभी बैठा ही हुआ है जहां उसे हमारे हिसाब से रहना ही नहीं चाहिये था और चीन जो आज तैयारी कर रहा है, चीन के जो तरीके हैं, जो चीन इस बात पर विश्वास करता है कि वार की इनएविटेबिलिटी है, लड़ाई लड़कर कम्युनिज्म को भारतवर्ष में फलाने के लिये और भारतवर्ष के नजदीक के देशों में फैलाने के लिये, जो देश इस तरह की नीतियों में विश्वास रखता हो और जो देश आज पंचशील और सहअस्तित्व के विश्वासों को धक्का देने वाला हो और जब तक वह स्वयं इस देश के अन्दर हो, तब तक इस देश की उस चीन के साथ लड़ाई कैसे बन्द हो गई और कैसे इमर्जेन्सी खत्म हो गई । आज तो इमर्जेन्सी जैसी दो महीने पहले थी जब चीन बन्दूकों और तोपों से हमारे ऊपर हमला कर रहा था, भले ही वह आज डिप्लोमेटिक फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा हो और उस डिप्लोमेटिक लड़ाई में जीतने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आज जो उसका तौर है, जो तरीका है, जो रवैया है, उसमें तो कोई अन्तर है नहीं । वह रूस तक को, अपने गुरू देश को भी मानने केलिये तैयार नहीं है, उसकी नीतियों पर भी चलने को तैयार नहीं है ।

यह बात बिलकुल सत्य है कि आज रूस और चीन में आइडियोलाजिकल लड़ाई है । रूस आज यह एहसास करता है कि हमें मुल्कों की सीमा के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिये, और न्यूक्लियर वार में भी नहीं प ड़ना चाहिये क्योंकि उसे इस बात का आभास है कि यदि दुनिया में न्यूक्लियर वार आयेगी तो वह संसार को तबाही में डालने वाली होगी, मानवता और सभ्यता को खत्म करने वाली होगी, जो कुछ रूस ने कमा रखा है, जो कुछ विज्ञान ने रूस को दिया है, जो कुछ यू० ए०एस०ए० को मिला है, जो कुछ उसने कमा रखा है, वह सब छिन्न-भिन्न हो जायगा, खत्म हो जायगा और फिर वह कम्युनिज्म किसके लिये दुनिया में आयेगा ? आज इस प्रकार की विचार-धारा, यह सौभाग्य की बात है कि ऐसे देशों में भी आ रही है कि जो दूसरा विचार रखने की क्षमता

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

नहीं रखते थे। आज वहां लोग ऐसा सोचने लगे हैं। तो फिर हम अपने देश में बराबर अदूरदर्शिता का परिचय क्यों देते जायं? आज रूस और चीन में झगड़े बढ़ते जायं, इसके जरिये हमें ढूंढने चाहिये, इसके तरीके हमें सोचने चाहिये न कि अबुद्धिमत्ता और अदूरदर्शिता से हमें कार्य करना चाहिये कि चीन को और रूस को मिलाकर के खड़ा कर दें। आज आप शिकायत करते हैं कि यह कम्युनिस्ट तो रूस के उपासक हैं, अब तक चीन के उपासक थे, और यह तो अपने दिमाग को बेचे हुये हैं तो आज उन्होंने अपने दिमाग के बेच देने का सबूत जो वह दिया करते थे वह तो नहीं दिया। हां, एक बात आप उनसे कह सकते हैं और कहना भी चाहिये कि भाई, अगर कहीं ऐसा समय आया कि चीन और रूस दोनों हिन्दुस्तान के मसले में एक हो जायं तब आपकी क्या नीति होगी?

मैं समझता हूं कि जो नीति आज कम्युनिस्ट पार्टी ने घोषित की है उसका लामुहाला नतीजा यह होगा कि वे यह कहेंगे कि नहीं, रूस के विरोध में भी और चीन के विरोध में भी हम लड़ेंगे। यह बात तो आप उनसे कह सकते हैं लेकिन बराबर ऐसे सवाल को उठाना और ऐसा वातावरण पैदा करना कि अमुक ट्रेटर है, अमुक यह है, इससे कोई हमारी शोभा नहीं बढ़ती है। आखिर आज अगर वे डेमोक्रेसी परम्परा पर चलने की कोशिश करने लगे हैं तो यह तो आज डेमोक्रेसी की विजय है कि आज कम्युनिस्ट भी ऐसा विचार रखने लगे और कम्युनिस्ट भी डेमोक्रेटिक परम्परा में विश्वास दिखलाने लगे, वह भी उन मान्यताओं को अपनाने की क्षमता अपने अन्दर दिखलाने लगे। उनकी नीतियां और उनका साथ रूस का रहा है और रूस कम्युनिस्ट देश है। और हमारा देश गणतंत्र को मानने वाला है, गणतन्त्र की परम्पराओं के पीछे चलने वाला है और गणतन्त्र की आस्थाओं में विश्वास रखता है। तो तब तक उन आस्थाओं को फैलाने की चेष्टा करेगा जब तक कि वह संसार के देशों को अपने विचारों के पीछे चलने के लिये आमन्त्रित न कर लें। तो आज दो विचारों की लड़ाई चल रही है। जब दो विचारों की लड़ाई चल रही है तो भारतवर्ष यदि अपने विचारों के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को अपना साथी बना सकता है तो ऐसे साथियों का स्वागत करना चाहिये। जब हम स्वागत करने की बात कहते हैं तो इसके यह माने नहीं हैं कि सब ऐसे लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चीन की बात को मानते हैं और चीन के पीछे अपनी श्रद्धा रहते हैं। वह अवश्य हमारे साथी नहीं हैं और देश के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसे गद्दारों का मुकाबला करना है और ऐसे गद्दारों को बहुत समझा बुझाकर अपने साथ लाना है। यदि वह समझा बुझाकर राजी नहीं होते हैं तो जो दंड कानून उनको दे सकता है उस दंड के तहत में उनको राजी करने की चेष्टा करनी चाहिये।

मैं यह कह रहा था कि यह जो तमाम बजट बनाया गया है चाहे उसमें एजूकेशन का बजट हो, चाहे एग्रीकल्चर का बजट हो, चाहे एनीमल हस्बेंडरी का बजट हो और चाहे ४० नम्बर की ग्रान्ट सिविल डिफेन्स के सम्बन्ध में हो उसके पीछे तो यही भावना छिपी हुई है। हम अभी तक तो शान्ति की व्यवस्था रखने की बात और अहिन्सा की बात दुनिया के सामने करते थे और वह इसलिये करते थे कि हमारा यह विश्वास था कि कोई हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है परन्तु आज हमारे सामने लड़ाई आकर खड़ी हो गई है इस लिये हमने अपने मुल्क में एक नई जिन्दगी के दौर को अपनाया है और उसको पूरा करने के सिलसिले में यह करोड़ों रुपया विभिन्न क्षेत्रों में व्यय करने जा रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक जागरूक हो जाय, प्रत्येक नागरिक सचेत हो जाय। डेमोक्रेसी में प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य हो जाता है कि अपने कर्त्तव्य को समझे। डेमोक्रेसी में देश की रक्षा के लिये फौज वर्षों नहीं लड़ा करती है। जब डेमोक्रेसी पर खतरा होता है तो प्रत्येक नागरिक तैयारी करता है और वह तैयारी प्रत्येक नागरिक को एक नई जिन्दगी प्रदान करती है। आज हमारा यह बजट उस जिन्दगी को लाने की दिशा में चल रहा है और प्रत्येक नागरिक को इस बात को समझना है। उग्रसेन जी तो यदि कहीं पर सुरक्षा कोष में चन्दा जमा होता है तो उसमें सहायता ही नहीं देते बल्कि मदद करने के बजाय वह उसकी आलोचना करते हैं। पांडेय जी भी आलोचना करते हैं। अपने जिले में भी हमारी मदद नहीं करते हैं और किसी स्थान पर मदद नहीं की। यहां इस बात का बचन

लेते हैं कि जब अपने निर्वाचन क्षेत्र में जायेंगे तो सहायता का काम करेंगे। उस काम में मदद देना तो दूर रहा उसकी आलोचना करना पहले शुरू कर देते हैं। वे जिलाधीश और अधिकारीगण का साथ नहीं देते हैं। यह मनोवृत्ति जनतान्त्रिक मनोवृत्ति नहीं है।

श्री उग्रसेन—

जबरदस्ती लोगों के साथ की जाती है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उग्रसेन जी, अगर आप ज्यादा कहेंगे तो जो आपके कारनामे हैं पिछले दो महीनों के, मैं उन सब की पोल यहां पर खोल दूंगा। वह सब मैं जानता हूं।

श्री उग्रसेन—

मैं आपको चेलेन्ज करता हूं कि आप पोल खोल दें। मैं इन बातों से डरने वाला नहीं हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

आज प्रदेशीय सरकार को आपको धन्यवाद देना चाहिये कि आप अभी तक डी० आइ० आर० के कानून के तहत में नहीं आये हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि . . . .

श्री उग्रसेन—

मैं जेल हर साल काटता हूं। मैं बहुत सजा काट चुका हूं। मैं इन धमकियों में आने वाला नहीं हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जेल तो आपने अभी तक दूसरे कारणों से काटी होगी लेकिन जो इस समय इस अवसर पर कोई ऐसी कार्यवाही करता है जो हमको उस दिशा में नहीं ले जाती जिस दिशा में हमें अपने देश के अन्दर वह परिस्थिति पैदा करना है जो चीन का मुकाबला कर सके, तो मैं ऐसे व्यक्तियों को देश द्रोही समझता हूं और ऐसे व्यक्तियों को उन परम्पराओं के विरुद्ध काम करते देखता हूं जो हमने अपनाई हैं।

श्री उग्रसेन—

जिलाधीश आपको बिलकुल धोखा देते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इसलिये जिन साहबान ने यह आलोचना पेश की कि इस बजट में वह पुट नहीं दिया गया जिसके कि द्वारा हम एक नया वातावरण सारे प्रदेश में बनायें तो मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि वे विभिन्न विभागों की मदों का इसमें अध्ययन करें गम्भीरता के साथ और अगर वे ऐसा करेंगे तो पायेंगे कि हर विभाग में आने वाले वर्ष में कोई न कोई चीज जरूर ऐसी है कि जो हमारी पैदावार को बढ़ाने वाली है, जो हमारे उद्योग-धन्धे को बढ़ाने वाली है, जो हमारी विद्युत्-शक्ति को बढ़ाने वाली है, जो हमारे लिये सैनिक बल प्रदान करने वाली है। हमारी प्रान्तीय रक्षक दल और होम गार्ड्स योजना किस बात की द्योतक है? करीब १ लाख आदमियों को इन पिछले दो, तीन महीनों में हमने शिक्षित किया है। किसी को एयर रेड के लिये शिक्षित किया, किसी को नर्सिंग के लिये शिक्षित किया, किसी को ड्रिल सिखायी, किसी को राइफल का कार्य सिखाया और इस सब का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मुख्य उद्देश्य यही था कि जनता के मनोबल को ऊंचा बनाये रखा जाय।

मुझे दुख है कि हमारे साथी विष्ट जी, जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा नक्शा वहां का पेश किया जिससे मैं सहमत नहीं। मैं उन्हें अपने विचार बता चुका हूं। मुझे पहाड़ में पैदा होने का सौभाग्य तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मैं अपने को पहाड़ का प्रतिनिधि अवश्य कहता हूं और उसके प्रतिनिधि होने के नाते मैं जितना वहां घूमा फिरा हूं, जितना दौरा मैंने वहां किया है वह उनके घूमने से कम नहीं रहा होगा और मैंने १५ साल पहले के पहाड़ को भी देखा है और आज भी उसे देख रहा हूं। कितना अन्तर आया है उन पहाड़ों में इसको वही जान सकता है जिसने वहां की स्थिति को १४, १५ साल पहले देखा हो। आज वहां सड़कें हैं, विद्युत् है, उद्योग

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

अन्धे भी चल रहे हैं। यह अवश्य है कि वह गरीब इलाके रहे हैं जैसा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं, परन्तु आज वहां कई दिशाओं में अधिक काम हुआ है। सड़क निर्माण बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। और जब से यह चीनियों की समस्या आई है तब से यह सरकार, कन्द्रीय सरकार और अधिकारीगण इस दिशा में जुटे हुये हैं। उन्होंने शिकायत की कि सड़क नहीं बन पाई, लेकिन जो सड़कें बनी हैं वे कितनी लम्बी और कठिन हैं, उनका निर्माण कितना कठिन है इसकी थोड़ी बहुत जानकारी अभी नेगी जी ने करायी थी। ऐसी ऐसी चट्टानें हैं कि जिनको हमारे पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर्स अपने कर्मचारियों की तहत में काम करके कटवा नहीं सकते। उनके पास साधन नहीं हैं। जिन सड़कों की चर्चा है और जिनके कुछ हिस्से पूरे नहीं हुये उनमें बहुत-सा हिस्सा उन सड़कों का है जिनको बार्डर रोड्स आर्गनाइजेशन को पूरा करना था और वह एक फौज का आर्गनाइजेशन है जिसका सम्बन्ध केन्द्र से है। वही कितनी सड़क और किस साल बनेगी इसका फैसला करता है और वही तमाम इक्विपमेंट बड़ी-बड़ी चट्टानों को काटने का प्रोवाइड करता है। दुर्भाग्य से वह इक्विपमेंट इन दो वर्षों में नहीं दे सका, वह सब लद्दाख और नेफा में भेज दिया गया और यहां नहीं भेजा गया और वह चट्टानें कट नहीं सकीं और उसके बिना यह सड़कें बन नहीं सकतीं।

यह कहा गया कि वे समय से नहीं बनीं, जब कि उनके बनने का समय १९६४ तक है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की शिकायत उचित नहीं है। हो सकता है कि कहीं कमजोरी हो। मैं सारे कर्मचारियों के बारे में यह कहने को तैयार नहीं कि वे सब तत्पर हैं, सब उतने ही जोश और उमंग से काम करने वाले थे, उनमें उतनी ही सेंस आफ अर्जेंसी थी जो होना चाहिये, लेकिन मैंने ऐसे इंजीनियरों को देखा है कि जो रात में काम करते थे और मैं खुद रात में उन खतरनाक स्थानों से हो कर गुजरा हूं जहां ड्राइवर आसानी से गाड़ी नहीं ले जा सकता है। लेकिन वह गाड़ी ले गया और फौज को ले गया और फौज के सामान को ले गया।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नक्शा वहां का पेश करना कि पहाड़ में कुछ किया ही नहीं गया है, वह ठीक नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि वह पहाड़ी गरीब अवश्य हैं, लेकिन जितनी उमंग और उत्साह इस अवसर पर वहां के लोगों में देखा गया है और जो जागृति की भावना उनमें पाई गई है वह बिरले ही ऐसे क्षेत्र के निवासियों में होगी, जब कि वहां पर शिक्षा का प्रसार अभी तक बहुत कम हुआ है और बहुत ही कम सड़कों का निर्माण वहां पर हो पाया है। मैंने वहां पर देखा तो पाया कि लड़ाई के प्रति वहां के बच्चों में भी बड़ी उमंग और उत्साह है। धारचूला जैसे ऊंचे स्थानों पर, मैं उस समय गया था, वहां पर जैसी उमंग और जैसा उल्लास, बालक-बालिकाओं में देखा गया, वह एक ऐसी घटना है जिसने मुझे ही नहीं प्रभावित किया परन्तु उन तमाम नौजवानों को भी प्रभावित किया जोकि विभिन्न प्रदेशों से वहां पर फौज में आये हुये थे। जोकि सीधे विश्वविद्यालयों से निकल कर फौज में भर्ती होकर आ गये थे। कोई सिक्ख था, कोई जाट था, कोई अहीर था, कोई मरहठा था, कोई मद्रासी था, कोई आंध्र का रहने वाला था और कोई पारसी था। सबने उस दृश्य को देखा और उससे और अधिक उमंग और उत्साह लेकर वे ऊपर चढ़े। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई विरोधी दल के सदस्य हमारे बीच में इस तरह का वातावरण पैदा करने की कोशिश करते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि उससे जनता का मनोबल घटता है।

यहां पर दौरे का बहुत जिक्र किया गया कि मन्त्री लोग दौरा बहुत करते हैं। मैं स्वयं कहता हूं कि सबसे अधिक दौरा तो मैं ही करता हूं। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि दौरा करना मैं अपना परम कर्त्तव्य समझता हूं। मैं जब जिलों में जाता हूं तो अधिकारियों से ही केवल जानकारी नहीं प्राप्त करता हूं परन्तु जितने लाखों आदमियों के बीच में, प्रदेश में घूमता फिरता हूं और यह देखता हूं कि जिस रास्ते पर इस प्रदेश के निवासियों को इस अवसर पर चलना चाहिये उससे उन्हें अवगत कराता हूं। मैं यह भी देखता हूं कि प्रदेश में एक ऐसा वातावरण पैदा हो सके और ऐसे वातावरण का निर्माण हो सके कि जिससे सारे

प्रदेश के नागरिकों में इतनी सामर्थ आ सके कि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आज हम सब का यह कर्त्तव्य नहीं है कि हम सब मिल-जुल कर इस प्रदेश के नागरिकों को तैयार कर सकें? हमारा प्रदेश एक सीमान्त प्रदेश है, जिसकी सीमा पर चीनियों ने अपनी फौजें बिठा रखी हैं। यह हम नहीं जानते हैं कि कब चीनी क्या कर बैठें? इसलिये आज हमें यह समझ कर कार्य करना है कि २ महीने में ही हमारे ऊपर चीनी हमला करेंगे। तो आज इस वातावरण को बनाने में प्रत्येक से सहायता मिलनी चाहिये और सहयोग मिलना चाहिये, न कि बराबर एक ही विषय पर टीका-टिप्पणी की जाय। मैं आपको स्पष्ट अवगत करा देना चाहता हूं कि इससे काम चलने वाला नहीं है। इससे हम आगे उस रास्ते पर नहीं चल सकते हैं,जिस पर हम सब मिल जुलकर चलना चाहते हैं। मैं नम्रतापूर्वक आपके द्वारा, अधिष्ठाता महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि..

एक सदस्य—

इस समय उपाध्यक्ष जी विराजमान हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

क्षमा करें, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जिस वातावरण का निर्माण आज से ३ महीने पहले इस आदरणीय सदन में स्वतः हुआ था और सदन के बाहर भी जिस वातावरण का निर्माण किया गया था, आज उसी दिशा में चलना उनका कर्तव्य होना चाहिये। उनको उसी वातावरण को प्रदेश में बनाने की चेष्टा करना चाहिये। इसी के द्वारा हम इस प्रदेश की रक्षा कर सकेंगे। इसी के द्वारा हम चीनियों को उचित जवाब दे सकेंगे और इसी के द्वारा हम अपना सैन्य बल भी बढ़ा सकेंगे और इस प्रदेश की जनता के मनोबल को भी उठा सकेंगे।

यह बजट उन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनाया गया है। मैं यह मानता हूं कि कुछ खामियां भी हैं और कमजोरियां भी हैं। परन्तु वह हमारे साधनों की कमी के कारण ही हैं। हमारे अन्दर उमंग की कमी नहीं है, और न उल्लास, बलिदान और उत्साह की ही कमी है। यदि कमी हैं तो हमारे पास केवल साधनों की ही है। जितनी मात्रा में हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, उसी के अनुसार इस बजट में चेष्टा की गई है कि हम अपने प्रदेश में अपने नागरिकों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिये आवश्यक साधनों को जुटायें। जो उनकी उचित आवश्यकतायें हैं, उनकी पूर्ति करें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही इस सदन में यह बजट प्रस्तुत किया गया है।

यों तो बहुत सी बातें इस आदरणीय सदन में सम्मानित सदस्यों ने कहीं और बहुत सी मांगें रखी गईं। अभी माननीय पांडेय जी ने एक दूरदर्शिता की बात कही थी। जो मेडिकल कालेज की बात कही गई, तो उससे पूर्ण रूप से सहानुभूति रखता हूं। गोरखपुर में मेडिकल कालेज बनना चाहिये और बनेगा। लेकिन इस योजना में वह नहीं बनेगा, वह चौथी योजना के अन्तर्गत बनेगा। वह कदाचित पहला या दूसरा कालिज होगा। ऐसी मेरी आकांक्षा है। क्योंकि एक और स्थान है झांसी, जहां से कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्राणी जी चुनकर आई हैं, वहां बनाने का विचार है। उनका आदेश है कि पहले वहां बने, लेकिन मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि गोरखपुर में भी बने और झांसी में भी बनें, क्योंकि इस प्रदेश को अभी दो मेडिकल कालिजों की आवश्यकता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री से नैपाल बांध के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि बरसात आ रही है, उसका क्या होगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं निवेदन करूंगा कि उस विषय को जिस ढंग से प्रस्तुत आप करते हैं उससे हमारा नुकसान होता है। आप इकोनामिक रोड्स मांगिये, सिंचाई की मांग कीजिये, वह मांगें इस बजट के लिये रखी गई थीं, परन्तु उन्हें हम सप्लीमेंटरी बजट में पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन जिस ढंग से आप नैपाल बांध की मांग रखते हैं वह इस देश की सरकार

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

के साथ अन्याय करते हैं। नैपाल हमारा मित्र देश है, उसके रहते हुये हम कोई ऐसी योजनायें बनायें जैसे कि हम हमला करना चाहते हैं, यह न हमारा मंशा है न पांडेय जी का मंशा है वह मांग ऐसे ढंग से रख सकते हैं और वह इस बजट के तहत में कहीं न कहीं किसी तरह से पूरी होने वाली है, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं। अन्त में जो बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह उसे स्वीकार करे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, समय थोड़ा है, जो कुछ है उसमें एक ही बात कहूंगा। इस बजट में सरकार की बुनियादी नीतियों से कोई डिपार्चर पहले से नहीं है। इस बात को हमें याद रखना होगा कि चीन जिसने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया है और जिसकी सार्वजनीय तथा सार्वभौमिक निन्दा की गई है वह एक समाजवादी व्यवस्था का देश है और इस समाजवादी देश का मुकाबला अपने देश में तेजी के साथ उसी प्रकार की समाजवादी व्यवस्था कायम करके ही हम भली प्रकार कर सकते हैं। उस दिशा में यह बजट कोई बुनियादी तौर पर पहले की सरकारी नीतियों से अलगाव नहीं पेश करता है। पूंजीपतियों से बकाया वसूल करने में इनसे उचित चन्दा लेने में जो कमजोरी दिखाई गई है वह मन्त्री जी के भाषण से दूर नहीं होती।

मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि देश का कोई कम्युनिस्ट न गद्दार है और न चीन समर्थक है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मुख्य मन्त्री जी गढ़वाल में गये थे तो उन्हें स्वयं ज्ञात है कि वीर चन्दनसिंह गढ़वाली जो राष्ट्रीय आन्दोलन के एक महान योद्धा रहे हैं और जिनके ऊपर हमारे देश को फक्र रहा है, ने सुरक्षा कार्य में कितना सहयोग दिया है, उसकी तारीफ उन्होंने स्वयं लखनऊ में की थी, लेकिन उसके ठीक ४ दिन के बाद वह वहां गिरफ्तार कर लिये गये। ऐसा क्यों हुआ इस तरीके से, कमजोर ढंग से ऐसे मामलों को मुख्य मन्त्री जी देखेंगे तो इससे नुक्सान होगा। शिव वर्मा जो अमर शहीद सरदार भगतसिंह के साथी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के २३ साल जेल में बिताये हैं और फांसी के तख्ते से बचे हैं, जिन का स्वास्थ्य चौपट हो गया है जो दिन-रात पार्टी के फैसले के मुताबिक काम करते रहे हैं वह जेलखाने में बन्द हैं, जो गिरफ्तारी के दिन जवानों के लिये ६० पुस्तकें और अपनी तीन माह की बचत २० रुपये सुरक्षा कोष में दिये। प्रताप कुमार टंडन, जो अपने मुहल्ले में सुरक्षा कमेटी बनाने में, स्वयं अपना खून देने, औरों से दिलाने में और प्रभात फेरी निकाल कर काम कर रहे थे जिसके गवाह खुद कांग्रेस कमेटी के लोग हैं वह जेलखाने में बन्द हैं। रामआसरे यू० पी० ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं। दो-ढाई लाख रुपया सूती मजदूरों की ओर से मौलाना युसूफ साहब ने अपने हाथ से मुख्य मन्त्री जी को दिया था उसके वह सेक्रेटरी हैं, वे जेल खाने के अन्दर बन्द हैं। वे हार्ट की बीमारी से बुरी हालत में अस्पताल में पड़े हुये हैं। विद्यासागर नौटियाल जो हमारे सूबे के विद्यार्थी आन्दोलन के महान नेता रहे हैं और जो इस पूरे पीरियड में पहाड़ी इलाकों में दौरा करके अपने फर्ज को अंजाम दे रहे थे और सुरक्षा कार्यों के संगठन में जो कार्य उन्होंने किया है उसकी पूरी रिपोर्ट वहां के सभी अखबारों में छपी है, वह पुलिन्दा भी मुख्य मन्त्री जी के कर-कमलों में दिया गया। अशोक बोस जो ७ साल अंग्रेजी जेल में रह चुके हैं, आज अकारण जेल में बन्द हैं। इस तरह के नमूने में पेश कर सकता हूं। हमारी पार्टी ने इस बात का अहसास किया है और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी ने जिस हिम्मत और साहस के साथ काम किया है उसी की वजह से बहुत-सी बातों को और ज्यादा गिरफ्तारियों के कन्ट्रोल होने में मदद मिली है लेकिन फिर भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं वे अनुचित थीं। यह कहना कि कुछ कम्युनिस्ट चीन के समर्थक थे या देश के दुश्मन हैं यह बात गलत है। किसी भी पार्टी में मतभेद होते हैं। मतभेद के बाद भी जब बहुमत का फैसला हो जाता है, तो वह अल्पमत उसी के

अनुसार आचरण करता है। कम्यूनिस्ट पार्टी एक डिसिप्लिण्ड पार्टी है। हमारे बहुत से विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी एक डिसिप्लिण्ड पार्टी है और जब हमारा फैसला नैशनल कौंसिल का हुआ था, उसके प्रस्ताव के पहले हमारा फैसला यू० पी० को कम्युनिस्ट पार्टी का था और हम सब उस पर अमल कर रहे थे तो मैं समझता हूं कि गिरफ्तारियां होना बिल्कुल गलत थीं। मैं यह उनसे कहना चाहूंगा कि सी० आई० डी० और पुलिस की मनोवृत्ति में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है और जो किसी व्यक्ति के विषय में कंटिनुयेशन होता है पहले की रिपोर्ट के आधार पर उसमें कोई फर्क नहीं किया जाता है, यह गलत प्रणाली है।

आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज भी बहुत से रिकर्ड्स में बहुत से पुराने देश-भक्तों के नाम मुश्तबहा में, नम्बर १० में दर्ज हैं जो राष्ट्रीय आन्दोलन के योद्धा रहे हैं और आज ऊंचे स्थानों पर हैं। एक ज्वलन्त उदाहरण बैरिस्टर आसफ अली जो भारत के स्वतन्त्र होने पर प्रदेशों के राज्यपाल और राजदूत रह चुके हैं उनको दिल्ली जामा मसजिद के पुलिस रिकर्ड में नम्बर १० में, मुस्तबहा में बहुत दिनों बाद लिखा हुआ था। किसी कम्युनिस्ट के पुराने रिकर्ड्स के आधार पर मुख्य मन्त्री जी के सामने बातें की जाती हैं। मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी उन पुरानी बातों के आधार पर अपने दिमाग में तस्वीर न बनावें और यह भी चाहूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के फैसले के मुताबिक जो कम्युनिस्ट अमल न करता हो उसको जरूर पकड़ा जाय लेकिन जो उसके फैसले के मुताबिक काम कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करना गलत है। वह दिन भी याद है कि जब बंगाल और आंध्र प्रदेश की कम्युनिस्ट पार्टी ने उस फैसले पर अमल करने की कोशिश आरम्भ की उसके पहले ही वहां गिरफ्तारियां शुरू हो गयीं।

मान्यवर, अन्त में मैं टैक्सेशन के बारे में कहना चाहता हूं। उसका जिक्र इस बजट भाषण में भी है। मुख्य मन्त्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि अन्य प्रदेशों के टैक्सों, यहां की आबादी और यहां की आमदनी को देखते हुये यहां टैक्स बहुत कम है वह इस बात का इशारा है कि टैक्स बढ़ेंगे। मैं साफ कहना चाहता हूं और तहेदिल से कहना चाहता हूं कि टैक्सों का बोझ तभी बढ़े जब उसके पहले हमारा पूरा बकाया वसूल हो जाय, हमारे प्रदेश के जो कल-कारखाने हैं शुगर, बिजली और कपड़े के उनका राष्ट्रीयकरण हो जाय और पैसे वाले भी उसी दिल से चन्दा दें। तब टैक्स बढ़ाया जाय और इस तरह से बढ़ाया जाय कि गरीबों पर उसका भार कम से कम पड़े और अमीरों पर ज्यादा से ज्यादा बोझ आये। अगर यह बात नहीं होगी, पैसा अमीरों पर बाकी रहेगा और मुख्य मन्त्री जी और उनकी सरकार घुटने उनके सामने न टेकेगी, यह सही है, लेकिन अगर उनकी सरकार पूंजीपतियों के सामने लुंज-पुंज बनी रहेगी और उसके बारे में केवल यह विचार प्रकट किया जायगा कि बड़ा अफसोस है, हम चाहते हैं कि वे पैसा दे दें, ऐसा न हो कि फिर अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़े तो मैं कहता हूं कि इस तरह की रोने वाली प्रवृत्ति से काम चलने वाला नहीं है। जो भी हमारे बुनियादी उद्योग-धन्धे हैं, पहले उनका राष्ट्रीयकरण हो जाय, उसके बाद अगर पैसे की जरूरत पड़े, तो जरूर आप टैक्स लगाइये, हम आपका जरूर उसी तरह साथ देंगे, जैसे पिछली बार दिया है। जो गरीब है उस पर टैक्स उसी की हैसियत के मुताबिक पड़े, जो अमीर है उस पर उसी के मुताबिक, अगर उसके विरुद्ध होगा तो जो राष्ट्रीय एकता आज पैदा हो गयी है, चीन के खिलाफ, उसमें दरार पड़ जायेगी और असन्तोष फैल जायगा, मनोमालिन्य होगा, जो अपार उत्साह है उसमें कमी आयेगी। आज उस उत्साह को आपने भी देखा है, मैंने भी दो महीने से लगातार दौरा करके देखा है, वह किसी प्रकार से ढीला न हो, एकता टूटने न पाये, वरना हम चीन का मुकाबला नहीं कर पायेंगे, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिये।

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं सन् १९६३-६४ के बजट के अवसर पर जो इस आदरणीय सदन में विवाद हुआ है, उसका कुछ उत्तर देने की चेष्टा करूं। मैं कृतज्ञ हूं अपने उन तमाम माननीय सदस्यों का जिन्होंने लगातार ५ दिनों

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

ने इस बजट पर विचार किया, टीकायें कीं और कुछ कमियों को दिखाया तथा अपने कुछ सुझाव भी दिये और जहां कुछ करने की आवश्यकता दिखाई पड़ी, उसकी ओर संकेत किया। मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूं विरोधी दल के नेता का तथा तमाम विरोधी दलों के नेताओं का जिन्होंने कृपा करके इसमें हिस्सा लिया और अपने विचार प्रकट किये।

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी के बोलने के बाद कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु कुछ बातें मैं निवेदन करूंगा। मैं ऐसा देखता हूं कि कदाचित् इस वर्ष जो वाद-विवाद हुआ, जिसमें बराबर मैं ५ दिन तक बैठा रहा वह कुछ वास्तविक विवाद नहीं हुआ। मुझे क्षमा करेंगे, हमारे नेता विरोधी दल तथा हमारे अन्य माननीय सदस्य भी, कि जो विवाद यहां हुआ उसका प्रभाव मेरे मन पर यह हुआ कि जो बजट यहां वितरित हुआ है तथा जिस पर सार्वजनिक कोष का इतना पैसा व्यय हुआ है, उसको देखने का अवसर हमारे माननीय सदस्य को नहीं हुआ और जो विवाद हुआ वह इस छोटे से सेवक ने जो छपा हुआ भाषण पढ़ा उसी पर हुआ और उसी तक संकुचित रह गया। अथवा जो आडिट रिपोर्ट मिल गयी, हमारे पी० ए० सी० के मेम्बरों को, उसी को आधार बना कर विवाद किया। बजट के सारे तफसील और विस्तार में जाने की जरूरत नहीं समझी।

दूसरी बात मुझे यह लगी जो एक राजनैतिक व्यक्ति होने के नाते मुझे कुछ बहुत अच्छी नहीं लगी, यद्यपि एक राजनीतिक हित की दृष्टि से देखें तो हमारे लिये अच्छा ही हुआ, वह यह कि इस बार बजट के विवाद में बजट पर तो टीका कम हुई, सरकार पर टीका कम हुई, यह जो पंचमेल खिचड़ी बैठी हुई है, उसपर आपस में टीका अधिक हुई। एक कहानी पूर्वी इलाकों में कही जाती है, राम सुन्दर जी जानते होंगे, नऊआ की बरात में जनै जनै ठाकुर। हमारे विरोधी दलों की यही स्थिति हो गई। पता नहीं लगा कि नेता विरोधी दल कौन है, यद्यपि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मुख से कभी-कभी निकलता था नेता विरोधी दल। हमारे राजा साहब ने जो कुरी सिधौली के थे उन्होंने एक कहानी सुनाई घोड़े और गधे की। आज मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जिस तबेले में घोड़े को बांधा उसमें परस्पर इतनी दुलत्तियां चलीं कि कुछ ठिकाना नहीं। हमारे मुख्य मन्त्री जी का और सरकार का यह सौभाग्य रहा कि हम लोगों की टीका-टिप्पणी तो कम हुई और बजट की भी कम हुई लेकिन कोई जनसंघी बन रहा है, कोई गद्दार बन रहा है, कोई बेईमान बन रहा है, कोई नुईसेंस बन रहा है। खूब चली। अब मैं उत्तर दूं तो किसका दूं? उत्तर विरोधी लोग स्वयं ही दें और दे भी दिये कुछ ने।

श्री मैनेजर्रसिंह (जिला बलिया)—

मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा.....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरी प्रार्थना है कि आप शांति से सुनें। मैं बराबर ५ दिन चुपचाप सुनता रहा हूं। अगर यह नहीं तो आप जरा कुछ मेरी बुजुर्गी का ही ख्याल करें। बीच में टोका-टाकी करने से आपकी कोई हैसियत नहीं बढ़ती है। आप बकते चले जाइये, इसका कोई अन्त नहीं है। जिनका स्वभाव हो गया है वह कैसे छूट सकता है? फूलहिं फरहिं न बेर यदपि सुधा वर्षहिं जलद, और एक प्राणी होते हैं जिनके हृदय न चेत जो गुरू मिलहिं विरंचि सम।

एक और तीसरा स्वरूप इस विवाद का देखा। वह बजट पर विवाद कम रहा। श्रीमन्, डाक्टर अहमद की ओर संकेत करके मैं कह रहा हूं। राजनीति पर विवाद अधिक रहा। इस बजट को बहस के दो पहलू हो गये। कुछ तो थोड़ी बहुत बजट की चर्चा हुई और जो कुछ आडिट रिपोर्ट से भाव मिल सके वह और साथ ही सारे उत्तर प्रदेश की राजनीति सार्वजनिक राजनीति के ऊपर बहस हुई और नारे भी लग गये। एक ऐसा नारा लगा जिसमें यह पंचमेल कम्युनिस्टों को छोड़कर, एक हो गये। वह नारा बिलकुल नया था।

वह था कि नेहरू हटाओ, देश बचाओ। इसमें हमारे जनसंघ के नेता जी, कदाचित् उनका दल, समाजवादी दल या संयुक्त समाजवादी दल जो अब हो गया है, मालूम नहीं कि टूक-टाट गया है या है, लेकिन वह और इसके बाद, श्रीमन्, एक हमारी स्वतन्त्र पार्टी जिस के नेता हमारे नेता रहे हैं, उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वह बड़े पुराने, वृद्ध और बुद्धि-शील नेता रहे हैं, राजा जी, लेकिन जो लोग उसमें शरीक हैं, अब जो उसमें शरीक हुये हैं, उन्होंने कह दिया खड़े होकर कि सारे देश की बरबादी की जड़ नेहरू हैं। अब यह राजनीतिक पहलू हो गया। दोनों पर मुझे, श्रीमन्, कुछ न कुछ जवाब देना है।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, २, ३ बातें कही गईं। एक बात तो यह कही गई, जो बड़ी पुरानी टीका है और कुछ सही भी है, मैं इससे इंकार नहीं करता, वह यह कि डेफीसिट बजट पेश किया है या करते हैं और अन्त में सरप्लस हो जाता है। दूसरी बात यह कही गई कि रिसीट्स साइड कम दिखाते हैं और एक्सपेंडीचर साइड ज्यादा। इससे डेफीसिट होता है और यह इसलिये किया जाता है कि टैक्स लगाते रहें। मैं मानता हूं कि यह बात सही है कि अक्सर डेफीसिट का सरप्लस हो जाता है। पर यह बात सही नहीं है कि हम जानबूझ कर ऐसा करते हैं टैक्स लगाने के लिये। डेफीसिट होने की वजह है। रिसीट्स का एस्टीमेट जैसा हम रखते हैं उन्हें आप देखें और जो एक्सपेंडीचर का रखते हैं उन्हें देखें और जो आपको बढ़े हुये दिखाई देते हैं उसकी वजह पर विचार कीजिये। आपको मालूम होगा कि सन् ४६-४७ में हमारे प्रदेश का बजट ३३ करोड़ का या कुछ ऐसा ही हुआ करता था। सन् ६०-६१ में वह बजट १०० करोड़ से ऊपर गया। इस नये संविधान की स्थापना के बाद प्लान का काम शुरू किया गया। प्लान का लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं, यह दूसरा प्रश्न है। प्लान एक बना हुआ सेट आता है योजना का। पांच वर्ष के लिये वह बनता है कि ये-ये काम हम करेंगे। निश्चय है कि पहले वर्ष जितना हम काम करते हैं उससे दूसरे वर्ष ज्यादा करेंगे और तीसरे वर्ष उससे ज्यादा करेंगे। टैक्स भी लगते हैं और आमदनी भी हमारी आती है। प्लान का टार्गेट जब हम रखेंगे तो उसमें एस्टीमेट्स का बहुत सवाल नहीं हुआ करता है। एक फिजीकल टार्गेट बना लिया गया है। केवल एक्चुअल्स के ऊपर है रिवाइज्डइस्टीमेट और उसके ऊपर हम समझ लें कि यही एक्चुअल्स होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे भौतिक लक्ष्य हैं कि इन-इन कामों को पूरा करना है। नासुहाल आपको एक्सपेंडीचर की साइड बढ़ी हुई दिखाई देगी। पिछले साल ८५ करोड़ का प्लान था १०६ करोड़ रुपया रखा गया था, जिसमें से ९२ करोड़ रह गया क्योंकि साधनों की कमी दिखायी दी। रेवेन्यू भी बढ़ती है लेकिन उसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है लेकिन यह ठीक है कि किसी-किसी साल रिसीट बढ़ती हैं और वह इस प्रकार से कि किसी साल हमारा बकाया वसूल हो जाता है। दूसरे गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो रुपया हमें मिलता है, उसका हमें अन्दाजा ही होता है। बजट के आखिर में वे हमें तार द्वारा इत्तला दे देते हैं कि इतना रुपया उनसे हमें मिलने वाला है। उनसे हमें इनकम टैक्स का हिस्सा और एक्साइज का हिस्सा मिलता है, इसके अलावा गवर्नमेंट आफ इंडिया से कुछ मदद भी आती है, उसका हम अन्दाजा ही लगाते हैं पिछले साल के अनुमान पर।

रेवेन्यू हमारा वसूल होता है यह सही है। वह दो सोर्सेज से आता है। जहां तक किसानों का सवाल है, उनसे हमें ९६ से ९८ प्रतिशत तक वसूली होती है, जो और प्रदेशों से अच्छी है। सारा प्रदेश उनका कृतज्ञ है कि वह अपनी गरीबी के बावजूद भी इतना हमें देते हैं। लेकिन दूसरी मदों से जो रुपया हमें वसूल होता है उसमें काफी कमी रहती है वसूल होने में और कभी-कभी उसमें से रह भी जाता है। जितना पिछली साल वसूल हुआ होता है उसके [illegible] कर ही हम अनुमान रखते हैं। जब हम प्लान की बेसिस पर डेवलपिंग इकोनामी के साथ चल रहे हैं तो हमें रेवेन्यू के संबंध में विशेष सतर्कता के साथ और खर्च के संबंध में टार्गेट के अनुसार हमें चलना होगा।

लेकिन इसका मुझे दुःख है कि जो टार्गेट निश्चित किये जाते हैं, कभी-कभी वे पूरे नहीं हो पाते, आपको भी इससे क्लेश होगा। विधान सभा जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिये हमें पैसा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

देती है उसके लिये विभागीय सरकारी अधिकारियों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उस लक्ष्य को पूरा करें और समुचित रूप से उस पैसे को खर्च करें लेकिन कभी कभी वह खर्च नहीं हो पाता है । इसका यह कारण नहीं है कि हम उसको जानबूझ कर खर्च नहीं करते हैं लेकिन कभी-कभी वह हो नहीं पाता है । कभी तो हमें कोई मैटीरियल नहीं मिलता है, कभी फारेन एक्सचेंज नहीं मिलता है । लेकिन यह भी देखने की बात है कि यह खर्चा कैपिटल साइड में बचता है । डाक्टर अहमद साहब, रावत जी और मेकराम जी ने कहा कि इतना-इतना रुपया कहां गया ? वह कैपिटल साइड में रह गया जो दूसरी मदों में एप्रोप्रियेट हो गया । बात यह होती है कि किसी एक हेड में रुपया खर्च होने से रह गया और दूसरे में एक्सेस हो गया तो वह एप्रोप्रियेट हो जाता है । इस-लिये इस बात को जानने के लिये कि यह रुपया कहां गया, एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट को देखना आवश्यक है । आज भी आप देखिये कि हमने दो एप्रोप्रियेशन बिलों के द्वारा करीब १७ करोड़ रुपये की मांग की है, जिसमें एक्चुअल अगर देखा जाय तो डेढ़, पौने दो करोड़ रुपया हम अधिक ले रहे हैं बाकी १५–१६ करोड़ के करीब यह कहां से आ गया ? जैसा कि रावत जी ने पूछा कि कहां गया ? यह एप्रोप्रियेट हुआ । वह सारा रुपया जो बचाया गया वह कोई वेस्ट नहीं हुआ या उड़ा नहीं दिया गया । इसी प्रकार अगर किसी प्लान हेड में कोई रुपया इस साल बच जाता है तो उसको हम दूसरे साल में खर्च के लिये रख लेते हैं उसी काम के लिये । अगले वर्ष उसी काम पर वह खर्च होता है, वह लैप्स नहीं होता । तो इस प्रकार केवल आंकड़े रख देने से उसका ठीक-ठीक स्वरूप व्यक्त नहीं होगा । जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा—यह स्पष्ट बात है कि यह डेफिसिट बजट है और इसका आरम्भ तब से हुआ जब से हमारा प्लान आरम्भ हुआ । उसी समय से डेफिसिट बजटिंग व डेफिसिट फाइनेंसिंग शुरू हुई । क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हमें प्लान को पूरा करने के लिये खर्च तो करना ही पड़ेगा । हर साल डेफिसिट बजटिंग होती है रेवेन्यू साइड उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से खर्चा बढ़ता है । अब चाहे केन्द्रीय सरकार हो, चाहे अन्य विभिन्न प्रदेशों की सरकार हो, मैं सब का जिक्र नहीं करता, लेकिन सब जगह डेफिसिट बजटिंग हुई और उसके बाद फिर सरप्लस हुआ, जिसको मोटे तौर पर आप सरप्लस कहते हैं । जो खर्च करने का टार्गेट हमने रखा है उतना हमें खर्च तो करना ही पड़ेगा । जो रुपया बजट में सरप्लस दिखलायी पड़ता है वह फिर अगले साल उसी काम के लिये दे दिया जाता है । मेरे पास सब जगह के आंकड़े मौजूद हैं, आप यह न समझें कि केवल उत्तर प्रदेश म ही बजट में इस तरह की तिकड़मबाजी की जाती है कि आमदनी को कम दिखलाया जाता है और खर्चा ज्यादा दिखलाया जाता है तथा बाद में टैक्स लगा कर उसे सरप्लस कर दिया जाता है, यह तरीका तो सब जगह है ।

गवर्नमेंट आफ इंडिया के सन् १९६०–६१ के ओरीजिनल बजट में रेवेन्यू साइड में पहले ६० करोड़ का डेफिसिट था लेकिन ऐक्चुअली वर्किंग के बाद रेवेन्यू साइड में ५१.२ करोड़ का सरप्लस हो गया । इसी प्रकार से आप देखें कि मध्य प्रदेश में पहले ६३ लाख का डेफिसिट था और बाद में ६ लाख का सरप्लस हो गया । इसी तरह से वेस्ट बंगाल में १०६ लाख का डेफिसिट था और बाद में २९९ लाख का सरप्लस हो गया । हमारे यहां तो इतना सरप्लस भी नहीं होता, हम तो सब खर्च कर ही देते हैं ।

हमारे भाई जेड० ए० अहमद साहब ने कहा कि यह ट्रेडिशनल बजट है । मैंने समझा नहीं कि इससे उनका क्या मतलब था । मैं तो समझता हूं कि जो हम लोग यहां अध्यक्ष महोदय, अधिष्ठाता महोदय, खड़े हो जाइये, बैठ जाइय आदि बातें कहते हैं, इसी को मैं ट्रेडिशनल मानता हूं और यह कोई बुरी बात नहीं है । जहां तक उनकी स्पीच का सम्बन्ध है, वह ट्रेडिशनल जरूर थी । उसमें वही दो-तीन बातें बयूरोक्रेसी की बातें, या यह कि घोड़े आपको साथ नहीं देते आदि-आदि थीं । अगर वे इसको ट्रेडिशनल बजट मानते हैं तो ठीक है क्योंकि यह प्लानिंग तो हमारे यहां १० वर्ष से अधिक से चल रही है । जो भी प्लान बनती है उसकी यहां स्क्रूटनी होती है, जो पी० ए० सी० व एस्टीमेट कमेटी बनी हुई है वहां स्क्रूटनी होती है, प्लानिंग कमीशन में विभिन्न

विभाग इसको अपने-अपने स्तर पर देखते हैं और तब यह बजट बनता है और इसी तरह से दस वर्ष से यह चल रहा है । टार्गेट के मुताबिक जो पैसे हम रखते हैं, उस खर्च करते हैं । आखिर प्लान जो हमारा चल रहा है, एक तरह से प्लान के नाम पर हमने अपने प्रदेश को गिरों रख दिया है और विभिन्न विभाग उसी के अनुसार खर्च करते हैं ।

यह भी कहा गया कि इमर्जेन्सी के लिये इसमें खर्च करने की कोई निश्चित रकम बहुत नहीं है । लेकिन मैं बतला दूं कि उसके लिये करीब साढ़े ११ करोड़ रुपया रखा गया है जो ४ परसेंट जाकर पड़ता है । उसमें कैपिटल आउट-ले आन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट और कैपिटल आउट-ले आन पबलिक वर्क्स भी है, वह प्लान्ड और नान-प्लान्ड दोनों में है और एक बड़ी लम्बी इसकी लिस्ट है, इसमें जितनी चीजों को हमने रखा है जैसे एन०सी०सी० है, प्रादेशिक शिक्षा दल है, सैनिक स्कूल है और एक दूसरा नया सैनिक स्कूल है, फ्री एजूकेशन का है, एवार्ड और कैश ग्रान्ट्स का है और इन के अलावा हमारी जितनी भी यह स्पेशल स्कीम्स हैं, इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में हैं, खास तौर से कम्बल की, चमड़े की, पोल्ट्री की, फिशरीज की और जितनी भी चीजों की डिफेंस विभाग से मांग हुई उन सब में हम ने करीब ११ करोड़ ४५ लाख की रकम रखी है जो बजट की ४ प्रतिशत है । हम कोई फौज की भर्ती तो कर नहीं सकते नहीं तो वह भी कर के दिखाते । लेकिन जिन उद्योगों को प्रोत्साहन देकर हम फौजी कामों में मदद दे सकते हैं उन को हम एक्सपेंड कर रहे हैं । पी० ए० सी० को हम बढ़ा रहे हैं, फौज की भर्ती हम कर नहीं सकते, हमारे सारे बजट का स्वरूप ही एमर्जेन्सी के बजट का है, हमारा भाषण ही आरम्भ हुआ है एमर्जेन्सी को लेकर और समाप्त हुआ है उसी को लेकर और बीच में भी एमर्जेन्सी में क्या-क्या हमें करना है वही सब है । वह बजट जितना ट्रेडिशनल हुआ करता था अब भी है, वह आत्म प्रतिष्ठित है, रेवेन्यू से हम काम चलाते हैं । फिर भी जो कर सकते थे वह किया है और जहां भी कमी है उसको दूर करेंगे ।

हमारे भाई दुबे जी ने कहा कि यह बजट निराशाजनक है, समझ में नहीं आया कि कहां उन की आशा टूट गई, इसमें निराशा जरूर हो सकती है कि आपको इधर आने का मौका न मिला हो, इस में निराशा हो सकती है लेकिन बजट निराशाजनक कैसे लगा यह मैं नहीं समझा । अगर कोई वैसी उन की निराशा है तो उसका इलाज हमारे पास है लेकिन अगर वह मनःस्थिति आ जाय कि 'निराशा परमम् सुखम्' जो निराश हो जाता है उसको तो फिर परम सुख ही है, कोई निराश हो जाय या हताश हो जाय तो फिर न पार्टी का काम रहेगा और न विधान सभा का काम । अगर कोई इस निराशा की मनःस्थिति में आ जाय तो फिर क्या बात है । तो मैं कह रहा था कि अगर इस में कोई कमी हो तो वह पूरी की जा सकती है, वह हम करेंगे भी जहां तक हमारे साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन इस में निराशा की बात कहीं नहीं दिखाई देती ।

एक जगह कहा गया कि कर्जा लादते जाते हैं । यह स्पष्ट है कि आर्थिक दृष्टि से हमारा प्रदेश जितना प्रौढ़ है उतना प्रौढ़ हमारे देश के और कौन-कौन प्रदेश हैं यह मैं नहीं कह सकता लेकिन मेरा दावा है कि हमारा प्रदेश वित्तीय दृष्टि से सब से अधिक प्रौढ़ है, जो कर्जा हमारे ऊपर है उसको अदा करने के पूरे साधन हमारे पास हैं, हमारे पास उस को देने के साधन हैं, हम कर्ज लेकर भोजन नहीं कर रहे हैं । अगर रेवेन्यू एकाउन्ट हम व्यय कर देते तो हम दिवालिया हो जाते और जहां कहीं किसी प्रदेश ने ऐसा किया है कि कर्ज लिया और उसे सरकार चलाने में व्यय कर दिया तो मैं कह सकता हूं कि उनका वित्तीय दृष्टि से और पब्लिक फाइनेंस की दृष्टि से खतरनाक कदम होगा । लेकिन अगर कैपिटल लेकर हम इनवेस्ट करते हैं और लोन के रिपेमेंट का प्रबन्ध है तो यह तरीका आज के युग में विकास का है । जब तक सेल्फ जेनरेटिंग एकोनामी न हो जाय तब तक इस में कुछ हर्ज नहीं है और कर्ज लेकर आज योजना चलाने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है । हमारे ऊपर केन्द्रीय सरकार का कर्ज है और हमारे राजा साहब कह भी रहे थे, सेन्ट्रल लोन हमारा सन् १९६३–६४ में ४० करोड़ है । कुल हमारा लोन जितना है वह ५६२ करोड़ है और इसमें आप समझें मार्केट से ६३ करोड़ लिया है । केन्द्रीय सरकार का लोन ३५४ करोड़ है । यही दो मेन आइटम हैं, बाकी कम्पेन्सेशन, रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट आदि का ८४ करोड़

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हैं और प्रोवीडेंट फंड की जो लायबेलिटीज हैं उसका ५९ करोड़ है । मेन आइटम वही हैं जो गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिला है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

टोकिन प्रावीजन ८०० रुपया, १,००० रुपया का क्यों रखते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सेंविंग से हम दे ही देते हैं । सन् १९५७ से १९६२ तक आप देखें जिसका जिक्र माननीय जेड० ए० अहमद ने किया उसमें से जो रेवेन्यू की पोजीशन है अच्छी हुई है, बचा है । इसी तरह से सिंकिंग फंड में गया और रीपेमेन्ट के लिये गया है । इसलिये टोकिन होता है । ३५४ करोड़ और ६३ करोड़ यह दोनों मिलाकर ४१७ करोड़ होता है । अब केन्द्रीय सरकार से जो मिलता है वह खाली कैपिटल ऐक्सपेंडिचर है, पूंजीगत कामों पर लगाया है और लोन्स वगैरह जो देते हैं इसलिये कि वह पूंजी के कामों में लगे, जैसे इंडस्ट्रीज में लगे, तकावी आदि में लगे । यह सारा रुपया लोन से पूरा करते हैं, रेवेन्यू से नहीं पूरा करते हैं । हमारे पास इस समय करीब-करीब १११ करोड़ सिंकिंग फंड में है और जितना हमने दिया है लोन्स वगैरह में, और जो खर्च किया है उसका रिपेमेन्ट होना भी ५९६ करोड़ का है । लायबेलिटीज हमारी कुल एनेक्शर में दी हुई हैं, असेटस हो जायेंगे ५९६ करोड़ और लायबेलिटीज हमारी ५६२ करोड़ है । ४३ करोड़ सिंकिंग फंड में है और १५ करोड़ गवनमेंट आफ इंडिया का और २८ करोड़ जो हमारी रिसीट होती है उससे होता है और यह रुपया लगा है सारा कैपिटल का । आज तक एक इंस्टालमेंट भी रीपे करने में गवनमेंट आफ इंडिया को यू० पी० ने डिफाल्ट नहीं किया । इसलिये कोई घबड़ाने की बात नहीं है और कर्जा लें आप और उससे प्रदेश की सामयिक स्थिति विकसित होती हो तो वह कर्ज लेना बुरा नहीं है । कर्जा लेकर जो भोजन कर जाय और वापस न कर सके तो दिवालिया हो जाय । जिस तरह की इकोनामी को आप चलाना चाहते हैं, जिसमें नये प्रकार का समाज बन सके, और साधनों की कमी है, स्वयं इसी सदन में कहा गया कि कर्जा लेकर पूरा करो । कर्जा गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का अधिकतर है, उन्हीं से ज्यादा लेते हैं । अब तो उन्होंने बन्द कर दिया, कोई प्रदेश कर्जा न ले, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया जो सोचेगी करेगी । तो घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है । माननीय उग्रसेन जी ने या किसी ने यह कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ा खर्चा हो रहा है । मैं समझता हूं १९६१–६२ में सारे टोटल रेवेन्यू का १५ परसेन्ट के करीब खर्चा हुआ है और १९५१–५२ से १९६१–६२ तक १० वर्ष में बराबर कम होता गया, १९६१–६२ में १४.२ परसेंट हुआ ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

यह तो केवल जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पूरे ऐडमिनिस्ट्रेशन का ३४.२२ जिसमें तमाम आफिसर्स की पे जोड़ लीजिये, जो सोशल सर्विसेज हैं, सब को जोड़ लीजिये तो १९६३–६४ में ३४.२२ परसेंट आयेगा । ६० परसेंट और ५० परसेंट कहना इस बात का द्योतक है कि बिना कागजों को देखे हुये एक नारा लगा दिया ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

५० परसेंट के करीब पड़ता है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप करीब कहते हैं और मैं आपको एग्जैक्ट फीगर बताता हूं । देखिये न । पे आफ आफिसर्स ३.३४, पे आफ इस्टैब्लिशमेंट १९.४, ट्रैवलिंग एलाउन्स २.५७, कम्पेन्सेटरी डियरनेस कास्ट आफ लिविंग ८.७८, अदर एलाउन्सेज .४९ । ये सब मिला कर ३४.२२ होता है । मेरे पास तो यही फीगर्स हैं । अगर आप कोई दूसरी फीगर्स दिखा देंगे तो मैं जरूर इस बात की जांच करूंगा कि कहां से ५० परसेंट हो गया ।

अब और कोई प्रश्न रह गया बजट के सम्बन्ध में ? उग्रसेन जी का मामला दूसरा है । एक तो उग्र और दूसरे सिंह या सेन.....

श्री उग्रसेन—

सेन ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

संस्कृत में श्येन कहते हैं बाज को, जो बाज की तरह से झपटे । तो आप से मैं बहुत डरता हूं । अब यह तो बात हो गयी । अब थोड़ा राजनीति पर आना चाहता हूं.....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

लायबेलिटीज तो आपने बतायीं, लेकिन असेट्स आपके कुल कितने मूल्य के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाटी—

वह तो मैंने बताया था, फिर बताये देता हूं, सुनिये । लोन हमारे ऊपर गवर्नमेंट आफ इंडिया का है ३५४ करोड़ और मार्केट लोन है ६३.८४ करोड़ । ये दो आइटम्स बड़े हैं । इन दोनों को जोड़ लीजिये तो ४१७.८७ करोड़ होता है। अब इसमें अगर आप जोड़ देंगे ८४ करोड़ जो लायबेलिटीज हैं कम्पेन्सेशन बांड्स वगैरह की और प्राविडेंट फंड की जो करीब ५९ करोड़ के है, तो यह करीब ५६२ करोड़ के आता है । और हमारे पास असेट्स हैं जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने लोन सैंक्शन किया है और जो आउटस्टैंडिंग बैलेन्सेज हमारे हैं उनकी वसूली ४८५ करोड़ है । इसके अलावा सिंकिंग फंड में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वह १११ करोड़ है । इस तरह से टोटल ५९६ करोड़ असेट्स का होता है अगेन्स्ट आल अवर टोटल लायबेलिटी और इसका सबूत यह है कि कोई इन्स्टालमेंट डिफाल्ट नहीं किया गया । गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने कहा कि सिंकिंग फंड न रखो । हमारा कहना था कि पहले आप यह कह दीजिये कि हम कर्ज नहीं वसूल करेंगे तो हम भी सिंकिंग फंड नहीं रखेंगे । तो हमने सिंकिंग फंड रखा । आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है । ऐडमिनिस्ट्रेशन पर जो खर्चा होता है वह कम होना चाहिये । चाहे उस पर खर्चा ३४ प्रतिशत हो या कितना ही क्यों न हो लेकिन उसमें कमी होनी चाहिये । मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कम खर्चा होता है तो उसमें भी कमी करने की आवश्यकता होनी चाहिये । मैं इस बात को भी मानता हूं कि इकोनामी होनी चाहिये । जहां पर हमें साधनों को इकट्ठा करने के लिये टैक्स लगाने की आवश्यकता है वहां मैं इस बात को भी मानता हूं कि बकाया की वसूली और खर्चे में कमी, ये दोनों चीजें होनी चाहिये । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हम बकाया की वसूली कर रहे हैं । हमने कोर्ट आफ रेवेन्यू के जिम्मे सेल्स टैक्स की वसूली कर दी है और अब सेल्स टैक्स रेवेन्यू की तरह से वसूल होगा। यह चीज चल रही है और आशा है कि हम बहुत काफी रकम वसूल कर लेंगे । हमारे भाई रावत जी ने हमारे बाल ब्रह्मचारी मुख्य मन्त्री जी के साथ एक बीबी लगा दी । किसी विधुर के साथ लगा दिये होते तो कोई ऐसी अनुचित बात नहीं थी । लेकिन बाल ब्रह्मचारी के साथ लगाना कहां तक ठीक है ?

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं कि लिम्टिेशन्स जरूर हैं, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया था, भले ही हंसी उड़ा लें, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज की, गो उन्होंने गलत काम किया है, ऐसा न हो कि हम उनकी हत्या ही कर दें । हमारा सेल्स टैक्स का पया बचा करके उन्होंने अपने रोजगार में लगाया है यह अत्यन्त अनैतिक बात है । लेकिन लिम्टिेशन्स का खयाल करके हम वसूल कर रहे हैं । जिस सख्ती से वसूली होनी चाहिये उसी सख्ती से इकोनामी भी होनी चाहिये । हमें वसूली भी करना है और इकोनामी भी करना है । यह भी मैं मानता हूं कि टैक्सेज के लिये जस्टीफिकेशन तभी होता है जब हम लोगों को इत्मीनान दिला दें कि हमारी वसूली ठीक हो रही है और इकोनामी भी ठीक चल रही है ।

मैंने बजट भाषण में जिक्र किया था, गो राजा साहब ने हमारा मजाक उड़ाया था, हमें आजीवन की तरह से तलवार की धार पर चलना होगा क्योंकि एक तरफ तो हम प्लान चला रहे हैं

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

और दूसरी तरफ हम इकोनामी भी चला रहे हैं। जिस तरह बाजीगर बैलेंस बनाता है उसी तरह से हमें भी बैलेंस बनाना है। एक तरफ तो कमी की जाय और दूसरी तरफ यह भी देखना है कि काम जो हम कर रहे हैं उनमें कमी न हो जाय। हमें एक निर्णय लेना पड़ता है। उग्रसेन जी ने कहा कि चीन का प्लानिंग सफल हुआ और हमारा फेल हुआ। चीन के प्लान से यहां का क्या मुकाबला चीन में हो, चाहे रूस में हो, टोटेलेटेरियन स्टेट्स का मुकाबला भारतवर्ष की डैमोक्रेटिक लेविल पर होने वाले प्लान से मुकाबला करना पूरब का पश्चिम से और रात का दिन से मुकाबला करना है।

जमीन और आसमान का फर्क है। वह टारगेट यदि अचीव नहीं हुआ तो सारे के सारे मातहत और सारे के सारे इन्चार्ज, यदि उनके माता पिता परलोक सिधार गये हैं, तो उनके दर्शन करने वहां भेज दिये जायं। इस तरह से हम करने वाले नहीं हैं और न यह हमारी परम्परा है। हम अगर उसमें ५० फीसदी अचीव कर लेते हैं तो यह हमारा अच्छा प्रयोग नहीं तो क्या है। हम उस प्रकार से काम नहीं ले सकते हैं। हमारे यहां के कायदे, हमारे कानून और हमारा सारा अप्रोच, हमारा सारा आइडियल और सारा संविधान उसमें फिट नहीं करता। हमारे यहां की वह प्रणाली नहीं है। यह बात सही है कि उन्होंने अचीव किया तो उसका दूसरा पहलू भी देखें कि जिस तरह से वहां हत्या होती है। दोनों बातों को लेकर ही मैं यह कह रहा हूं.....

श्री उग्रसेन--

दोनों प्रकार की बातों को कहते हुए मैंने ध्यान आकर्षित किया था। एक तरफ की बात को लेकर हमारी बात को धूमिल न कर दें। हमारा मतलब दोनों आकारों पर था।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अभी तो मैं पहले एस्पेक्ट को ले रहा था। दूसरे पर बाद को आऊंगा। उनकी प्लानिंग का प्रकार ही दूसरा है। उसकी बेसिस ही दूसरी है। जिस प्रकार का ढंग उनके काम करने का है उस ढंग से जरूर अचीवमेंट हुआ होगा मैं इसको मानता हूं और इसको बढ़ते हुए मानता हूं तो दूसरी तरफ उसका नुकसान भी देखता हूं। हमारा जो बेसिस है उसमें दिक्कत पड़ती है। कौन नहीं मानता है कि जितना हुआ है उससे ज्यादा होना चाहिये था। प्लानिंग कमीशन ने इवैलुएशन कमेटी बनाई और हमारे यहां भी गोविन्द सहाय जी की अध्यक्षता में वह कमेटी बनी और सब ने यह कहा कि जितना करना चाहिये था उतना नहीं हुआ। कोआपरेशन नहीं मिला और दूसरे कारण से उतना अचीव नहीं हुआ लेकिन यह बात ध्यान देने की है कि जब प्लानिंग बढ़ेगी तो सरकार का प्रशासन भी बढ़ेगा। हजारों स्कूल खुलेंगे तो हजारों टीचर आप नहीं रखेंगे? हजारों अस्पताल आप खोलेंगे तो हजारों आप डाक्टर नहीं रखेंगे? ट्रान्सपोर्ट का काम बढ़ायेंगे तो उसके प्रबन्ध के लिये आदमी रखने होंगे। उसके लिये खर्चा जरूर बढ़ेगा और बढ़ता चलेगा। इकोनामी की बात हो सकती है और करनी चाहिये। हमने थोड़ी बहुत इकोनामी की है। उससे हमको सन्तोष नहीं है। मैं दावा नहीं करता कि हमने कुछ किया लेकिन यह भी देखना है कि सरकार के सामने इकोनामी करने के लिये बहुत दिक्कतें हैं। अगले वर्ष भी हम यह प्रक्रिया इकोनामी की चालू रखेंगे। अपने विभागों से हम को सहयोग मिला है। हमने देखा है कि हमारे विभागों के अन्दर यह भावना जगी है कि इस चीज को देखना चाहिये और इकोनामी होनी चाहिये। वे इस बात की चेष्टा करेंगे कि कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक काम हो। इस बात की चेष्टा नहीं करेंगे कि इकोनामी करने के सम्बन्ध में हमारा सारा काम ही चौपट हो जाय। लेकिन यह बात जरूर है कि कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक काम करने की चेष्टा की जाय।

श्रीमन्, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि हमारे विरोधी दलों में कुछ एकता हो जाय। राजनीति में, लोकतान्त्रिक पद्धति में एक ही राजनैतिक परम्परा, संसदीय परम्परा स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि विरोधीदल मजबूत हों और करनी विरोधी दल की ऐसी है नहीं कि एक साथ बहुत बड़ी तादाद में जीत कर आये। टुकड़े-टुकड़े में बेचारे बंटे हुए हैं और नतीजा यह होता है कि

यहां काम अच्छा नहीं होता। आपका प्रयास तो बहुत अच्छा था लेकिन भाग्यं फलति सर्वत्र न च विद्या न च धनं। श्रीमन् की किस्मत में ही विरोधी दल का नेता होना नहीं था इसलिये घरौंदा गिर गया।

श्री उग्रसेन---

इसकी कोई बात नहीं थी। किस्मत की बात हम नहीं मानते।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अब मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में किस प्रकार के कुछ भाषण यहां हुए, मैं आप से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वह हमारे प्रदेश की जनता के मनोबल को तोड़ने वाले हैं। मुझे आप क्षमा करेंगे यदि मैं कहूं कि आपका भी यह इरादा नहीं था क्योंकि मैं उन लोगों में हूं जो कि यह मानते हैं कि इस देश की धरती में जो पैदा हुआ है, चाहे उसका राजनीतिक दल कोई भी हो और उसका प्रेम किसी के प्रति हो, वह हमारी मातृ भूमि की संतान है और उसके प्रति प्रेम रखता है। मैं यह मान सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि गद्दारी करें, हमारे देश के इतिहास में जहां बड़ी-बड़ी संस्कृति की बातें हैं, उसके साथ ही देश के प्रति गद्दारी करने वालों की कहानियां भी हैं और जहां हम दावा करते हैं कि हम बड़े शान्तिप्रिय हैं और हमने दुनिया में किसी पर कभी आक्रमण नहीं किया, वहां यह भी हमारा इतिहास साबित करता है कि हम आपस में लड़ने में बड़े पटु रहे हैं। महाभारत से आज तक स्वयं यादवों को लेकर परस्पर मस्तकोच्छेद में हमारा भेजा बड़ी तेजी से चलता रहा है और देश के पतन का भी कार्य उसमें होता रहा है। पर आज हम यह मान कर नहीं चलते कि हमारे यहां, हमारी मां की गोद में पैदा हुआ कोई व्यक्ति इतना पतित और अधम हो सकता है कि उसके मस्तक पर आघात करने वाले के प्रति वह प्रेम दिखाये और अपनी मां के दूध के प्रति विश्वासघात करे। नहीं हो सकता। अगर कोई हो तो पतित होगा। हो जाते हैं ऐसे लोग और उन के लिये जो भी करना आवश्यक हो, वह करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई यह नहीं चाहता कि हमारे देश का मनोबल कम हो। पर मैं पूछता हूं कि यह है क्या? किस बात पर हमारे भाई उग्रसेन जी का भाषण हुआ? हमारे ऊपर जो प्रहार हुआ, मैं केवल विरोध के लिये नहीं कह रहा हूं इन बेंचेज पर बैठने के नाते, लेकिन उसका अर्थ यह हुआ कि चीन का मुकाबला हम नहीं कर सकते। उनके सारे हवाई जहाज मानसरोवर पर आ गये, हमारा सारा हिमालय उनके कब्जे में चला गया, और वह आ गये होती में और वह घुसते चले आ रहे हैं और तुम ने कुछ नहीं किया और तुम क्या कर सकते हो? उनकी प्लानिंग हुई। उन्होंने सारा मिलिट्री इक्विपमेंट तैयार कर लिया--जनता चाहे भूखों मर गयी हो, लेकिन वह उन्होंने तैयार कर लिया। उनकी बड़ी ताकत है। हम कुछ नहीं हैं। आपके भाषण का यही अर्थ है और उसके बाद.....

श्री उग्रसेन---

सही है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अगर सही है तो यह मंथरावाद है, समाजवाद नहीं है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे आप सुन लें कि यह मंथरावाद है। सुन लें, यह मंथरावाद है।

श्री उग्रसेन---

यह यथार्थवाद है। मैं भी बनारस में १२ वर्ष पढ़ा हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यथार्थ में जितना यथार्थ यह हो सकता है कि हम कमजोर हैं वहां यह भी यथार्थ है कि इस श को जनता और इस देश का हृदय अत्यन्त प्रौढ़ है और इसे पढ़ने वाले को यह यथार्थता और भी थार्थ कर जायगो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही हम कमजोर हों, लेकिन आज देश क साथ खड़ा हुआ है लड़ने के लिये। तैयार हुआ है। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

समझाया होगा कि वह इस कसमकश में न पड़े, युद्ध के लिये खड़ा हो। मैं नहीं जानता कि हमारी जनता को किसी ने समझाया या नहीं लेकिन वह कन्याकुमारी से हिमालय तक आज खड़ी हुई है युद्धाय कृत निश्चयः के साथ। यह निश्चय कर के खड़ी हुई है कि हम युद्ध करेंगे। मैं कहता हूं कि वीरता और पराक्रम एक माने में सिद्ध होते हैं। आप जरा सुनें।

(व्यवधान)

श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप शांत रहें। कृपया आप लोग बैठिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपके राजनीतिक कर्मों का फल आपको ही भुगतना पड़ रहा है। आपकी हैसियत गिरती जा रही है।

(व्यवधान)

आपका मन कहां से लगे। आप कुलमुलाते हैं। जरा शांति से बैठिये। जब बात लगती है तो तिलमिलाते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोग कृपया शांति से बैठें और मन्त्री जी का भाषण सुनें।

श्री उग्रसेन---

आप यह अपनी नीति हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री को भाष्य करा दीजिये।

(व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी---

श्रीमन, एक श्लोक है---"न भेतव्यं न शोचव्यं न माव्यं प्रतिवादिनाम्, मटीत प्रतिवक्तव्य समारू निजगेप्रयिः।"

"न तो संकोच करो, न सोचो, और न सुनो परन्तु अपनी ही बात धड़ा-धड़ कहते जाओ।"

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन---

यह राजनीतिक अन्तर तो देखिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इससे जनता का दिल टूटता है। जहां एक यथार्थता हो सकती है कि हम कमजोर हैं, हम कमजोर रहे हैं, किसी मामले में, वहीं पर मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों के हृदय में वीरता होती है उनके हाथ में चाहे तलवार ही खाली दे दी जाय वह नहीं भागेंगे। इसके विपरीत जिसके हृदय में वीरता नहीं है उसके हाथ में भले ही तोप और तलवार दे दी जाय, वह उसके साथ ही भागेंगे। तलवार न भी हो, एटीट्यूट आफ माइन्ड हो। एक मनःस्थिति है कि यदि वह वीर है....

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, आप देखें कि जिस तरह से सेला और बोमडिला में भागे हैं, वह दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं है। यह एक ऐतिहासिक सत्य मैं बता रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

आप बीच में मत बोलिये, कृपया शांत होकर भाषण सुनिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

श्रीमन्, जिस तरह से डंकर्क से अंग्रेज भागे, जिस तरह से कोरिया से अमरिकन भागे उसी तरह से यदि हमारी नेफा में हार हुई तो कोई बात नहीं है। परन्तु उससे यह मान लेना कि उससे हमारा सत्यानाश होने वाला है, यह आपकी अक्ल की खराबी है। जिनमें उदारता नहीं है, वह दूसरों की बात नहीं सुन सकते हैं। मैं यह कह रहा था कि एक मनःस्थिति होती है। गांधी जी ने जो वीरता दिखाई और अपने जीवन को देश के लिये बलिदान कर दिया, उसमें भी क्या आप को कुछ संशय है? जिसने वीरता की भावना प्रदर्शित की है, उसपर ठेस मारने से आप देश का कल्याण नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नेहरू हटाओ, तो फिर यह बताओ कि किस को ले आना चाहते हो।

(व्यवधान)

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय उग्रसेन जी, आप लोग कृपया शांत रहें और बैठ जायें।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

मैं आप से निवेदन कर रहा था कि यह कहा जाता है कि नेहरू को हटाओ। मुझे उस समय और भी आश्चर्य हुआ जब कि माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने, जो कि स्वतन्त्र पार्टी के हैं, यह बात कही कि नेहरू जी को हटाओ। और पार्टी वाले यह कहते तो ठीक भी था क्योंकि उनका विवेक भ्रष्ट हो चुका है। परन्तु वह भी तो अभी कल के आये हैं। जो व्यक्ति इस देश की उन्नति का एक मात्र प्रतीक है, जिसने अपना समस्त जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया हो, जिस व्यक्ति के एक इशारे पर देश के कोटि-कोटि नर और नारी अपने जीवन की आहुति देने के लिये तत्पर हों, और जिस पर देश की जनता का अटूट विश्वास हो, जिसकी एक पुकार पर देश में जाग्रति की भावना फैल जाय और लाखों व्यक्ति अपना मस्तक कटाने को तैयार हो जायं, जो कि स्वयं ही देश के लिये नैतिक और राजनीतिक सफलता का प्रतीक हो, उसे आप कहते हैं कि हटा दो, उस व्यक्ति को हटाओ। मंथरा ने यही कहा था कि राम को हटाओ, तो क्या हुआ? दशरथ भी मिटा, कैकेयी भी विधवा हुई और राज्य भी न मिला, सत्यानाश हो गया अयोध्या का। यह समाजवाद नहीं, यह मंथरावाद है, इसे मत चलाओ, यह नाश कर देगा हिन्दुस्तान का। जवाहर-लाल वह व्यक्ति है जो इस युग का उज्जवल नक्षत्र है, जो एक दीप्तिमान सूर्य है। उसको हटाओ? लाओ किसको? इस पंचमेल को ले आओ? कहां ले आना चाहते हो? इसको कौन-सी नीति आप कहते हैं? हमारे सारे राष्ट्रीय आन्दोलन की एक दृष्टि रही है। अब मैं राजनीति पर बोल रहा हूं, बजट पर तो बोल नहीं रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

क्या मन्त्री जी आगे और बोलेंगे? क्या समय बढ़ा दिया जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

जी हां, कुछ उधर समय लग गया, आप पांच मिनट मुझे और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष––

अच्छा, मैंने समय १५ मिनट और बढ़ा दिया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

कौन सी नीति है, जिसका हम विरोध करते हैं, इसपर तो हम विचार करें। केवल एक राजनीतिक अन्तर्द्वेष, राजनीतिक कटुता के कारण अपना जो क्रोध है वह पंडित नेहरू पर निकालने की बात है।

(व्यवधान)

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

यह हो, हो करने से क्या फायदा? हो, हो करने वाले तो इधर भी हैं। हो, हो करोगे तो होली हो जायगी। जरा बुद्धिमानी से सुनें।

श्री उग्रसेन—

जबरदस्ती नेहरू की तारीफ नहीं सुनेंगे। यह नेहरू चालीसा बन्द हो।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये, इतना शोर-गुल नहीं मचाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या यह संसदीय भाषा है कि "होली हो जायगी"?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, वह तो अपनी बात कहते हैं।

श्री उग्रसेन—

अगर होली करना है, तो धमकी देने के बजाय तोप लगवा दो अपनी हुकूमत में, हो जाय हम लोगों की होली, परवाह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप शांत रहें, विराज जाइये।

श्री उग्रसेन—

मैं विराजे जाता हूं, लेकिन आपको वित्त मन्त्री को रोकना चाहिये, यह जवाहर चालीसा बन्द करें।

(व्यवधान, अत्यन्त शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब शांत रहें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उग्रसेन जी से कहना बेकार है, उनको कह लेने दीजिये। मैं तोप नहीं लगाना चाहता। धमकी देना मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, मैं तो होली की बात एक मजाक के रूप में कर रहा था।

श्री उग्रसेन—

हमारी होली हो जायगी तो तुम भी यहां हमेशा नहीं रहोगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अरे बाबा, हम नहीं रहेंगे तो तुम रहोगे। यह गद्दी थोड़े ही खाली रहेगी?

(व्यवधान)

हो, हो कीजियेगा तो एक दूसरी शक्ल पैदा हो जायगी, क्योंकि जब उधर भी "हो-हो" होगा और इधर से भी "हो"-"हो" होगा तो होगा क्या?

श्री उग्रसेन—

हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं। आप धमकाते क्यों हैं कि होली हो जायगी। हो जायगी तो हो जाय, आप लगा दीजिये तोप और उड़ा दीजिये हम लोगों को, लेकिन हम तो जरूर अपनी बात कहेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसमें धमकाने की कोई बात नहीं है। लेकिन जिनके दिमाग में क्रोध और गुस्सा हो और अपने को जो गलती में देख रहे हों वह सिवाय "खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे" और कोई रास्ता भी तो नहीं पकड़ता।

(व्यवधान)

मैंने कहा है न कि इसमें धमकी की कोई बात नहीं; सिर्फ मजाक वाली बात के लिये मैंने कहा कि होली हो जायगी।

तो मैं यह कह रहा था कि हमारे सारे राष्ट्रीय आन्दोलन की एक ही दृष्टि रही है। जब स्वतन्त्रता का संघर्ष हो रहा था उस समय भारतवर्ष केवल अपनी स्वतन्त्रता के लिये नहीं लड़ रहा था, वह था साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष। बार-बार कांग्रेस के मंचों से प्रस्ताव पास हुए हैं कि हम देश की स्वाधीनता चाहते हैं इसलिये कि एशिया की सारी दबी हुई जातियां स्वतन्त्र हों। हमें भारतवर्ष की स्वाधीनता इसलिये चाहिये कि अफ्रीका की तमाम दबी हुई जातियां स्वाधीन हों जो श्वेत साम्राज्यवाद की शिकार हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत की आजादी के साथ साम्राज्यवाद का गढ़ टूट गया। एशिया की बहुत सी जातियां स्वाधीन हुयीं, अफ्रीका की बहुत सी दबी हुई जातियां स्वतन्त्रता के आनन्द में विभोर हुयीं और जो स्वाधीन नहीं हुयीं आज वे भी स्वाधीनता के पथ पर चल पड़ीं। विश्व में एक नयी चेतना आयी। हमने एशिया और अफ्रीका की तमाम जातियों को अपनी-अपनी स्वाधीनता और अपने-अपने उत्थान के लिये अग्रसर होने का प्रयास करने का मौका दिलाया है और वह स्वतन्त्र हुए हैं। आज दुनिया की सारी जातियां विज्ञान का सहारा ले कर विनाश के मुख पर खड़ी हो गई हैं। एक जगह एक प्रकार का न्यूक्लियर बम बनता है तो दूसरी जगह दूसरे प्रकार का न्यूक्लियर बम बन रहा है, सारा संसार दो गुटों में बंट गया है और एक दूसरे के त्रास में भयग्रस्त हो रहा है लेकिन हमारी नीति यह है कि विनाश के लिये सम्बद्ध गुटों से अलग रहते हुए विश्व को विनाश के पथ से बचावें। नान-एलाइनमेंट और नान-इन्वाल्वमेंट की नीति के माने तटस्थता नहीं है बल्कि इन विनाश के लिये रत गुटों से असम्बद्धता है और यह नीति हमारी इसीलिये रही है कि विनाश इस विश्व का न हो जाय। हम सहअस्तित्व के सिद्धांत को इसीलिये मानते हैं कि सबको अपनी-अपनी सीमा के अन्दर रहने का अधिकार है और जो इस नीति के विरुद्ध है वह केवल यही मानता है कि जगत् पर उसकी प्रभुता रहे और जगत् में उसकी पताका, केवल उसकी पताका चले। चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे पूंजीवादी गुट हो, हम इसीलिये अलग रहे हैं कि विश्व में शान्ति हो। युद्ध की विभीषिका से मानवमात्र को ध्वंस होने से बचाने के लिये हमने सहअस्तित्व के सिद्धांत को माना है। इसीलिये माना है कि दुनिया की सारी जातियां स्वाधीन हों।यही हमारा दर्शन है, हम इसी आदर्श पर चलने का प्रयास करते रहे हैं। कौन कह सकता है कि यह हमारी खराब नीति रही है। हमारे इतिहास की यही परम्परा रही है। हमारी दृष्टि, हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की सारी नैतिकता यही रही है। कौन कह सकता है कि यह खराब बात है? जो आप कहते हैं कि हमने तैयार नहीं की, अगर तैयारी नहीं की तो यह ४–५ सौ करोड़ रुपया हमने जो उस पर खर्च किया वह किस लिये किया? तैयारी अगर नहीं थी तो तोपों और बमों को ढालने की तैयारी नहीं थी और वह इसलिये नहीं थी कि जो भारतवर्ष की झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनके रक्त में शक्ति आये, देश में कोई भूखा न रहे, देश समृद्धिशाली बने।

(व्यवधान)

हम देश के निर्माण में उस धन को लगा रहे थे। जो देश २०० वर्षों तक गुलाम रहा हो, जिसका खून चूस लिया गया हो और हड्डियां ही केवल शेष रह गयी हों, उस देश में अगर फिर से रक्त का संचार करने की योजना बनायी गयी हो, फिर से सारे साधनों को लेकर अग्रसर होने की योजना बनाई गयी हो, उसके लिये चेष्टा की गयी हो तो यह सर्वथा भारतीय दृष्टिकोण और उसकी परम्परा के अनुकूल हुआ है।

(व्यवधान)

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

आप चीन की सफलता देखिये, मगर आज संसार में कोई भी देश उसकी सफलता नहीं मानता। हमारी इस असम्बद्धता की नीति पर रूस तक ने हमारा साथ दिया है। उन तमाम देशों ने हमारा साथ दिया है जो हमारे विरोधी रहे हैं।

(व्यवधान)

आज एक राष्ट्र भी चीन के साथ नहीं है। इससे बढ़ कर और क्या प्रमाण हमारी डिप्लोमेटिक विजय का हो सकता है।

(व्यवधान)

मैं कहता हूं कि आप देश के मनोबल को न गिराओ, यह दल रहे न रहे, राष्ट्र रहेगा और वह जनता के बल पर रहेगा। क्रोध का परिणाम आपका यह है कि आप स्वयं संगठित नहीं हो पाते, टूटते जा रहे हैं। इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त कर के आप राष्ट्र को दुर्बल न बनायें, जो उसकी कमियां हैं वे नारे लगाने से पूरी नहीं होंगी। यह नारा लगाने से कि नेहरू हटाओ, देश डुबाओ, से देश डूब जायेगा। आपका नारा नेहरू हटाओ, देश बचाओ, यह नहीं है बल्कि वह नेहरू हटाओ, देश डुबाओ है। ऐसा करके आप भारत के इतिहास में अपना नाम कर जायेंगे। जनता यही कहेगी कि आपकी नीति के कारण ही देश का अहित हुआ। आज आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप कृपा करके उदारता से विचार करें और इस देश का नेतृत्व जिस व्यक्ति के हाथों में है, उसको अपना सहयोग प्रदान करें। आज इस देश की सुदृढ़ नीति के ही कारण उसका सारी जगह डंका बज रहा है। हल्ला करने से या शोर मचाने से कोई काम होने वाला नहीं है। जो हमारा सारथी है, जिसके हाथ में इस देश के रथ की बागडोर है, उसके हाथ मजबूत करने की आज आवश्यकता है। उस एकता को आप विनष्ट न कीजिये, और उसे हमें आपको सबको मिलकर पूरा करना चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश की जनता पर, जिस प्रकार के भाव यहां प्रकट किये गये हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसका हृदय उसी प्रकार से दृढ़ और मजबूत रहेगा जिस प्रकार से अभी तक रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:

२८ फरवरी, १९६३।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०३ पर]

जनवरी, सन् १९५७ से दिसम्बर, १९६२ तक की अवधि में सरकारी मालखाने से अधिकारियों द्वारा खरीदे गये आग्नेयास्त्रों के बारे में सूचना

	अधिकारी का नाम तथा पद	हथियार जो खरीदा गया	जिस कीमत पर खरीदा गया	हथियार का कारखाना (maker)
१	श्री एस० एन० पांडेय, जिला नियोजन अधिकारी ..	दुनाली बन्दूक	५०	यू० एस० ए०
२	श्री कृपालसिंह, पुलिस अधीक्षक	,,	७०	ल्योन ऐंड ल्योन
३	श्री एस० एस० गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट	,,	५०	जर्मन जेको
४	श्री सिद्दीकी, उप पुलिस अधीक्षक	,,	५५	स्पेन
५	श्री एस० एन० सक्सेना, सिटी मजिस्ट्रेट	,,	३०	बी० एस० ए० इंगलिश।
६	श्री डी० एस० रावत, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट	रिवाल्वर	२०	वेबली स्कोट
७	श्री कन्हैयालाल, सिविल सर्जन	,,	२५	स्पेन
८	श्री चन्द्रा, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट	पिस्तौल	२५	जेक्रोस्लेवेकिया
९	श्री बी० आर० बासु, ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट	दुनाली बन्दूक	५५	स्पेन।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०६ पर]

१-१-१९६२ से १६-१-१९६३ तक देवरिया जिले के प्रत्येक थाने में हुई गैर-दस्तन्दाजी वारदातों की रपटों की संख्या तथा की गई कार्यवाही आदि का विवरण

क्रम-सं०	नाम थाना	रिपोर्ट हुई	जांच की गई	चालान किया गया	सजा हुई	रिहा हुए	जेरे तजवीज	लापता	व्यक्तियों की सं० जिनके विरुद्ध दो या दो से ज्यादा रपटें हुईं	पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	कोतवाली	..	७७४	—	—	—	—	—	—	६ ३ व्यक्तियों के विरुद्ध ११० जा० फौ०, ३ के विरुद्ध १०७/ ११७ जा० फौ०।
२	गौरी बाजार	..	५००	—	—	—	—	—	—	२६ ११ व्यक्तियों के विरुद्ध १०७/ ११७ जा० फौ० ।
३	तरकुलवा	..	४२५	१	१	—	१	—	—	२५ १ के विरुद्ध ११० व १६ के विरुद्ध १०७/ ११७ जा० फौ०।

४	रुद्रपुर ..	..	७४८	—	—	—	—	—	—	२८	१ के विरुद्ध ११० ११ के विरुद्ध १०७/ ११७ जा० फौ०।
५	खामपुर ..	..	६३४	—	—	—	—	—	—	३	३ के विरुद्ध ११० जा० फौ०।
६	खुखुन्द ..	..	५५८	२	—	—	—	—	२	३८	२ के विरुद्ध ११०, १३ के विरुद्ध १०७/ ११७ जा० फौ०।
७	बरहज ..	..	४३८	—	—	—	—	—	—	३३	१ के विरुद्ध ११०, ३२ के विरुद्ध १०७/ ११७ जा० फौ०।
८	लार ..	..	६५४	—	—	—	—	—	—	२१	१ के विरुद्ध ११०, २० के विरुद्ध १०७/ ११७ जा० फौ०।
९	कसिया ..	..	३१५	१	१	—	—	१	—	२	२ के विरुद्ध १०७/ ११७ जा० फौ०।
१०	हाटा ..	..	३४२	१	१	—	१	—	—	२२	२ के विरुद्ध ११०, ११ के विरुद्ध १०७/ ११७ जा० फौ०।
११	पथरवा ..	..	४३४	—	—	—	—	—	—	२१	३ के विरुद्ध ११०, १५ के विरुद्ध १०७/ ११७ जा० फौ०।
१२	बिशुनपुरा	..	४३२	—	—	—	—	—	—	७२	५५ के विरुद्ध १०७/ ११७ ४ के विरुद्ध १३३ जा० फौ०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	नाम थाना	रिपोर्ट हुई	जांच की गई	चालान किया गया	सजा हुई	रिहा हुए	जेरे तजवीज	लापता	व्यक्तियों की सं० जिनके विरुद्ध दो या दो से ज्यादा रपटें हुईं	पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१३	तरिया सुजन	७१५	१	—	—	—	—	१	३	१ के विरुद्ध ११०, १ के विरुद्ध १०७ ११७ जा० फौ०।
१४	पडरौना	७४३	१	१	—	—	१	—	५	२ के विरुद्ध ११०, ३ के विरुद्ध १०७/ ११७ जा० फौ०।
१५	रामकोला ..	५८१	१	१	—	—	१	—	१२०	४ के विरुद्ध ११०, ५६ के विरुद्ध १०७/ ११७ जा० फौ०।
१६	खड्डा	४७१	—	—	—	—	—	—	९५	१ के विरुद्ध ११०, ८६ के विरुद्ध १०७/ ११७ जा० फौ०।
१७	कप्तानगंज ..	४२२	—	—	—	—	—	—	४२	१ के विरुद्ध ११०, २० के विरुद्ध १०७/ ११७, ३ के विरुद्ध १३३, १ के विरुद्ध १४५ जा० फौ०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१३ पर)

तालिका (क)

विभिन्न नामों के गहने	संख्या
१—हाथ के गहने (कंगन, चूड़ी आदि)	८५४
२—अंगूठियां	२,६२७
३—कान के जेवर (बाली आदि)	३,६४३
४—गले के जेवर (नेकलेस, गुलूबंद)	४,०४४
५—मटरमाला के दाने	२,८३७
६—विविध बहुत छोटे आभूषण तथा आभूषणों के टुकड़े, .. (छंछी, कील, बटन, चन्द्रमा, ताबीज, झूलनी के टुकड़े आदि	२४,५०० (लगभग)
७—मोहरों के रूप में तथा अन्य ठोस सोने के टुकड़े ..	६७९
योग ..	३९,१८४ गहने
योग कुल सोना ..	७५,७८५ ग्राम

तालिका 'ख'

विभागीय आधार पर संकलन का ब्यौरा

(अ) जिला स्तर—

१—गन्ना समितियों द्वारा	..	..	४,०२,५४३.७८
२—सहकारी समितियों द्वारा	..	..	१,३४,१०१.००
३—जिला परिषद् द्वारा	..	..	१,७४,३६४.००
४—खंड विकास समितियों द्वारा	..	..	३,१३,६३३.२६
५—शिक्षा संस्थाओं द्वारा	..	..	७८,३८५.६८
६—महिला संघ द्वारा	..	..	१,०२०.००
७—रोटरी क्लब द्वारा	..	..	१,३६९.००
८—नियोजन विभाग द्वारा	..	..	८५,७०४.१८
९—माल विभाग द्वारा	..	..	१,२६,८९२.०२
१०—इंजीनियरिंग विभाग द्वारा	..	..	५,८१४.८६
११—स्वास्थ्य विभाग द्वारा	..	..	३,४६८.२०
१२—सेल्स टैक्स विभाग द्वारा	..	..	३,१८८.००
१३—नगरपालिका द्वारा	..	..	१,६३०.३०
१४—रोडवेज विभाग द्वारा	..	..	८०.५०
१५—पुलिस विभाग द्वारा (केवल पुलिस कर्मचारियों का दान)	..	..	७,८२०.९६
	योग	..	१३,४०,०१५.७४

(आ) सीधे प्रधान मंत्री व मुख्य मंत्री को भेजी गई धनराशि जो जनता, विभागीय कर्मचारियों एवं संस्थाओं द्वारा प्राप्त हुई — १,७३,३३१.८७

कुल योग	..	१५,१३,३४७.६१

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१४ पर)

Name of District	Total Collections	C. M's D. P. F.	N. D. F.	Gold in Gram
1	2	3	4	5
Dehra Dun	8,07,042.21	6,10,232.20	1,96,810.01	4,900.770
Saharanpur	17,83,878.23	15,83,927.30	1,99,950.93	2,182.740
Muzaffarnagar ..	26,06,578.95	24,93,650.68	1,12,928.27	2,401.100
Meerut	34,12,989.56	28,19,385.77	5,93,603.79	13,072.849
Bulandshahr ..	17,85,760.78	17,11,154.35	74,606.43	2,172.664
Aligarh	8,45,955.00	7,45,223.00	1,00,732.00	892.725
Mathura	4,83,789.38	3,90,953.92	92,835.46	240.775
Agra	11,10,371.00	8,13,749.00	2,96,622.00	1,798.000
Mainpuri	3,62,490.33	2,59,556.59	1,02,933.74	3,43.000
Etah	5,72,253.13	4,23,077.05	1,49,176.08	343.990
Bareilly	15,95,305.33	14,40,425.18	1,45,880.15	1,204.300
Bijnor	14,18,651.91	13,24,091.05	94,560.86	1,078.050
Budaun	15,31,989.08	15,08,875.19	23,113.89	1,624.900
Moradabad	21,68,432.13	21,00,068.55	68,363.58	1,909.700
Rampur	5,73,516.31	5,62,290.43	11,225.88	139.500
Shahjahanpur ..	9,90,872.29	5,89,759.24	4,01,113.05	568.400
Pilibhit	3,93,313.21	3,83,185.62	10,127.59	1,204.815
Farrukhabad ..	6,14,573.98	5,39,031.20	75,542.78	634.770
Etawah	6,96,949.94	6,59,395.99	37,553.95	1,718.960
Kanpur	54,00,000.00	31,70,000.00	22,30,000.00	2,684.000
Fatehpur	1,96,391.00	1,41,059.00	55,332.00	306.000
Allahabad	18,30,995.00	15,68,585.00	2,62,410.00	5,143.000
Jhansi	6,95,408.88	4,89,968.83	2,05,440.05	2,851.150
Jalaun	3,96,766.11	3,85,021.41	11,744.70	1,010.730
Hamirpur	4,52,251.36	4,36,888.50	15,362.86	2,047.200
Banda	4,69,770.08	4,55,020.06	14,750.02	705.500
Varanasi	14,45,543.11	4,04,347.31	10,41,195.80	2,343.892

Name of District	Total Collections	C.M'S D.P.F.	N.D.F.	Gold in Gram
1	2	3	4	5
Mirzapur	16,54,587.25	6,33,552.23	10,21,035.02	1,405.500
Jaunpur	6,00,371.97	3,24,283.00	2,76,088.97	497.240
Gazipur	3,67,886.03	3,42,653.34	25,232.69	667.000
Ballia	2,96,778.74	2,69,135.16	27,643.58	637.800
Gorakhpur	15,64,422.89	9,23,797.36	6,40,625.53	1,823.000
Deoria	15,61,244.15	13,55,291.74	2,05,951.41	76,319.000
Basti	10,91,143.32	10,66,120.22	45,993.30	500.665
Azamgarh	9,69,603.85	9,10,905.39	45,894.95	1,476.425
Naini-Tal	6,09,329.54	5,05,775.09	1,65,557.47	3,665.427
Almora	82,77,763.10	2,64,214.86	13,542.22	1,302.070
Garhwal	2,84,941.82	2,37,339.97	47,101.85	286.263
Tehri-Garhwal ..	75,825.00	70,210.50	5,613.00	..
Lucknow	40,75,596.40	30,93,952.94	9,81,469.70	4,834.756
Unnao	1,80,062.80	1,34,183.00	15,894.00	815.000
Rae-Bareli	3,88,343.84	3,74,425.89	11,920.25	487.010
Sitapur ..	6,01,011.86	3,43,774.91	57,236.95	1,142.101
Hardoi	5,91,465.30	5,73,366.36	18,301.74	134.075
Kheri	5,30,444.51	8,14,965.51	13,464.80	836.400
Faizabad	7,14,082.87	4,68,641.56	45,440.61	4,615.000
Gonda	6,10,111.50	4,96,381.84	13,729.46	215.000
Bahraich	7,80,349.04	7,99,624.99	10,717.05	273.200
Sultanpur	4,65,049.92	4,26,965.05	6,923.63	234.000
Pratapgarh	4,45,207.07	4,37,372.01	8,526.97	273.500
Bara Banki	4,71,995.49	4,64,904.15	7,491.36	152.130
Pithoragarh	2,23,913.62	2,22,314.80	1,595.04	1,096.492
Chamoli	93,118.00	90,863.00	9,263.00	243.000
Uttar Kashi ..	99,219.00	94,369.00	4,460.00	..

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१५ पर)

रिहन्द से उत्पन्न बिजली का वितरण मुख्यतः इस प्रकार है :

बड़े उद्योगों के लिये	५१ प्रतिशत
मध्यम तथा छोटे उद्योगों के लिये	११ प्रतिशत
रेलवे विद्युतीकरण के लिये	१५ प्रतिशत
सिंचाई के लिये	५ प्रतिशत
नगर तथा ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये	८ प्रतिशत
मध्य प्रदेश के लिये	१० प्रतिशत

आगामी वित्तीय वर्ष में रिहन्द की बिजली इन स्थानों में प्रसारित होने की संभावना है (जिला मिर्जापुर) चुनार, अहरौरा, दुधी, विनधमगंज, मरधवा, मयोरपुर, रामगढ़, धुरावल, जंघई, अकोरी, लालगंज, विजयपुर ।

जिला वाराणसी—चकिया, चंदौली, सई बरजा, सकलडिहा और घरौरा ।

जिला इलाहाबाद—सिरसा, भरतगंज, बामपुर, शंकरगढ़ और जसरा ।

जिला गाजीपुर—दिलदारनगर, जमानिया, रेवतीपुर और गहमर ।

* माताटीला बांध के पानी से उत्तर प्रदेश में २,६४,००० एकड़ भूमि तथा मध्य प्रदेश में १,१२,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और इस परियोजना से उत्पन्न बिजली झांसी, हमीरपुर, जालौन, बांदा तथा कानपुर जिलों में प्रसारित करने का प्रस्ताव है । आगामी वित्तीय वर्ष तक माताटीला से बिजली के वितरण की कोई संभावना नहीं है ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१६ पर)

अतिरिक्त जिलाधीश का नाम	विवरण हथियार	कीमत जिस पर खरीदा
		रु०
१—श्री गिरीशचन्द्र	रिवाल्वर	१५
२— ,, ,, ,,	रायफल	२०
३—श्री जी० एस० सेठ	दुनाली बन्दूक	१२
,, ,, ,,	इकनाली रायफल	११
,, ,, ,,	पिस्तौल	५

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१६ पर)

तालिका (क)

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	सीजन १९६२-६३ में पेराई आरम्भ करने की तिथि	गन्ने के मूल्य का भुगतान जिस पखवारे के अन्त तक आरम्भ हुआ
१—परतापपुर	.. ..	३-१२-६२	३१-१२-६२
२—बैतालपुर	.. ..	३-१२-६२	३१-१२-६२
३—गौरीबाजार	.. ..	११-१२-६२	३१-१२-६२
४—देवरिया	.. ..	६-१२-६२	३१-१२-६२
५—कप्तानगंज	.. ..	२९-११-६२	१५-१२-६२
६—खड्डा	.. ..	४-१२-६२	१५- १-६३
७—छितौनी	.. ..	६-१२-६२	३१- १-६३ तक भुगतान आरम्भ नहीं हुआ
८—लक्ष्मीगंज	.. ..	२३-११-६२	३१-१२-६२
९—रामकोला (पी)	.. ..	२९-११-६२	१५-१२-६२
१०—रामकोला (क)	.. ..	२३-११-६२	१५-१२-६२
११—पडरौना	.. ..	६-१२-६२	३१-१२-६२
१२—कठकुइयाँ	.. ..	२७-११-६२	३१-१२-६२
१३—सिवरही	.. ..	७-१२-६२	१५- १-६३
१४—भटनी	.. ..	२८-११-६३	३१-१२-६२

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१९ पर)

तालिका (ख)

प्रदेश भर की चीनी मिलों का विवरण जिनके विरुद्ध सीजन १९६१-६२ के गन्ने के दाम का बकाया ३१-१-१९६३ तक शेष है

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	बकाया धनराशि (लाख रु० में)
१--	पिपराइच	४.०८
२--	घुघली	१.९६
३--	लक्ष्मीगंज	६.०१
४--	खड्डा	६.८९
५--	सरदारनगर	०.७९
६--	गौरीबाजार	२.६२
७--	बैतालपुर	०.०३
८--	भटनी	४.२८
९--	छितौनी	१.७४
१०--	कप्तानगंज	०.२८
११--	रामकोला (के)	९.६६
१२--	सिवराही	०.०६
१३--	जरवलरोड	८.२८
१४--	बाराबंकी	०.०४
१५--	बिजनौर	०.२६
१६--	धामपुर	०.३०
१७--	सिवहार	०.०४
१८--	बाजपुर	०.५७
१९--	बरेली	०.१८
२०--	बुलन्दशहर	०.०८
२१--	देवबन्द	०.१७
२२--	सरसावा	०.७६
२३--	न्यौली	०.११
२४--	पीलीभीत	७.३१
२५--	सखौतीटांडा	०.१७
२६--	खतौली	०.०४
	योग ..	५६.७१

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ३३२ एल० ए० (प्रो०) १९६३--८५० ।